

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एफ.आई.आर.

1. (*क्र. 2095) श्री ननकीराम कंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर को-ऑपरेटिव बैंक के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा में एफ.आई.आर. दर्ज है ? उक्त कौं शासन से अनुमति कब मिली है ? (ख) उक्त प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) बिलासपुर को-ऑपरेटिव बैंक के निम्न अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा में एफ.आई.आर. दर्ज है :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	अनुमति का विवरण (3)
1.	श्री गिरधारी लाल यादव, कनिष्ठ लिपिक	दिनांक 25-08-2015 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई है
2.	श्री श्रवण सिंह, नोडल अधिकारी	दिनांक 21-06-2018 को अभियोजन स्वीकृति प्राप्त हुई है
3.	श्री भूपेश चंद्रवंशी, शाखा प्रबंधक	अभियोजन स्वीकृति अपेक्षित है.
4.	श्री अर्जुन लाल यादव, प्रबंधक	अभियोजन स्वीकृति अपेक्षित है.

(ख) आरोपियों के विरुद्ध निम्नानुसार कार्यवाही की गई है :-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	कार्यवाही का विवरण (3)
1.	श्री गिरधारी लाल यादव, कनिष्ठ लिपिक	दिनांक 16-11-2015 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है.
2.	श्री श्रवण सिंह, नोडल अधिकारी	दिनांक 14-11-2018 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया है.
3.	श्री भूपेश चंद्रवंशी, शाखा प्रबंधक	दिनांक 22-10-2019 को माननीय न्यायालय में खात्मा पेश किया गया है.
4.	श्री अर्जुन लाल यादव, प्रबंधक	अभियोजन स्वीकृति अपेक्षित है.

मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना के तहत BAMBUSA BALCOOA पौधे क्रय हेतु आमंत्रित निविदा

2. (*क्र. 1022) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना के तहत BAMBUSA BALCOOA टिशू कल्चर बांस पौधों के प्रदाय करने हेतु मुख्य वन संरक्षक दुर्ग द्वारा वृत्त दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/कांकेर/जगदलपुर हेतु निविदा आमंत्रित की गयी ? क्या मुख्य वन संरक्षक दुर्ग को अन्य वृत्त रायपुर/बिलासपुर/कांकेर/जगदलपुर मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना के तहत BAMBUSA BALCOOA टिशू बांस पौधों को प्रदाय करने के लिये नियमानुसार निविदा

आमंत्रित करने हेतु अधिकृत है, यदि हां, तो किस नियम के तहत निविदा आमंत्रित की गयी ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार क्या मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग अन्य वृत्त के लिये BAMBUSA BALCOOA टिशू सफल निविदाकार को स्वीकृत पत्र जारी किये जाने के लिये अधिकृत है ? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार विभिन्न वृत्तों के अधीन वन मंडल में संबंधित सफल निविदाकार द्वारा कितने-कितने BAMBUSA BALCOOA टिशू कल्चर बांस पौधे प्रदाय किये गये और संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा कितनी-कितनी राशि का भुगतान किसके नाम से किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) हां, वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना के तहत BAMBUSA BALCOOA टिशू कल्चर बांस पौधे के प्रदाय करने हेतु मुख्य वन संरक्षक दुर्ग द्वारा वृत्त दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर/सरगुजा/कांकेर/जगदलपुर हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी. मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना के तहत BAMBUSA BALCOOA टिशू कल्चर बांस पौधे के प्रदाय करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्र./बां.मि.-90/मु.मं.बा.बा./2017/127 रायपुर दिनांक 13-02-2017 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त को अधिकृत किया गया. छ.ग. मण्डार क्रय नियम वर्ष 2002 का पालन करते हुये निविदा आमंत्रित की गई. (ख) हां, मुख्य वन संरक्षक, राज्य कृषि वानिकी एवं बांस मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्र./बां.मि.-90/मु.मं.बा.बा./2017/217 रायपुर दिनांक 21-03-2017 द्वारा दुर्ग वृत्त को अन्य वृत्तों के लिये BAMBUSA BALCOOA टिशू सफल निविदाकार को स्वीकृत पत्र जारी किये जाने के लिये अधिकृत है. (ग) विभिन्न वृत्तों के अधीन वन मंडल में सफल निविदाकार ब्लू स्काय लेबोरेटरीज केयर मिसे मौदहापारा, रायपुर द्वारा कुल 2,09,670 BAMBUSA BALCOOA टिशू कल्चर बांस पौधे प्रदाय किये गये, जिसमें से निविदा शर्त अनुसार TFRI जबलपुर द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन में मटर प्लांट से मिलान नहीं होने के कारण/मृत पाये गये पौधों 91,622 को छोड़कर 1,18,048 पौधों हेतु संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा कुल राशि रु. 46,15,678/- का भुगतान ब्लू स्काय लेबोरेटरीज केयर मिसे मौदहापारा, रायपुर के नाम से किया गया. विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

कोरिया जिला में संचालित/बंद सरकारी व निजी कोल खदानें

3. (*क्र. 2749) डॉ. विनय जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिले के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितनी सरकारी/निजी कोल खदानें कहां-कहां संचालित हैं ? कोलखदानों को संचालित करने की अनुमति कब से कब तक की प्रदान की गई है ? (ख) जिले अंतर्गत 2018 से फरवरी, 2021 तक कौन-कौन से कोल खदानों को कब-कब बंद किया जा चुका है ? खदानों को बंद किए जाने का क्या कारण है ? (ग) जिले में माइंस वलोजर फंड का कितना पैसा कब-कब और कहां-कहां उपयोग किया गया है ? नहीं किया तो इसके क्या कारण हैं ? इसका दोषी कौन है, दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोरिया जिले में बैकुण्ठपुर/चिरमिरी/हसदेव क्षेत्र अंतर्गत 13 कोल खदानें एस.ई.सी.एल. को स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 09 खदानें संचालित हैं. जिले में निजी कंपनी को स्वीकृत कोल खदानों की संख्या निरंक है. एस.ई.सी.एल. को स्वीकृत कोल खदानों के अवधि की जानकारी “परिशिष्ट” में †† संलग्न है. (ख) वर्ष 2018 से फरवरी, 2021 की अवधि में 01 वेस्ट चिरमिरी खदान अस्थाई रूप से 06-04-2018 से पानी मरा होने के कारण बंद है. (ग) माइंस वलोजर प्लान के अंतर्गत खर्च करने के लिये किसी प्रकार का फण्ड प्राप्त नहीं होता है. अपितु माइंस वलोजर प्लान की गार्ड लाईन अनुसार माइंस वलोजर हेतु निर्धारित राशि को प्रतिवर्ष कोयला नियंत्रण संगठन तथा एस.ई.सी.एल. के संयुक्त एस्को एकाऊण्ट में जमा किया जाता है. अनुमोदित माइंस वलोजर प्लान के अनुसार एस.ई.सी.एल. के द्वारा कार्य कराया जा रहा है. अतः कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है तथा कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

माइनिंग प्लान अनुसार चुना पत्थर का उत्खनन

4. (*क्र. 2757) श्री डमरूधर पुजारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद रायपुर व दुर्ग में वर्ष 2019-20 के माइनिंग प्लान के अनुसार मुख्य खनिज चुना पत्थर का कितना उत्खनन किया जाना था ? उससे कितनी रायल्टी प्राप्त होनी थी व कितना उत्खनन किया गया और कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है व कितनी शेष है ? (ख) क्या यह सही है, कि निजी ठेकेदारों से रायल्टी अधिक दर से वसूली किए जाने के संबंध में नियम इस वित्तीय वर्ष में बनाए गए हैं ? यदि हां, तो क्या नियम बनाए गए हैं व क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) गरियाबंद जिले में मुख्य खनिज चुनापत्थर के खनिपट्टा स्वीकृत नहीं हुआ है. माइनिंग प्लान अनुसार खनन उपरांत माइनिंग लीज क्षेत्र से निकास किये गये अथवा खपत किये गये चुनापत्थर पर रायल्टी देय होती है. रायपुर व दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2019-20 में खनिपट्टा क्षेत्र से निकास किये गये मात्रा एवं उस पर प्राप्त रायल्टी की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. कोई रायल्टी लिया जाना शेष नहीं है. (ख) जी नहीं. प्रश्नांकित अवधि वित्तीय वर्ष 2019-20 में निजी ठेकेदारों से रायल्टी अधिक दर से वसूली के संबंध में कोई नियम नहीं बनाया गया है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजना से प्राप्त

5. (*क्र. 2668) **श्री अरूण बोर** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित सभी योजना में कितनी राशिका आबंटन प्राप्त हुआ ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) आबंटित राशि कितने कार्य कितनी लागत से कराये गये ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरू रुद्र कुमार) : (क) प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग को 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित सभी योजनाओं में कुल राशि रुपये 212831.81 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत बजट से विभाग को आबंटन प्राप्त हुआ है। जिलेवार आबंटन प्राप्त नहीं होता है अपितु विभाग को प्राप्त आबंटित राशि से जिलों को राशि आबंटित की जाती है। (ख) विभाग द्वारा जिलों को आबंटित की गई राशि के विरुद्ध पूर्ण कराये गये कार्यों की जानकारी एवं उन पर किये गये व्यय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

तेन्दूपत्ता क्रय विक्रय का भुगतान

6. (*क्र. 2781) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विभाग के द्वारा तेन्दूपत्ता का संग्रहण करवाया जाता है? यदि हाँ, तो प्रति मानक बोरे कितनी राशि दी जाती है? वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 से दिनांक 28-02-2021 तक कुल कितने मानक बोरे का संग्रहण किया गया है व कितनी राशि का भुगतान तेन्दूपत्ता संग्राहकों को किया गया है व कितनी राशि का भुगतान तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दिया गया एवं कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? उक्त वर्षों में तेन्दूपत्ता विक्रय से शासन का कितना लाभ हुआ है? जिलेवार व वर्षवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश क की अवधि में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को कितनी राशि बोनरस के रूप में दी गई है तथा कितनी राशि दी जानी शेष है? कब तक दी जावेगी? वित्तीय वर्ष में जिलेवार जानकारी दें? (ग) संग्रहण राशि के अलावा अन्य क्या-क्या सुविधायें संग्राहकों को दी जाती है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) तेन्दूपत्ता का संग्रहण छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है। वित्तीय वर्षवार एवं जिलेवार संग्रहण दर, तेन्दूपत्ता संग्रहकों से क्रय की गई मात्रा, निर्धारित संग्रहण दर से भुगतान की गई राशि एवं शेष राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है। तेन्दूपत्ता विक्रय से होने वाले शुत्र लाभ का 80 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2018-19 हेतु शुत्र लाभ वाली समितियों के संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। शासन द्वारा तेन्दूपत्ता के व्यापार से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जाता है। (ख) प्रश्नांश क की अवधि में तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की भुगतान की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है। वर्ष 2018-19 के केवल उन्ही संग्रहकों का भुगतान शेष है, जिनके खाते बैंक में नहीं खुले हैं। खाता खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके उपरांत भुगतान कर दिया जावेगा। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु शुत्र लाभ वाली समितियों के संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान शेष है। तेन्दूपत्ता के विक्रय के पश्चात् गणना उपरांत लाभ वाली समितियों के संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रदान किया जावेगा। (ग) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा वनोपज संग्रहण व तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में संलग्न मजदूरों/संग्रहकों व सदस्यों को पारिश्रमिक राशि दिये जाने के अलावा प्रदाय सुविधायें एवं लाभ का प्रावधान संबंधी विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में है।

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि पंपों की स्वीकृति

7. (*क्र. 135881) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में माह मार्च, 2019 से माह जनवरी, 2021 तक कुल कितने कृषि पंप स्वीकृत किये गये हैं? (ख) क्या स्वीकृत कृषि पंपों हेतु कार्यादेश जारी किये गये हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में ग्रिड माध्यम से कुल 2,591 तथा ऑफ ग्रिड माध्यम से सौर सृजला योजना के अंतर्गत सोलर के 51 कृषि पंप स्वीकृत किये गये हैं। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में 235 कृषि पंपों को विद्यमान लाइन से कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है। शेष 2,356 आवेदनों (2591-235) में से, 1,426 कृषि पंपों हेतु कार्यादेश जारी किये गये हैं। भुगतान नहीं किये जाने के कारण 187 आवेदन निरस्त किये गये हैं एवं कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने हेतु 743 आवेदन लंबित हैं। ऑफ ग्रिड माध्यम से सौर सृजला योजना के अंतर्गत सोलर के 51 कृषि पंपों हेतु अनुदान स्वीकृत आदेश जारी किये जा चुके हैं।

धमतरी जिले में केशर प्लांट हेतु प्रदत्त अनापत्ति

8. (*क्र. 2785) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में किन-किन स्थानों में पर्यावरणीय स्वीकृति पश्चात् खनिज विभाग के द्वारा पत्थर खनन या केशर प्लांट हेतु अनापत्ति जारी की गई है? ठेकेदार के नाम, स्थान का नाम, जमीन मालिक का नाम, खसरा नं. सति कितने वर्षों के लिए की गई है? (ख) पत्थर खनन हेतु खनिज विभाग को कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धमतरी जिले में खनिज पत्थर हेतु स्वीकृत उत्खनन पट्टों, केशर अनुज्ञापत्र की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) पत्थर खनन हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु अनुमोदित उत्खनन योजना तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है.

ठेकेदारों से रायल्टी शुल्क वसूली के नियमों में परिवर्तन

9. (*क्र. 2765) **श्री धरमलाल कौशिक (श्री बृजमोहन अग्रवाल)** : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि निर्माण विभागों में कार्यरत ठेकेदारों के रॉयल्टी शुल्क लेने के नियमों में परिवर्तन हुआ है एवं बाजार दर से चार गुना अधिक लिये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो नियमों में क्या, कब और क्यों परिवर्तन किया गया है? आदेश सहित जानकारी दें? (ख) क्या इस संबंध में ठेकेदारों के द्वारा शिकायत/आवेदन दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा आवेदन दिये गये हैं व उस पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले के माईनिंग प्लान से अधिक उत्खनन एवं रॉयल्टी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो जिलेवार मुख्य खनिज चूनापत्थर का वार्षिक प्लान अनुसार कितना उत्खनन होना था और कितनी रॉयल्टी मिलती थी? जिलेवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं, निर्माण विभागों में कार्यरत ठेकेदारों से रॉयल्टी शुल्क लिये जाने के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. अपितु शासकीय निर्माण ठेकेदार द्वारा उपयोगिता खनिज के वैद्यता के संबंध में संबंधित कलेक्टर से रायल्टी चूकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में खनिज का बाजार मूल्य लिये जाने के प्रावधान दिनांक 26.06.2020 से किया गया है. पूर्व में निर्माण विभागों द्वारा मात्र रायल्टी राशि काटकर अंतिम बिलों का भुगतान कर दिया जाता था. उपरोक्त संशोधन रायल्टी के अतिरिक्त अन्य करों के साथ-साथ खनिजों के वैद्य स्रोतों से ही क्रय कर उपयोग किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति किये जाने हेतु किया गया है. (ख) जी हां, श्री अतुल सिंह, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कान्स्ट्रक्टर एसोसिएशन रायपुर, तथा श्री हरदीप कोसर, रायपुर द्वारा शिकायत किया गया है. शासन स्तर पर खनिज साधन विभाग तथा निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त बैठक कर निर्णय लिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है. (ग) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में किसी भी जिले में मुख्य खनिज चूनापत्थर का मायनिंग प्लान से अधिक उत्खनन नहीं किया गया है. शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है.

राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में जल प्रदाय योजना की स्थिति

10. (*क्र. 2448) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 26.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में समूह जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है? यदि हां, तो कितने गांवों में जल प्रदाय हेतु कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? कितनी क्षमता की पानी टंकियों का निर्माण कहां-कहां किया गया है? एनीकट जलाशय हंटकवेल प्रस्तावित स्थल पर ही बनाया गया है या स्थल परिवर्तन किया गया है? क्या उक्त इंटकवेल स्थल पर जल संग्रहण हो रहा है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? निर्माण की उद्यतन जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : जी हां. 26.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में समूह जल प्रदाय योजना निर्माणाधीन है. 24 गांवों में जल प्रदाय हेतु किये गये कार्य एवं पूर्ण कार्य की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है. टंकी की क्षमता एवं स्थान की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है. जी हां. एनीकट जलाशय इंटकवेल प्रस्तावित स्थल परिवर्तन किया गया है. जी नहीं. वर्तमानल में इंटकवेल स्थल पर जल संग्रहण नहीं हो रहा है. नदी में जल प्रवाह नहीं होने के कारण जल संग्रहण नहीं हो रहा है. निर्माण की अद्यतन जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार है.

जिला जांजगीर चांपा में जीर्ण-शीर्ण एवं ओवरलोड वाहन पर कार्यवाही

11. (*क्र. 2753) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में 01 जनवरी, 2019 से 25 फरवरी, 2021 तक विभाग द्वारा मोटर एक्ट के तहत कितने जर्जर, जीर्ण-शीर्ण एवं ओवरलोड ट्रक, हाईवा एवं अन्य वाहनों को पकड़ा गया है? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में परिवहन विभाग द्वारा इन वाहन मालिकों के वियद्ध एवं वाहनों के जर्जर व क्षमता से अधिक (ओवरलोड) माल के ढुलाई किये जाने के कारण कितने वाहनों को उक्त जिले में राजसात किये जाने की कार्यवाही की गई है? (ग) क्या उक्त जिलों में जर्जर वाहनों व क्षमता से अधिक (ओवरलोड) सामग्री हो जाना एवं प्रदूषण मुक्त सामग्री की ढुलाई को रोकने हेतु कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई है एवं उक्त जिलों में क्षमता से अधिक (ओवरलोड) को रोकने एवं जांच करने हेतु कितने धरमकांटा कहां-कहां पर लगाये गये हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जांजगीर चांपा जिले में 01 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2021 तक विभाग द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जर्जर, जीर्ण-शीर्ण वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं ओवरलोड ट्रेक, हाईवा एवं अन्य वाहनों पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है। (ख) जी नहीं। (ग) जांजगीर-चांपा जिले में जर्जर वाहनों व क्षमता से अधिक (ओवरलोड) सामग्री ले जाने एवं प्रदूषण युक्त सामग्री की ढुलाई को रोकने हेतु परिवहन उड़नदस्ता कोरबा द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है एवं क्षमता से अधिक (ओवरलोड) को रोकने एवं जांच करने हेतु धरमकांटा लगाये जाने की कार्ययोजना प्रक्रियाधीन है।

अचानकमार व इ1721वती टायरगर रिजर्व वन मण्डलों में आमंत्रित निविदाओं में भण्डार क्रय नियमों का पालन न करने पर कार्यवाही

12. (*क्र. 2769) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व व उदती टायरगर रिजर्व गरियाबंद व धमतरी वन मण्डल के द्वारा विधानसभा प्रश्न क्रमांक 892, दिनांक 29 दिसंबर, 2020 में दी गई जानकारी अनुसार वर्ष 2019-20 में आमंत्रित निविदाओं में भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है तथा नियमों के अनुसार निविदा फॉर्म की बिक्री और निविदा फॉर्म जमा करने की तिथि में निर्धारित समय अवधि से कम अवधि दी गई है? यदि हां, तो किन-किन निविदाओं में इस प्रकार किया गया है? दोषी कौन है व उस पर क्या कार्यवाही की गई है? कुल कितनी राशि का क्या-क्या कार्य निविदाओं के माध्यम से किया गया है? भण्डार क्रय नियमों में निविदाकर्ता की फार्म जमा करने कितने दिन का समय दिया जाना अनिवार्य है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जांजगीर-चांपा का गौरेला-पेंडा-मरवाही जिले में क्रेडा विभाग द्वारा सामग्री क्रय

13. (*क्र. 113) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चांपा जिले और गौरेला-पेंडा-मरवाही लि में जिला खनिज न्यास मद से प्राप्त राशि से क्रेडा विभाग द्वारा पिछले दो वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 26.01.2021 तक किस-किस एजेंसी को कौन-कौन से कार्य और कौन-कौन सी सामग्री खरीदी के लिए कितनी-कितनी राशि का भुगतान दिनांक 26.01.2021 तक किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जिला खनिज न्यास निधि से वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में दिनांक 26.01.2021 तक क्रेडा द्वारा जिला जांजगीर-चांपा एवं जिला गौरेला-पेंडा-मरवाही में एजेंसीवार किए गए कार्यों/क्रय की गई सामग्रियों एवं किए गए भुगतान की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

जिला राजनांदगांव के अंतर्गत अवैध प्लानिंग की शिकायतों की जांच

14. (*क्र. 2687) **श्री देववत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला राजनांदगांव की तहसील खैरागढ़, खुईखदान एवं गंडई में अवैध प्लानिंग के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? तथा नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर अवैध प्लानिंग के तहत भूमि का बटांकन किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जिला राजनांदगांव अंतर्गत अवैध प्लानिंग के खैरागढ़ निवेश क्षेत्र में 160 प्रकरण, खुईखदान निवेश क्षेत्र में 286 प्रकरण एवं गंडई निवेश क्षेत्र में 03 प्रकरण इस प्रकार कुल 449 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा नगरीय निकाय क्षेत्र के बाहर अवैध प्लानिंग के तहत बटांकन किए जाने के संबंध में कुल 07 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी कर्मचारियों पर कार्यवाही

15. (*क्र. 2660) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारि कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवाएं समाप्त करने संबंधी आदेश/निर्देश/ज्ञापन कब-कब जारी किये गये? इन निर्देशों के पालन में मंत्रालयीन सेवा में कार्यरत कितने पर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी/अधिकारी की सेवाएं इस वर्ष समाप्त की गईं? (ख) शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न करने के क्या कारण हैं? पृथक-पृथक ब्यौरा दें? (ग) क्या यह सही है, कि कुछ फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न कर उन्हें भारत सरकार के सर्कुलर के आधार पर सामान्य वर्ग में मान लिया गया है? यदि हां तो क्या भारत सरकार ने अपने सर्कुलर को वापस ले लिया है? यदि हां, तो किस आधार पर सामान्य वर्ग में मान्य किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र धारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने संबंधी परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/2006/1-3 दिनांक 15 जून, 2007, परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2009/1-3, दिनांक 24 जुलाई, 2008, क्रमांक एफ 13-1/2009/1-3 दिनांक 19 अगस्त, 2009, क्रमांक एफ 13-21/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.10.2013, निर्देश क्रमांक एफ 13-21/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 01.04.2015, परिपत्र क्रमांक एफ 13-21/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 31.07.2015, निर्देश क्रमांक एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 20 नवम्बर, 2015, परिपत्र क्रमांक एफ 13-21/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2016, परिपत्र क्रमांक एफ 13-21/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 30.08.2016 समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.08.2018, परिपत्र क्रमांक एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3 26.10.2019, परिपत्र क्रमांक एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 30.11.2019, क्रमांक एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 05.12.2020 क्रमांक एफ 14-12/2005आ.प्र./1-3 दिनांक 16.12.2020 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13-16/2015/आ.प्र./1-3 दिनांक 04.02.2021 जारी किये गये हैं. इन निर्देशों के पालन में मंत्रालयीन सेवा में कार्यरत फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी किसी भी कर्मचारी/अधिकारी की सेवाएं इस वर्ष समाप्त नहीं की गई है. (ख) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ग) भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 36012/12/2013-Estt.(Res) दिनांक 08.04.2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10387-10388 तथा एस. एल. पी. क्रमांक 18555-18556/2019 एस. जी. बारापत्रे एवं श्री अंता गजानन गायकी के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2018 का हवाला देते हुए हल्बा कोष्टी/कोष्टी/हल्बा समुदाय के ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति दिनांक 28.11.2000 के पूर्व हुई है उनको दिनांक 28.11.2000 के पश्चात् सामान्य नियुक्त श्रेणी मान्य किया गया था. उक्त के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2011/आ.प्र./1-3 दिनांक 03.06.2020 में उक्त निर्णय का हवाला देते हुए परिपत्र जारी किया गया था.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 36012/12/2013-Estt.(Res) दिनांक 24 जुलाई, 2020 द्वारा अपने पूर्व में जारी समसंख्यक कार्यालयीन पत्र दिनांक 08-04-2019 को वापस ले लिया गया है. इस संबंध में इस विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2011/आ.प्र./1-3 दिनांक 03-06-2020 में आवश्यक संशोधन किये जाने तथा उक्त जातियों के कर्मचारियों की सेवाएं संरक्षित होंगी अथवा नहीं, के संबंध में विधि और विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया है. विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र दिनांक 11.01.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि सुसंगत दस्तावेजों को इस विभाग के पत्र क्रमांक 416 दिनांक 08-01-2021 के माध्यम से प्रकरण में महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके अमूल्य अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया है. विधि और विधायी कार्य विभाग से उनका अभिमत अप्राप्त है. प्रकरण अभी उक्त जातियों के कर्मचारियों को सामान्य वर्ग माना जाये अथवा नहीं प्रक्रियाधीन है.

राजनांदगांव जिले में संचालित लाल ईट मट्टे

16. (*क्र. 2017) **श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में कुल कितने लाल ईट निर्माण मट्टा संचालित हैं? उनमें से वर्ष 2020 से 20-2-2021 तक कितने मट्टों की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा की गई है? स्थापन खसरा नं. रकबा मट्टा संचालक का नाम जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार वर्तमान में कितने मट्टों द्वारा पर्यावरण विभाग के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है? मट्टावार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांक “क” एवं “ख” अनुसार संचालित ईट मट्टों द्वारा क्या पर्यावरण नियमों का पालन किया जा रहा है? जिले में वर्ष 2019-20 से 2021 में अवैध ईट मट्टा के संचालन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए व उनसे कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) उप संचालक (खनि. प्रशा.) जिला-राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार राजनांदगांव जिले में वर्तमान में 16 लाला ईट निर्माण मट्टा संचालित हैं. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) राजनांदगांव के अधिकारी द्वारा उक्त सभी लाल ईट निर्माण मट्टों का निरीक्षण किया गया है. उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों द्वारा केवल 01 लाल ईट निर्माण मट्टा का निरीक्षण किया गया है. उक्त 16 संचालित लाल ईट मट्टों का नाम एवं पता संचालक का नाम, खसरा नं. एवं रकबा संबंधी जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तथापि जल (प्रदूषण तथा

नियमत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत जल एवं वायु सम्मति दी जाती है। 16 में से 11 लाल ईट निर्माण भट्टों द्वारा प्राप्त सम्मति की सूची प्रपत्र "ब" पर संलग्न है। (ग) जी नहीं। 16 में से 05 लाल ईट भट्टों द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त नहीं की गई है, प्रश्नांश ख में उल्लेखित 11 में से 03 लाल ईट भट्टों द्वारा सम्मति का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। चूककर्ता सभी 08 लाल ईट भट्टों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश जारी कर उत्पादन बंद कराया गया है। इनसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खादी ग्रामोद्योग विभाग में संचालित योजना के तहत लोन वितरण

17. (*क्र. 2737) **श्री प्रकाश शंकाजीत नायक** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खादी ग्रामोद्योग विभाग में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 से 28.02.2020 तक लोन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदन के विरुद्ध कितना लोन स्वीकृत किया जा चुका है? (ख) उक्त योजना के तहत लोन वितरण हेतु कितना लक्ष्य था? बैंकवार जानकारी दें? (ग) क्या खादी ग्रामोद्योग के तहत ऋण राशि में सब्सिडी का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत? कितने हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा चुका है?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गरु रुद्र कुमार) : (क) छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 से 28.02.2021 तक प्राप्त लोन के आवेदन एवं आवेदन के विरुद्ध स्वीकृत लोन की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवेदन			स्वीकृत आवेदन एवं राशि		
		वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (28-02-2021 तक)	आवेदन संख्या	स्वीकृत प्रोजेक्ट	अनुदान राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PMEGP	127	67	137	111	695.67	155.76
2.	CMEGP	41	38	28	8	64.00	22.40
योग		168	125	165	149	759.67	178.16

(ख) उक्त योजना के तहत लोन वितरण हेतु जिला रायगढ़ का वर्षवार लक्ष्य निम्नानुसार है। बैंकवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		इकाई संख्या	अनुदान राशि (लाख में)	इकाई संख्या	अनुदान राशि (लाख में)	इकाई संख्या	अनुदान राशि (लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PMEGP	127	67	137	111	695.67	155.76
2.	CMEGP	41	38	28	8	64.00	22.40
योग		168	125	165	149	759.67	178.16

(ग) हां खादी ग्रामोद्योग के तहत ऋण राशि में सब्सिडी का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु अजा, अजजा, अपिव एवं सामान्य महिला वर्ग की परियोजना लागत का 35 प्रतिशत एवं सामान्य के पुरुष वर्ग को 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 149 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा चुका है।

प्रदेश में ओव्हर लोड वाहनों को रोकने हेतु परिवहन विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकियों तथा उड़नदस्तों द्वारा अर्जित दंड राशि

18. (*क्र. 34) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में ओव्हर लोड तथा अन्य नियमों के उल्लंघन से रोकने हेतु परिवहन विभाग द्वारा कुल कितनी जांच चौकियां तथा उड़न दस्तों की स्थापना की गई है? नाम, जांच अधिकारी क्षेत्र सहित पृथक-पृथक बतावें? (ख) अपनी स्थापना तिथि से प्रश्नाधीन अवधि तक इन जांच चौकियों तथा उड़न दस्तों द्वारा कितनी दंड राशि शाकसीय कोषालय में जमा की गई है? पृथक-पृथक बतावें? (ग) क्या इन जांच चौकियों एवं उड़न दस्तों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा कोई निरीक्षण की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो तिथिवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में ओव्हर लोड तथा अन्य नियमों के उल्लंघन से रोकने हेतु परिवहन विभाग द्वारा कुल 16 जांच चौकियां तथा 07 उड़नदस्तों की स्थापना की गई है. नाम, जांच अधिकारी क्षेत्र सहित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) अपनी स्थापना तिथि से प्रश्नाधीन अवधि तक इन जांच चौकियों तथा उड़न दस्तों द्वारा कुल रु. 59,69,17,320/- की दंड राशि शाकसीय कोषालय में जमा की गई है. पृथक-पृथक विस्तृत विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. (ग) जी हां. विस्तृत विवरण † संलग्न प्रपत्र “स” में है.

भानुप्रतापपुर पश्चिम वनमण्डल में सामग्री क्रय

19. (*क्र. 2530) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 02 वर्षों में भानुप्रतापपुर पश्चिम वनमंडल में कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी राशि की किस-किस माध्यम से खरीदी गई? (ख) कितनी राशि का भरुगतान नगद एवं कितने को बैंक के माध्यम से किया गया? फर्म के नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराये?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) विगत 02 वर्षों में अर्थात् दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2020 तक में प्रथम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19) निविदा एवं कोटेशन के माध्यम से क्रय सामग्री की चाही गयी जानकारी परिशिष्ट-01 में तथा द्वितीय वर्ष (द्वितीय वर्ष 2019-20) निविदा एवं कोटेशन के माध्यम से क्रय सामग्री की चाही गयी जानकारी परिशिष्ट-02 में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “ख” की चाही गयी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 एवं परिशिष्ट-02 में दर्शित है.

गोमर्डा अभ्यारण में मकुरा पहुंच मार्ग का निर्माण

20. (*क्र. 508) **श्री किस्मतलाल चन्द** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गोमर्डा अभ्यारण अंतर्गत सामान्य वन मंडल सारंगढ़ द्वारा वर्ष 2018-19 में मकुरा पहुंच मार्ग कितनी लागत से बनाया गया एवं किस फर्म को कितना भुगतान किया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : गोमर्डा अभ्यारण अंतर्गत मकुरा पहुंच मार्ग नहीं आता. फर्म को भुगतान का प्रश्नक ही उपस्थित नहीं होता.

बिजली बिल हाफ एवं माफ योजना से लाभान्वित उपभोक्ता

21. (*क्र. 2779) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2019 से दिनांक 28-2-21 तक कितने लोगों की बिजली बिल हाफ की गई? इस योजना में हाफ बिल का लाभ कितने उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है? जिलेवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यन्यूट तक विद्युत की खपत पर देय बिल की राशि को आधा किये जाने की योजना-बिजली बिल हॉफ योजना राज्य में 01 मार्च 2019 से लागू है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अद्यतन माह दिसम्बर 2020 तक का ही राजस्व प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया है. अतः दिसम्बर 2020 की स्थिति में उक्त योजना के अंतर्गत 38,83,562 उपभोक्ताओं की बिजली बिल हॉफ की गयी. इस अवधि में माह मार्च 2019 से माह दिसम्बर 2020 तक प्रदेश के घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को राशि रुपये 1323.09 करोड़ का लाभ दिया गया है. उक्त योजनांतर्गत लाभान्वित 38,83,562 उपभोक्ताओं एवं प्रश्नाधीन अवधि में दिये गये छूट की राशि की जिलेवार जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

बजाग मार्ग का उन्नयन

22. (*क्र. 956) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कबीरधाम जिले के अंतर्गत पंडरिया-बजाग मार्ग पर पोलमी घाट से भाकुर घाट तक रोड निर्माण हेतु भारत सरकार वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? (ख) क्या उक्त मार्ग का उन्नयन कार्य बिना वन विभाग की स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है? (ग) क्या उपरोक्त रोड पर वन संपदा का उत्खनन पाया गया व उत्खनित मात्रा का उपयोग रोड निर्माण में उपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं दोषी कौन है, दोषी पर क्या कार्यवाही की गई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) केबीरधाम जिले के अंतर्गत पंडरिया-बजाग मार्ग पर पोलमी घाट से भाकुर घाट तक रोड निर्माण हेतु वर्ष 1994-95 में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-36/94×95 दिनांक 03.08.1995 एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-36/94-एफ सी. दिनांक 26.03.1996 के द्वारा पंडरिया बजाग मार्ग के कि.मी. 27 से 37 के निर्माण हेतु 15.00 हे. वन भूमि में कार्य कराने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. (ख) उक्त मार्ग का उन्नयन कार्य बिना वन विभाग की स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है. (ग) उपरोक्त रोड पर वन संपदा का उत्खनन नहीं पाया गया. अतः उत्खनित मात्रा का उपयोग रोड निर्माण किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला रायगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ एव रायगढ़ में वृक्षारोपण हेतु क्रय सामग्री एवं भुगतान

23. (*क्र. 353) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमण्डल रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ में वर्ष 2019 से जनवरी, 2021 तक की अवधि में वृक्षारोपण कार्य हेतु कितना उर्वरक गोबर खाद, पोल एवं कांटा तार खरीदा गया है? (ख) प्रश्नांश ख के कार्यों में किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? परिक्षेत्रावार जानकारी दें? (ग) क्या उक्त अवधि में वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. (ग) उक्त अवधि में वित्तीय अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

बिलासपुर में अचानकमार अंतर्गत वन्य प्राणियों की मौत

24. (*क्र. 203) श्री शैलेश पाण्डे : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर के अचानकमार के जंगल में कितने वन्यप्राणी हैं? (ख) वन्य प्राणियों की देख रेख के लिए शासन की क्या-क्या व्यवस्था है? (ग) पिछले 2 वर्षों में कितने वन्य प्राणियों की मौत किस-किस कारण से हुई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2018 में की गई बाघ गणना में अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत 05 बाघों का आंकलन किया गया है. बाघ के अलावा अन्य किसी वन्यप्राणी की गणना नहीं की जाती है, उनकी उपस्थिति वैज्ञानिक संसाधनों के माध्यम से आंकलन किया गया है. (ख) अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी अंतर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा तथा रख-रखाव हेतु 81 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है. साथ ही 263 सुरक्षा श्रमिक (पैदलगार्ड, बैरियर गार्ड, वायरलेस आपरेटर, वाहन चालक) कार्यरत है. अचानकमार टायगर रिजर्व के वनक्षेत्रों में जॉच टॉवर पेट्रोलिंग कैम्प तथा चेकपोस्ट तथा स्थायी वायरलेस सेट स्थापित किया गया है. पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों के द्वारा नियमित रूप से वनक्षेत्रों का सतत भ्रमण एवं गश्त किया जाता है. नियमित रूप से रात्रि गश्त किया जाता है. (ग) अचानकमार टायगर रिजर्व लोरमी में पिछले 02 वर्षों में 08 वन्यप्राणियों की मौतें हुई हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	वन्यप्राणी का नाम	मृत्यु का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2019	बायसन	दुर्घटनावश
2.		मादा चीतल	लवारिसा कुत्तों के काटने से
3.		मादा तेन्दुआ	अवैध शिकार
4.		सुअर	अवैध शिकार

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	2020	नर चीतल	जंगली कुत्तों के द्वारा शिकार
6.		चीतल	अवैध शिकार
7.		चीतल	अवैध शिकार
8.		चीतल	अवैध शिकार

नगरी विकासखण्ड के ग्राम-लिजांज और बरपदर में विद्युत व्यवस्था

25. (*क्र. 1826) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगरी ब्लॉक के ग्राम-लिजांज और बरपदर में बिजली की व्यवस्था है? (ख) यदि नहीं, तो कब तक बिजली का सुविधा प्रदान की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां. धमतरी जिले के विकासखण्ड नगरी के ग्राम-लिजांज और बरपदर वर्तमान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (सौर ऊर्जा) से विद्युतीकृत हैं. (ख) उत्तरांश क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य

1. (क्र. 354) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ में कैम्पामद से वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2021 तक किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? परिक्षेत्रावार जानकारी दें। (ख) प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई है ? (ग) क्या पहुंच विहिन मार्गों हेतु राशि का उपयोग किया गया है ? यदि हां तो मार्गवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ग) जी नहीं। प्राप्त राशि से पहुंच विहिन मार्गों हेतु राशि का उपयोग नहीं किया गया है।

बालको संयंत्र द्वारा पर्यावरण नियमों का पालन संबंधी निरीक्षण

2. (क्र. 1104) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिला स्थित बालको एल्युमिनियम संयंत्र द्वारा निर्माण प्रक्रिया के दौरान एल्युमिनियम पाट में कार्बन और अन्य कौन से जहरीले धातु का उपयोग किया जाता है ? इन धातुओं के नष्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित है ? (ख) वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में इस प्रक्रिया के पालन के संबंध में कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोरबा जिला स्थित बालको एल्युमिनियम संयंत्र द्वारा निर्माण प्रक्रिया के दौरान एल्युमिनियम पॉट में कार्बन लाईनिंग को कैथोड के रूप में एवं कार्बन का एनोड उपयोग में लाया जाता है, जबकि पॉट में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में एल्युमिना (Al_2O_3) एवं फ्लोराइड (Na_3AlF_6) का ही उपयोग किया जाता है, जो कि जहरीले धातुओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वस्तुतः 5 से 6 वर्ष उपयोग के पश्चात् अपशिष्ट के रूप में कार्बन कैथोड स्पेट पॉट लाईनिंग (SPL) के रूप में उत्पन्न होता है, जिसमें फ्लोराइड एवं सायनाइड यौगिक आदि पाया जाता है, जो कि विषाक्त होते हैं। मेसर्स बालको द्वारा स्पेट पॉट लाईनिंग में उपस्थित विषाक्तता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुसार डिटॉक्सीफिकेशन करने हेतु अधिकृत इकाईयों को प्रदान किया जाता है। (ख) मेसर्स बालको कोरबा का वर्ष 2019 एवं 2020 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के कोरबा कार्यालय में पदस्थ वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 09-05-2019, 23-08-2019, 27-11-2019, 07-01-2020, 18-05-2020, 14-10-2020 को, वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ द्वारा दिनांक 29-03-2019, 20-06-2019, 26-09-2019 को एवं सहायक अभियंता तथा रसायनज्ञ द्वारा दिनांक 29-06-2019 को निरीक्षण किया गया।

जिला धमतरी अंतर्गत पौधा रोपण

3. (क्र. 1825) डॉ. लक्ष्मी धुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से दिनांक 20-02-2021 तक कहां-कहां, कौन-कौन से पौधे, कितनी संख्या में किस योजना अथवा मद के द्वारा रोपण किया गया? वर्तमान में कितने पौधे जीवित अवस्था में हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है।

जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि

4. (क्र. 1864) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोशी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला को वर्ष 2020-21 में जिला खनिज न्यास निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? (ख) कोटा एवं मरवाही विधानसभा क्षेत्र में जिला खनिज न्यास निधि से उक्त अवधि में कितने कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) राज्य सरकार के द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला को वर्ष 2020-21 में जिला खनिज न्यास निधि के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। तथापि उक्त अवधि में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला को जिला खनिज न्यास निधि को राशि 720.20 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। (ख) कोटा एवं मरवाही विधानसभा क्षेत्र में जिला खनिज न्यास निधि से 46 कार्यों के लिए 12.00 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है।

बेमेतरा जिले के नगरीय निकायों में भवनों का नियमितीकरण

5. (क्र. 2211) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 में नगरीय निकायों में भवन नियमितीकरण हेतु बेमेतरा जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुये थे? (ख) प्रश्नांश “क” अंतर्गत बेमेतरा नगर पालिका एवं नगर पंचायत बेरला के कितने आवेदनों में से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये तथा कितने आवेदन किन-किन कारणों से निरस्त किये गये?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) 364 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। (ख) बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के कुल 297 आवेदनों में से 119 को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 178 आवेदन निरस्त किये गये हैं। बेरला नगर पंचायत क्षेत्र के कुल 03 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्वीकृति प्रदान की गई। आवेदन पत्रों को निरस्त करने संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है।

बेमेतरा विधान सभा में डायवर्सन एवं ले-आऊट के लंबित प्रकरण

6. (क्र. 2212) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में डायवर्सन एवं ले-आऊट के कितने प्रकरण माह जनवरी, 2021 तक लंबित हैं? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाएगा?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) बेमेतरा जिले में डायवर्सन संबंधित प्रकरणों पर अभिमत हेतु कोई प्रकरण लंबित नहीं है। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 एवं 29 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा के 09 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। (ख) आवेदकों से चाही गई जानकारी प्राप्त होने पर यथाशीघ्र।

नया रायपुर में सर्वधर्म समाज के नागरिकों को बसाने संबंधी योजना

7. (क्र. 2356) **डॉ. रेणु अजीत जोशी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा नया रायपुर में सर्वधर्म समाज के नागरिकों को बसाने के लिए कोई योजना प्रस्तावित है? (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में कितनी भूमि आरक्षित रखी गई है? और उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए किस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में जल आवर्धन योजना की स्थिति

8. (क्र. 2449) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 26.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में जल आवर्धन योजना निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना की कब तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था? समय पर पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या स्वीकृत बजट में कोई परिवर्तन किया गया है? कब तक जल प्रदाय किया जा सकेगा? कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं कार्यवार व्यय की जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : जी हां। 26.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में जल आवर्धन योजना निर्माणाधीन है। योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 06.10.2015 उपरांत योजना को 03 वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था। समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण, की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है। स्वीकृत बजट में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव (पुनरीक्षित योजना) शासन के पास विचाराधीन है। भौतिक रूप से समस्त पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में दर्रा एनीकट (जहां डोंगरगांव शहर का इंटैकवेल स्थित है) में पानी उपलब्ध नहीं है। पानी उपलब्ध होते ही टेस्टिंग कार्य प्रारंभ कर, जल प्रदाय प्रारंभ किया जावेगा। कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं कार्यवार व्यय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है।

छ.ग. गृह निर्माण मंडल में प्रतिनियुक्ति में कार्यरत कार्यपालन अभियंता

9. (क्र. 2498) श्री मुनेश्वर शोभाराम बघेल: क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में छ.ग. गृह निर्माण मंडल में कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में उनमें पद भरे व कितने पद रिक्त हैं? (ख) उपरोक्त भरे हुए पदों में से कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता के कितने पद अन्य विभाग के प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों से भरे गए हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में कार्यपालन अभियंता के 26 पद एवं सहायक अभियंता के 64 पद स्वीकृत हैं. वर्तमान में कार्यपालन अभियंता के 21 पद भरे हुए हैं, एवं 05 पद रिक्त हैं तथा सहायक अभियंता के 48 भरे हुए हैं तथा 16 पद रिक्त हैं. (ख) मण्डल में कार्यपालन अभियंता के 01 पद पर अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी पदस्थ हैं तथा सहायक अभियंता के पद पर कोई भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं है.

जिला कोण्डागांव में पंजीकृत हस्तकरघा बुनकर समितियां

10. (क्र. 2531) श्री सन्तराम नेताम: क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में कुल कितनी हस्तकरघा बुनकर समितियां पंजीकृत हैं? समिति की स्थापना वर्ष का नाम और स्थान सहित जानकारी दें? (ख) उक्त पंजीकृत समितियों में से कुल कितनी समितियां वर्तमान में कार्य कर रही हैं और कितनी बंद हो चुकी हैं? (ग) समिति बंद होने के क्या कारण हैं? क्या विभाग के द्वारा इनके पुनः प्रारंभ करने हेतु कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : (क) कोण्डागांव जिले में कुल 08 हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियां पंजीकृत हैं. उक्त समितियों का स्थापना वर्ष के नाम और स्थान की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) उक्त पंजीकृत समितियों में से वर्तमान में 03 समितियां कार्य कर रही हैं एवं 05 समितियां बंद हो चुकी हैं. (ग) समिति बंद होने का कारण एवं उक्त समितियों को पुनः प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा किये गये कार्य की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

राज्य शासन द्वारा मुरुम तथा अन्य गौण खनिज के खनन की लीज आवंटन के नियम

11. (क्र. 2688) श्री देवव्रत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य शासन द्वारा मुरुम तथा अन्य गौण खनिज के खनन को लीज आवंटन हेतु नियमों के सरलीकरण करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है? यदि हां, तो जिलों में मुरुम एवं अन्य गौण खनिज के लीज आवंटन कितने दिनों की समय-सीमा में खनन हेतु आवंटित किये जाने का प्रावधान है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां. राज्य सरकार ने निजी भूमि में गौण खनिज के उत्खननपट्टा भूमि स्वामी अथवा उनकी सहमति से आवेदन पत्र के आधार पर उत्खननपट्टा स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन किया गया है. शासकीय भूमि में एनआईटी जारी दिनांक से एक चरण में 35 तथा दो चरण में 50 दिनों के अन्दर उच्चतम बोलीदार घोषित किये जाने का प्रावधान है.

वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा पट्टा गलत तरीके से दिए जाने पर कार्यवाही

12. (क्र. 2709) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उपनिदेशक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के द्वारा पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 10 जुलाई, 2019 को कलेक्टर बीजापुर को भोपालपटनम के खसरा क्रमांक 1/15/1 में रकबा 5 एकड़ वन भूमि का फर्जी तरीके से राजस्व विभाग से पट्टा जारी करवाने व उक्त भूमि वन विभाग के इन्द्रावती टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र मध्य बफर के वन क्रमांक ओ.ए. 1229 के अंतर्गत आने के संबंध में पत्र लिखा गया था? (ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह सही है कि उक्त खसरा क्रमांक पर जमीन को गलत तरीके से पट्टा दिया गया है जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की परिधि में उक्त जमीन आने के कारण यह पट्टा गलत तरीके से दिया जाने का उल्लेख भी किया गया है? यदि हां तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या पट्टा निरस्त कर दिया गया है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) हों, भोपालपटनम तहसील के अंतर्गत खसरा क्रमांक 1/15/1 में 05 एकड़ रकबा को राजस्व विभाग से पट्टा जारी किया गया है। जबकि, यह भूमि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र मद्देइ बफर के वन कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1229 के अंतर्गत आता है। उप निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर ने पत्र क्र. 1866 दिनांक 10-07-2019 द्वारा कलेक्टर बीजापुर को उक्त भूमि वन भूमि होने की जानकारी दी है। (ख) राजस्व विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वन भूमि का गलत तरीके से पट्टा दिया गया है। उप निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर ने पत्र क्र. 1866 दिनांक 10.07.2019, पत्र क्र. 1022 दिनांक 05.03.2021 एवं पत्र क्र. 1064 दिनांक 08.03.2021 द्वारा कलेक्टर बीजापुर को उपरोक्त पट्टा निरस्त करने हेतु लेख किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपटनम को इस कार्यालय के पत्र क्र. 1023 दिनांक 05.03.2021 से प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लेख किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भोपालपटनम ने पत्र क्र. 429/अविअ/वि.स./रीडर/2021 दिनांक 09.03.2021 से सूचित किया गया है कि प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आज दिनांक तक उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया गया है।

रायगढ़ जिले में पेड़ों की अवैध कटाई एवं परिवहन के दर्ज प्रकरण

13. (क्र. 2738) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले अंतर्गत वर्ष 2019-20 से फरवरी 2020-21 में पेड़ों की अवैध कटाई एवं अवैध परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किये गए? (ख) प्रश्नांक “क” के प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायगढ़ जिले अंतर्गत वर्ष 2019-20 से फरवरी 2020-21 में पेड़ों की अवैध कटाई के 3171 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 31 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। (ख) जानकारी † सलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में दर्शित है।

गौण खनिज के बाजार मूल्य के आधार रायल्टी की वसूली

14. (क्र. 2745) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 में खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्र. F 6-42/2012/12, दिनांक 26 जून, 2020 की कंडिका 14 के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में निर्माणी ठेकेदारों से रायल्टी राशि की अग्रिम कटौती बाजार मूल्य के आधार पर किये जाने का निर्देश है? यदि हां तो क्यों? कब से? (ख) कंडिका “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के किन-किन जिला के कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य तय किया गया? बाजार मूल्य निर्धारण के क्या मापदण्ड है? निर्धारित रायल्टी बाजार मूल्य का जिलेवार ब्यौरा दें? (ग) क्या यह सही है कि कंडिका “क” एवं “ख” के परिप्रेक्ष्य में बाजार मूल्य आधारित रायल्टी कटौती करने के निर्देश का समाप्त/शिथिल करने के लिये छ.ग. के पंजीकृत ठेकेदारों ने ज्ञापन सौंपा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी नहीं। निर्माण विभागों में कार्यरत ठेकेदारों से रायल्टी राशि लिये जाने के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अपितु शासकीय निर्माण ठेकेदार द्वारा उपयोगित खनिज की वैधता के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर से रायल्टी चूकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में खनिज का बाजार मूल्य लिये जाने के प्रावधान दिनांक 26.06.2020 से किया गया है। पूर्व में निर्माण विभागों द्वारा मात्र रायल्टी राशि काटकर अंतिम बिलों का भुगतान कर दिया जाता था। उपरोक्त संशोधन रायल्टी के अतिरिक्त अन्य करों के साथ-साथ खनिजों के वैध स्रोतों से ही क्रय कर उपयोग किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति किये जाने हेतु किया गया है। (ख) प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर ने गौण खनिजों का बाजार मूल्य तय कर दिया है। खनिज का बाजार मूल्य का निर्धारण रायल्टी+डी.एम.एफ.+पर्यावरण उपकर+अधोसंरचना विकास उपकर+टी.सी.एस.+उत्खनन एवं लोडिंग चार्ज पट्टेदारों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम 10 प्रतिशत लाभ के आधार पर पिट माउथ वैल्यू (गढ़ा मूल्य) तय किया जाता है जिलेवार जानकारी †† सलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) जी हां। श्री अतुल सिंह, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कान्फेडर एसोसिएशन रायपुर, छत्तीसगढ़ रजिस्टर कान्फेडर एसोसिएशन, दुर्ग तथा श्री हरदीप कोचर, रायपुर द्वारा ज्ञापन किया गया है। शासन स्तर पर अंतर्विभागीय संयुक्त बैठक कर निर्णय लिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बायोमॉस पॉवर प्लांटों द्वारा भूसा के जगह कोयले का उपयोग करने के विरुद्ध कार्यवाही

15. (क्र. 2746) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उरला-सिलतरा (धरसीवा) औद्योगिक क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में कौन-कौन से बायोमॉस आधारित पॉवर प्लांट हैं? इन पॉवर प्लांटों का मासिक औसत उत्पादन क्या है? (ख) कंडिका “क” के पॉवर प्लांटों को औसत उत्पादन के लिए कितनी-कितनी मात्रा में भूसा खपत किए जाने की आवश्यकता है? प्लांटवार ब्यौरा दें? (ग) कंडिका “क” के प्लांटों द्वारा आनाधिकृत रूप से भूसा के जगह कोयला का उपयोग किए जाने की शिकायतों पर क्या कार्यवाही

की गई एवं विभागीय अधिकारी ने इन प्लांटों का वर्ष 2020 में आकस्मिक निरीक्षण कब-कब किया ? किन्हें दोषी पाया गया, और उस पर क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण से प्राप्त जानकारी एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार बॉयोमास पर आधारित पॉवर प्लांट, मासिक औसत उत्पादन संबंधी जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम 04 के अनुसार है. (ग) अनाधिकृत रूप से भूसा की जगह कोयला का उपयोग किए जाने संबंधी शिकायत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त नहीं हुई है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. बॉयोमास पॉवर प्लांटों के आकस्मिक निरीक्षण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. निरीक्षण के दौरान सभी पॉवर प्लांट में स्थिति सामान्य पायी गई, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

कोरिया जिले में जनसंपर्क विभाग में आबटित बजट/व्यय

16. (क्र. 2750) डॉ. **विनय जायसवाल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिला अंतर्गत जनसंपर्क विभाग में 2019-20, 2020-21 में कितने बजट का आबटन किया गया ? (ख) वर्ष 2019-20, 2020-21 में आबटित बजट का व्यय कहां-कहां किया गया ? (ग) उक्त अवधि में जनसंपर्क विभाग द्वारा बजट के व्यय के संबंध में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई क्या ? यदि हुई तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों, कब तक की जावेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) कोरिया जिला अंतर्गत जनसंपर्क विभाग में वर्ष 2019-20 में कुल राशि रु. 33,51,477/- तथा वर्ष 2020-21 में कुल राशि रु. 29,02,708/- का बजट आबटित किया गया. (ख) उक्त आबटित बजट का व्यय अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, कार्यालय-व्यय, प्रचार-प्रसार आदि पर किया गया. आबटित बजट एवं व्यय की पूरक जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) उक्त अवधि में जनसंपर्क विभाग द्वारा बजट के व्यय के संबंध में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

जिला जांजगीर-चांपा में खनिज उत्खनन की प्रदत्त अनुमति

17. (क्र. 2754) श्री **नारायण चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में कितने प्रकार के खनिज को खनन करने की शासन ने अनुमति किन-किन संस्थाओं को कहां-कहां दी है ? (ख) उक्त जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में शासन को खनिज मद से कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है ? (ग) उक्त जिलों में शासन के बिना अनुमति के भी खनिज संसाधनों को अवैध रूप से निकालने के कितने प्रकरण उक्त अवधि में दर्ज हुए हैं ? (घ) अवैध उत्खनन में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में स्वीकृत खनिज रियायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 42 करोड़ 67 लाख 22 हजार 014 रुपये एवं वर्ष 2020-21 (फरवरी 2021 तक) राशि 53 करोड़ 05 लाख 26 हजार 384 रुपये रायल्टी प्राप्त हुआ है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में जिला जांजगीर चांपा में बिना अनुमति के खनिजों के अवैध उत्खनन के कुल 49 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (घ) प्रश्नांश “ग” के परिप्रेक्ष्य में अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो” पर दर्शित है.

वन मंडल जगदलपुर में निर्माण/वानिकी/भंडार/नाशवान सामग्रियों का क्रय

18. (क्र. 2766) श्री **धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सितंबर, नवंबर, 2019 व जुलाई, नवंबर, दिसंबर, 2020 में बस्तर वन मंडल जगदलपुर में निर्माण/वानिकी/भंडार/नाशवान सामग्रियों के क्रय हेतु व बीजापुर एवं धमतरी वन मंडल में निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं में भंडार क्रय नियम के अनुसार, निविदा फार्म की बिक्री की प्रारंभिक तिथि व जमा करने की अंतिम तिथि में भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो दोषी कौन है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : प्रश्नांकित अवधि के दौरान बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के अंतर्गत निर्माण/वानिकी/भण्डार/नाशवान सामग्रियों के क्रय हेतु केवल माह-नवम्बर 2019 एवं माह-जुलाई 2020 में निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें निविदा फार्म बिक्री की

तिथि एवं निविदा खोलने की तिथि के मध्य पर्याप्त समय नहीं दिया गया है तथा बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु मात्र माह-नवम्बर 2019 में निविदा विज्ञापित जारी की गई थी। उक्त आमंत्रित निविदा में वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर द्वारा आवश्यक न्यूनतम समय नहीं दिया गया था, जिसके कारण वनमंडलाधिकारी बस्तर वनमण्डल एवं वनमंडलाधिकारी बीजापुर को भविष्य में भण्डार क्रय नियम का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु निर्देश दिया गया है। धमतरी वनमंडल के द्वारा केवल माह-नवम्बर 2019 में मात्र 02 निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें निविदा फार्म की बिक्री की प्रारंभिक तिथि व जमा करने की अंतिम तिथि में भंडार क्रय नियम का पालन किया गया है, इसमें कोई भी अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है।

वन विभाग द्वारा निविदाओं में भण्डार क्रय नियमों का पालन

19. (क्र. 2770) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वन विभाग के द्वारा की जाने वाली खरीदी में भंडार क्रय नियम का पालन करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो नियमानुसार निविदाकार को फार्म लेने और जमा करने के बीच में कितने दिन का समय देना अनिवार्य है ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्न क्रमांक 892 दिनांक 29 दिसंबर, 2020 में दिए गए उत्तर अनुसार इन्द्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में भवन निर्माण कार्य के संबंध में निविदा फार्म बिक्री की प्रारंभिक तिथि व निविदा जमा करने की अंतिम तिथि में मात्र 7 दिन का समय दिया गया है ? क्या यह भंडार क्रय नियम का उल्लंघन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) हां, वन विभाग द्वारा की जाने वाली खरीदी में भण्डार क्रय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। भण्डार क्रय नियम 2002 के नियम 4.5 में निविदा हेतु समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित है :-

1.	सीमित निविदा पद्धति	-	15 दिन
2.	खुली निविदा (50,000/- से अधिक रु. 10.00 लाख तक)	-	21 दिन
3.	खुली निविदा (रु. 10.00 लाख से अधिक के लिये)	-	30 दिन
4.	ग्लोबल निविदा	-	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञापित प्रकाशन की तिथि से होगी। (ख) हां, यह सही है कि प्रश्न क्रमांक 892 दिनांक 29 दिसम्बर 2020 में दिये गये उत्तर अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भवन निर्माण में उपयोग हेतु सामग्रियों के संबंध में निविदा फार्म की बिक्री की प्रारंभिक तिथि 14-11-2019 से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20-11-2019 तक 07 दिन का समय दिया गया था, जो क्रय नियम में निर्धारित समय से कम है अतः भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन है। इस आमंत्रित निविदा में मात्र निर्धारित समयावधि का पालन नहीं हुआ है, जो एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है। तत्कालीन प्रभारी उप निदेशक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व श्री एन. के. शर्मा (सहायक वन संरक्षक) जिनके द्वारा उक्त निविदा आमंत्रित की गई थी दिनांक 31-10-2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

विद्युत कंपनियों के कार्यों का निजी हाथों में सौंपा जाना

20. (क्र. 2782) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग के किन-किन कार्यों को विद्युत कंपनियों ने निजी हाथों में सौंपा है और कब से ? (ख) कंडिका "क" के कार्यों के संपादन को निजी कंपनियों को दिये जाने का क्या कारण है ? (ग) कंडिका "क" के कितनी-कितनी राशि के कार्यों को निजी कंपनियों को दिए गए हैं, और किसके बदले भुगतान किया गया ? कंपनीवार जानकारी दें ? (घ) उक्त संबंध में शासन की क्या योजना है एवं भविष्य में क्या-क्या, कितना-कितना कार्य निजी हाथों में सौंपे जाने की क्या कार्य योजना है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, दुर्ग अंतर्गत पावर कंपनीज के किसी भी कार्य को निजी हाथों में नहीं सौंपा गया है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। (घ) वर्तमान में पावर कंपनीज के किसी भी कार्य को निजी हाथों में सौंपे जाने हेतु कोई भी योजना नहीं है, अतएव जानकारी निरंक है।

अतारांकित पश्नोत्तर

लघु वनोपज संघ द्वारा विक्रय तैदुपता

1. (क्र. 150) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा वर्ष 2019, 2020 तथा वर्ष 2021 में दिनांक 26-01-2021 तक किन-किन एजेंसियों को किस-किस दर से कितनी राशि का तैदुपता बेचा है ? कितनी राशि एजेंसियों से लेना शेष है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश में उपलब्ध ऑनलाईन सेवाएं

2. (क्र. 248) श्री शैलेश पाण्डे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासन की कितनी सेवाएं ऑनलाईन नागरिकों को उपलब्ध करायी जाती हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : कुल 124 सेवाएं.

रायगढ़ वनमंडल में स्वीकृत निर्माण कार्य

3. (क्र. 509) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायगढ़ वनमंडल में 01 जनवरी, 2018 से 20-02-2021 अवधि तक कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किए गए और किन-किन एजेंसी द्वारा उक्त कार्य कराया गया ? कितने कार्य पूर्ण एवं कितने कार्य कराना शेष है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जिला रायगढ़ वनमंडल में 01 जनवरी, 2018 से 20-02-2021 अवधि तक 5947.93 लाख रुपये के 446 कार्य स्वीकृत किए गए हैं. उक्त सभी कार्य वन विभाग द्वारा कराए गए हैं. 446 कार्यों में से 242 कार्य पूर्ण तथा 204 कार्य प्रगति पर हैं.

रायपुर नगर में सड़क दुर्घटनाओं हेतु चिन्हकित डेजर प्वाइंट

4. (क्र. 670) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर में सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से कितने स्थानों को डेजर प्वाइंट (दुर्घटना जन्य क्षेत्र) के रूप में चिन्हित किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में उक्त स्थानों पर दुर्घटना रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) रायपुर नगर में टाटीबंध चौक से सरोना ओव्हरब्रीज तक को ब्लैक स्पॉट (अत्याधिक दुर्घटनाजन्य स्थल) के रूप में चिन्हित किया गया है. (ख) ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना रोकने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं-

1. टाटीबंध चौराहा पर यातायात व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन हेतु यातायात का बल लगाया जा रहा है.
2. ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में पेट्रोल वाहन द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग किया जा रहा है.
3. यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर प्रवर्तन कार्यवाही किया जा रहा है.
4. टाटीबंध चौक एवं संपर्क मार्गों में आवश्यकतानुसार संकेतक बोर्ड लगाये जा रहे हैं.
5. आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु चौक पर यातायात नियमों से संबंधित पलैक्स लगाये गये हैं.
6. टाटीबंध चौक पर ओव्हरब्रीज का निर्माण किया जा रहा है.

पम्प कनेक्शन के लंबित आवेदनों का निराकरण

5. (क्र. 1158) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2019 से दिनांक 20-02-2021 किसानों के द्वारा पम्प कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत कितने आवेदकों को कनेक्शन प्रदान किये गये, कितने लंबित है, तथा क्यों ? (ग) शेष कृषकों को कब तक कनेक्शन दिये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में जनवरी 2019 से दिनांक 20-02-2021 तक किसानों के द्वारा कृषि पंप के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 80,756 आवेदन एवं अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु 1,28,308 आवेदन प्राप्त हुये। इसी प्रकार सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना हेतु कुल 39 हजार 828 आवेदन प्राप्त हुये। (ख) उत्तरांश “क” में दर्शित कृषि पंपों के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त 80,756 आवेदनों में से 20,542 के कार्य पूर्ण कर विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके है। शेष 47,910 आवेदनों में से 3,880 स्वीकृति हेतु, 9163 औपचारिकता हेतु एवं 34,867 विद्युत लाईन विस्तार कार्य हेतु लंबित है। इनमें से 12,304 आवेदनों को औपचारिकतापूर्ण नहीं करने के कारण निरस्त किया गया है। इसी प्रकार अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त 1,28,308 आवेदनों में से 1,28,065 को अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है। शेष 243 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। कृषि पंपों के अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर पंप स्थापना हेतु कुल प्राप्त 39 हजार 828 आवेदनों में से 24 हजार 91 सोलर पम्प स्थापित किये गये तथा 15 हजार 737 आवेदन लंबित है। लंबित आवेदनों में से 8 हजार 333 आवेदन स्थापना हेतु 1,879 आवेदन स्वीकृति हेतु तथा 5,525 आवेदन औपचारिकता हेतु लंबित है। (ग) स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु शेष 47,910 पंप आवेदनों में से 34,867 आवेदन लाईन विस्तार कार्य हेतु लंबित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्यपूर्ण कर कनेक्शन दिये जाने के प्रयास है। सौर सुजला योजना के अंतर्गत स्थापना एवं स्वीकृति हेतु लंबित 10 हजार 212 आवेदनों में माह जून 2021 तक सोलर पंप स्थापित किये जाने के प्रयास है।

राज्य में बाघों की गणना

6. (क्र. 1458) डॉ. रमन सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में अंतिम बार कब बाघों की गणना हुई थी ? उपरोक्त गणना में किस-किस राष्ट्रीय उद्यान, टाईगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी में कितने बाघ पाए गये थे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : राज्य में अंतिम बार बाघों की गणना वर्ष 2018 में की गई थी। उपरोक्त गणना में उदती-सीतानदी टायगर रिजर्व में 01 बाघ, अचानकमार टायगर रिजर्व में 05 बाघ एवं इन्द्रावती टायगर रिजर्व में 03 बाघ पाए गये थे। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा समस्त टायगर रिजर्वों में ही बाघ गणना कराई जाती है। छत्तीसगढ़ के लैण्ड स्केप में वर्ष 2018 बाघ गणना अनुसार कुल 19 टायगर की पृष्टि की गई है।

गरियाबंद जिले में बहुमूल्य रत्नों की खनन/सुरक्षा

7. (क्र. 1865) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गरियाबंद जिले के नैनपुर, पायलीखण्ड एवं देवभोग क्षेत्र में बहुमूल्य रत्नों की सुरक्षा हेतु पूर्व में कटीले तार लगावाकर एवं पुलिस चौकी खोलकर इंतजाम किए गए थे ? (ख) इन बहुमूल्य रत्नों के उत्खनन एवं सुरक्षा हेतु सरकार की क्या योजना है ? और क्या-क्या उपाय किए जा रहे है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हाँ। (ख) पुलिस विभाग द्वारा लगातार पेट्रोलिंग/गस्त के साथ-साथ समय-समय पर मोबाईल चेकपोस्ट लगाकर वाहनों एवं सदिग्ध व्यक्तियों की जांच एवं मुखबिरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। अवैध उत्खनन एवं तस्करी करने वालों पर सतत निगाह रखकर समय-समय पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में समूह जल प्रदाय योजना

8. (क्र. 2450) श्री दलेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 26-02-2021 तक राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में निर्माणाधीन समूह जल प्रदाय योजना कितनी क्षमता की है और कितने गांवों को जल प्रदाय हेतु शामिल किया गया है ? इस योजना हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : दिनांक 26-02-2021 तक राजनांदगांव जिले में निर्माणाधीन धीरी समूह जल प्रदाय योजना की क्षमता 3.5 एम.एल.डी. की है (वर्ष 2033 तक) और इस योजना में 24 ग्रामों को पेयजल प्रदाय हेतु शामिल किया गया है। धीरी समूह जल प्रदाय योजना हेतु रुपये 2877.44 लाख राशि स्वीकृति की गई है।

राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में समूह जल प्रदाय योजना में अनियमितता

9. (क्र. 2451) श्री दलेश्वर साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नावधि तक राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में निर्माणाधीन समूह जल प्रदाय योजना के निर्माण में अनियमितता के संबंध में कोई जांच की गई है ? यदि हां , तो जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया है ? जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया ? अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : जी हां. प्रश्नावधि तक राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी में निर्माणाधीन समूह जल प्रदाय योजना के निर्माण में अनियमितता के संबंध में एक जांच दिनांक 11-10-2017 को मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र रायपुर द्वारा सचिव, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, छ. ग. शासन से उनको प्राप्त दूरभाष पर दिये गये निर्देश दिनांक 10-10-2017 के अनुपालन में की गई है. जांच में ग्राम तोरनकट्टा में तत्समय उपलब्ध 90 मि. मी. व्यास के यू. पी. व्ही. सी. पाईप की मोटाई IS:4985:2000 में निर्धारित मापदण्ड से कम पाया गया. उक्त ग्राम में बिछाये गये 2275 मीटर पाईप को अस्वीकार करते हुए बदलने का निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में ग्राम तोरनकट्टा में बिछाये गये सभी पाईपों को निकाल कर पुनः थर्ड पार्टी इस्पेक्टरेड नये पाईप टेकेदार द्वारा बिछवाये जाने की कार्यवाही की गई. किसी अधिकारी द्वारा अनियमितता नहीं की गई. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगाये गये सोलर पंप

10. (क्र. 2540) श्री सन्तराम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की स्थिति में कितने सोलर पंप किसानों के हित में लगाये गए ? (ख) कितने किसानों के, द्वारा सोलर पंप लगाये जाने हेतु आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए ? क्या प्राप्त सभी आवेदकों पर कार्यवाही की गई ? लंबित हो तो कारण बतावें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में सौर सुजला योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 763 एवं 2020-21 में 40 इस प्रकार कुल 803 सोलर सिंचाई पंप कृषकों के हित में स्थापित किए गये हैं. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में केशकाल विधानसभा क्षेत्र हेतु कृषकों से सौर सुजला योजनांतर्गत कुल 1421 आवेदन प्राप्त हुए. प्राप्त आवेदनों में से 803 सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, शेष 618 आवेदनों में से 230 आवेदन पंप स्थापना हेतु तथा 388 आवेदन औपचारिकता हेतु लंबित है, वर्षवार जानकारी नीचे तालिका में दर्शित है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्थापित पम्पों की संख्या	लंबित आवेदनों का विवरण		
			स्थापना हेतु लंबित (स्वीकृत/स्थापनाधीन)	स्वीकृति हेतु लंबित	औपचारिकता हेतु लंबित
2019-20	934	763	27	0	144 (लंबित आवेदन वर्ष 2020-21 में शामिल)
2020-21	487 एवं विगत वर्ष के औपचारिकता पूर्ण करने हेतु 144 लंबित आवेदन	40	203	0	388
योग	1421	803	230	0	388

केशकाल विधानसभा क्षेत्र के किसानों से अधिक बिजली बिल वसूली की प्राप्त शिकायतें

11. (क्र. 2541) श्री सन्तराम नेताम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोन्डागांव डिविजन अंतर्गत केशकाल विधान सभा क्षेत्र के किसानों द्वारा 2020-21 में 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति में ज्यादा बिजली बिल दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश “क” की प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कोण्डागांव संभाग के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र केशकाल में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 05 कृषकों को उनकी मांग पर अस्थायी पम्प मीटर युक्त कनेक्शन प्रदान किया गया था. कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत निर्धारित यूनिट की छूट से अधिक उपभोग करने के कारण जारी किये गये शेष यूनिट के देयकों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी. (ख) उत्तरांश “क” के तारतम्य में प्राप्त सभी 05 शिकायतों को कृषकों द्वारा कृषक जीवन ज्योति योजनांतर्गत प्लैट रेट का विकल्प चयन किये जाने पर विद्युत देयक को संशोधित कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है.

कृषि ऋण माफी

12. (क्र. 2653) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2018-19 से 26-02-2021 तक राजनांदगांव जिले में कृषि ऋण माफी योजनांतर्गत किन-किन बैंकों से कितने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया है ? कारण सहित जानकारी दें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : वर्ष 2018-19 से 26-02-2021 तक राज्य शासन द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजनांतर्गत राजनांदगांव जिले में पात्र बैंकों द्वारा सभी पात्र किसानों का ऋण माफ किया गया है.

नागरिकों को घर पहुंच सरकारी सेवाओं का लाभ

13. (क्र. 2666) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचाकर दिये जाने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो यह योजना कब से प्रारंभ हुई या होगी ? (ख) उक्त योजना में किन-किन सरकारी सेवाओं को सम्मिलित किया जायेगा तथा नागरिकों को उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिये क्या क्या शुल्क प्रदान करना होगा तथा प्रदान करने की समयावधि क्या होगी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) शासन द्वारा, शासन के विभिन्न विभागों की ऐसी सेवायें जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम अथवा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदाय की जा रही है, जैसे-जाति प्रमाण पत्र, शादी का रजिस्ट्रेशन, पानी-बिजली कनेक्शन, ड्रायविंग लायसेंस, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशनधारियों के लिये जीवन प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन आदि को उनके निवास से उस सेवा से संबंधित जानकारी/आवेदन (चेकलिस्ट अनुसार दस्तावेजों के साथ) प्राप्त करना तथा उस सेवा का घर पहुंचाकर लाभ दिये जाने साथ ही ऐसे आवेदक जिनके द्वारा लोक सेवा केन्द्र में पहुंच कर आवेदन प्रस्तुत किये हैं, उन्हें भी उस सेवा के अंतर्गत दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, आवेदन स्वीकृति पत्र आदि को उनके सहमति के आधार पर डाक के माध्यम से अथवा किसी इन्पेनल्ड सेवा प्रदायकर्ता संस्था के प्रतिनिधियों के माध्यम से सेवा को घर तक उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्ययोजना तैयार की जा रही है, अभी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. यह योजना अभी प्रारंभ नहीं हुई है, योजना कब लागू होगी समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) उक्त योजना में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 में अधिसूचित 260 सेवाएं एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही लगभग 130 ऑनलाईन सेवाओं में से ऐसी सेवाओं का चिन्हांकन विभाग द्वारा किया जायेगा, जो आम नागरिकों को उनके घर तक पहुंच कर उसका लाभ दे सके. साथ ही ऐसी सेवायें जो अभी तक लोक सेवा गारंटी में अधिसूचित नहीं हैं या लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्रदाय नहीं की जा रही है, को भी घर पहुंच सेवा में शामिल किये जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है. नागरिकों को उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिये क्या-क्या शुल्क प्रदान करना होगा तथा प्रदान करने की समयावधि क्या होगी, उक्त संबंध में संबंधित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर, कार्ययोजना तैयार किये जाने की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है.

प्रदेश में संचालित बुनकर सहकारी समितियों को स्वीकृत अनुदान

14. (क्र. 2670) **श्री अरूण वीरा** : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी बुनकर सहकारी समिति वर्तमान में संचालित है ? जिलेवार जानकारी दे ? इन समितियों को वर्ष 2019-20 एवं 20-21 में किन-किन मदों में राज्य हाथकरघा बोर्ड एवं अन्य शासकीय योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : प्रदेश में वर्तमान में कुल 299 बुनकर सहकारी समितियां संचालित हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. इन समितियों को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विभिन्न योजनांतर्गत मदवार स्वीकृत आर्थिक सहायता एवं अनुदान राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

जिला जांजगीर में उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की स्थापना

15. (क्र. 2678) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में कितने उद्योग स्थापित हैं ? (ख) उक्त उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या व्यवस्था है ? (ग) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 28-2-21 तक कितने उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु जांच की गई और जांच में क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 258 उद्योग स्थापित हैं. (ख) वायु प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.)/बैग फिल्टर/स्क़्रबर/सायक्लोन/डस्ट कलेक्टर/जल छिड़काव व्यवस्था आदि एवं जल प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.)/सेटलिंग टैंक/न्यूट्रलाइजेशन टैंक/रिसाईकलिंग सिस्टम आदि की व्यवस्था संबंधित उद्योगों द्वारा की गई है. (ग) 133 उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया. 03 उद्योगों में पर्यावरण संबंधी मापदण्डों का उल्लंघन पाये जाने पर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 “क” के तहत नोटिस जारी कर सुधार की कार्यवाही करायी गई. इसी प्रकार 04 उद्योगों में पर्यावरण संबंधी मापदण्डों का उल्लंघन पाये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 “क” के तहत/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 “क” के तहत निर्देश जारी कर उत्पादन बंद कराया जाकर सुधार की कार्यवाही करायी गई है. शेष उद्योगों में स्थिति सामान्य पाये जाने पर कार्यवाही नहीं की गई.

जिला जांजगीर चाम्पा में (डी.एम.एफ.) की आयोजित बैठकें एवं स्वीकृत कार्य

16. (क्र. 2679) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एवं 2020-21 में दिनांक 25 फरवरी 2021 तक डी.एम.एफ. की बैठक कब-कब आयोजित की गई ? (ख) उक्त बैठक में कितनी राशि का प्रस्ताव कौन-कौन से कार्यों के लिए पारित किया गया ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला जांजगीर चांपा में वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिनांक 11-09-2019 एवं वर्ष 2020-21 में दिनांक 02-05-2020 को बैठक आयोजित की गई है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में आयोजित उक्त बैठकों में राशि 240.00 लाख रुपये के कार्यों का अनुमोदन किया गया है. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

राजनांदगांव एवं खैरागढ़, में विद्युतीकरण पर खर्च

17. (क्र. 2691) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला राजनांदगांव के अंतर्गत छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कं. लिमिटेड संभाग, खैरागढ़ के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कृषि पंप विद्युतीकरण, घरेलू एवं कृषि विद्युत लाईन को पृथक करने संबंधित कार्यों में कार्य एजेंसी एवं ठेकेदारों को कुल कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया है ? कृपया संभाग एवं उपसंभागवार पोल शिफ्टिंग में कुल कितने राशि भुगतान किया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के खैरागढ़ संभाग के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 24-02-2021 तक ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि पंप विद्युतीकरण तथा पोल शिफ्टिंग के कार्यों का भुगतान एवं भुगतानवार तिथियों का विवरण उपसंभागवार एवं ठेकेदार/एजेंसीवार क्रमशः जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ”, “ब” एवं “स” में दर्शित है. घरेलू एवं कृषि पंपों की लाईनों को पृथक करने से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “द” में दर्शित है.

जिला राजनांदगांव के अंतर्गत कृषि का ऊर्जाकरण

18. (क्र. 2692) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला राजनांदगांव के अंतर्गत छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कं. लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कृषि पंपों को ऊर्जाकरण हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है ? वर्ष 2019-20 में कितने कृषि पंपों का ऊर्जाकरण कर, स्थाई कनेक्शन दिया गया है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जिला राजनांदगांव हेतु वर्ष 2019-20 में 2,000 एवं वर्ष 2020-21 में 1,000 कृषि पंपों को ऊर्जाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2019-20 में कुल 2000 कृषि पंपों को ऊर्जाकरण कर स्थायी कनेक्शन दिया गया है.

जिला रायगढ़ में पत्थर खदानों की स्वीकृति

19. (क्र. 2741) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत पत्थर की खदानें कहा-कहां स्थापित हैं और उन्हें किन-किन फर्मों एवं संस्था को आबंटित किया गया है ? पत्थर खदान आबंटित करने के क्या मापदंड हैं ? (ख) आबंटित खदानों को कितनी गहराई तक खादने का नियम में प्रावधान है ? क्या नियम विरुद्ध खनन की गई खदानों से रायल्टी जारी की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे पत्थर खदानों के मालिकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत खनिज डोलोमाईट, निम्न श्रेणी चूनापत्थर, क्वार्टज, क्वार्टजाईट, फायरक्ले एवं साधारण पत्थर के स्वीकृत खदानों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। उक्त खदान छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार आबंटित किया जाता है। (ख) आबंटित खदानों को अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार उत्खनन करने का प्रावधान है। नियम विरुद्ध किये गये खनन पर रायल्टी जारी नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न निरंक है।

प्रदेश में कोयला खदानों की नीलामी

20. (क्र. 2742) **श्री प्रकाश शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले में वर्ष 2019-20 से फरवरी, 2021 तक कौन-कौन सी एजेंसी/व्यक्ति को कितनी क्षमता का कोयला भण्डारण की अनुमति कब-कब प्रदान की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : रायगढ़ जिले में वर्ष 2019-20 से फरवरी, 2021 तक एजेंसी/व्यक्तियों को कोयला भण्डारण की दी गई अनुमति की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

गौण/खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही

21. (क्र. 2747) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में गौण खनिज के अवैध उत्खनन के कितने मामले, किन-किन के विरुद्ध दर्ज किए, इन प्रकरणों में कितने वाहन/मशीनरी की जप्ती बनाई गई ? जिलेवार बतावें ? (ख) क्या, ये ही है कि प्रदेश के रेतघाटों से रेत खनन, शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के उपरांत भी किए जाने की शिकायतें मिली है ? यदि हां तो कहा-कहां से, और उसके लिए किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक प्रदेश में गौण खनिज के अवैध उत्खनन के कुल 338 मामले दर्ज किए, जिलेवार विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर दर्शित है। (ख) खनिज नियमों में किसी भी खनिज के लिए उत्खनन हेतु समय-सीमा निर्धारित किये जाने का प्रावधान नहीं है। अपितु पर्यावरण सम्मति में रात्रिकालीन रेत खनन न किये जाने की शर्त निर्धारित है। प्रश्नाधीन अवधि में उक्त शर्त के उल्लंघन के संबंध में कुल 20 शिकायत प्राप्त हुई है, इन प्रकरणों में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी जिलेवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर दर्शित है।

जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण

22. (क्र. 2755) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा, जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 28-2-21 तक छ. ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा कितनी लागत से शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण किया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) क्या आवास निर्माण में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हो तो इस हेतु दोषी कौन है, दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी परिशिष्ट पर ‡ संलग्न है। (ख) गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला जांजगीर चांपा में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के उल्लंघन संबंधी

23. (क्र. 2756) **श्री नारायण चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा जिले में कितने उद्योग/पावर प्लांट (फैक्ट्री) कब से संचालित है ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में कितने उद्योग/पावर प्लांट (फैक्ट्री) के द्वारा “वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981” का परिपालन किया जा रहा है. और कितने उद्योगों /पावर प्लांट (फैक्ट्री) द्वारा इसका परिपालन नहीं किया जा रहा है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) उद्योगों/पावर प्लांटों के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने की घटना प्रकाश में नहीं आई है.

तेन्दूपता संग्राहक को नवीन बीमा योजना का लाभ

24. (क्र. 2759) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वन विभाग के द्वारा नई बीमा योजना तेन्दूपता संग्राहकों के लिए चालू की गई है ? यदि हां, तो योजना क्या है व योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत कितने-कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया है ? योजनांतर्गत कितने को भुगतान किया गया है व कितने हितग्राहियों को भुगतान किया जाना शेष है ? जिलेवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां. वन विभाग (छ. ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित) के द्वारा नयी योजना शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना तेन्दूपता संग्राहकों के लिए चालू की गई है. इस योजना के अंतर्गत तेन्दूपता संग्राहक परिवार के मुखिया की मृत्यु 18 से 50 वर्ष के बीच होने पर दावेदार को साधारण मृत्यु होने पर दावा राशि रु. 2,00,000.00, दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि रु. 4,00,000.00 तथा दुर्घटना से आशिक एवं पूर्ण निःशक्त होने पर राशि रु. 1,00,000.00 एवं 2,00,000.00 की राशि भुगतान करने का प्रावधान है. मुखिया की आयु, मृत्यु के समय 50-59 वर्ष के बीच हो तो दावेदार को साधारण मृत्यु दावा 30,000.00 दुर्घटना मृत्यु होने पर राशि रु. 75,000.00 साथ ही दुर्घटना में आशिक एवं पूर्ण निःशक्ति होने पर क्रमशः राशि रु. 37,500.00 एवं 75,000.00 की राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है. शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना दिनांक 05-08-2020 से प्रारंभ की गई है. इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ तिथि 05-08-2020 से दिनांक 03-03-2021 राशि रु. 5,33,00,000/- का 355 हितग्राहियों को भुगतान किया गया है. इस योजना में कोई भी दावा प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है. चूंकि दावा प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है, अतः लंबित दावा प्रकरण का जिलेवार जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है. जिलेवार दावा भुगतान की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

लघु वन उपज की खरीदी

25. (क्र. 2760) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु वन उपज की खरीदी के क्या नियम है ? कितने लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्या-क्या घोषित किए गए हैं ? पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा किन-किन लघु वनोपजों की कितनी मात्रा में, कितनी राशि की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी की गई है तथा उसकी बिक्री से कितनी लाभ या हानि सरकार को हुई है ? जिलेवार जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा लघु वनोपज क्रय हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर पर प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से लघु वनोपज क्रय की कार्यवाही की जाती है. केन्द्र सरकार द्वारा 86 प्रजातियों के लघु वनोपज क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. उक्त लघु वनोपजों में से राज्य सरकार द्वारा 38 लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत क्रय किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा स्वयं की पहल से 14 अन्य लघु वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर संग्राहकों से लघु वनोपज क्रय किया जा रहा है. न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 में तथा संघ द्वारा निर्धारित मूल्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 में है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार के द्वारा क्रय किये गये लघु वनोपज की मात्रा, क्रय मूल्य एवं लघु वनोपज की बिक्री से सरकार को हुए लाभ-हानि की जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-03 में है.

कैपा योजना से स्वीकृत राशि

26. (क्र. 2767) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैपा योजना के तहत पिछले व इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ? कितनी राशि व्यय की गई है और कितनी शेष है ? जिलेवार

जानकारी दें। (ख) क्या यह सही है कि कैम्पा योजना के तहत वाहन खरीदी गयी है/जा रही है ? यदि हां, तो कुल कितने वाहन, किस-किस दर पर, किसके द्वारा खरीदी गये हैं ? क्या गाईडलाइन अनुसार इसकी स्वीकृति दी जा सकती है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत दी जा सकती है ? यदि नहीं , तो दोषी कौन है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कैम्पा योजना के तहत पिछले एवं इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है :-

वर्ष	केन्द्र सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	रिमार्क
	स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि	
	(रु. करोड़ में)		
2019-20	5791.70	500.00	केन्द्र सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से राज्य के हिस्से की राशि लोक खाते में हस्तांतरित की गई है.
2020-21 (फरवरी, 2021 तक)	0.00	537.50	
योग	5791.70	1037.50	

राज्य सरकार द्वारा कैम्पा के बजट हेतु स्वीकृत राशि से व्यय की गई एवं शेष राशि की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है। (ख) हॉ. वाहनों का क्रय कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार नियमानुसार किया गया है। कोई दोषी नहीं है। वाहन क्रय का विवरण † संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है।

वन परिक्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

27. (क्र. 2768) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कलेक्टर, जिला कोरिया को वन परिक्षेत्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत अनियमितता एवं अनुचित कार्यों पर रोक लगाने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो किनके द्वारा शिकायत की गई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : हां. कलेक्टर जिला कोरिया को वन परिक्षेत्र गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान अन्तर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास कार्य छिन्द घास उन्मूलन कार्यों को रोक लगाने की आवेदन परिक्षेत्र रामगढ़ के ग्रामीणों द्वारा की गई थी. आवेदन मान्य योग्य नहीं है. अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई.

बिजली कंपनियों के निजीकरण

28. (क्र. 2771) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बिजली कंपनियों के निजीकरण की कार्यवाही की जा रही है ? क्या रायपुर व बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में बिजली कंपनी से संबंधित कुछ कार्य निजी क्षेत्रों में दिये जा रहे हैं ? यदि हां तो कौन-कौन से कार्य, किन-किन जिलों में , किन-किन संस्थाओं को दिए गए है या दिए जा रहे है क्या इस हेतु निविदा आमंत्रित की गई है ? (ख) क्या बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में बिजली कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा आवेदन दिया गया है ? यदि हां, तो क्या आवेदन दिए गए है व उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) नहीं, यह सही नहीं है कि पावर कंपनीज द्वारा अपने किसी भी कार्य को निजीकरण करने हेतु कोई भी कार्यवाही की जा रही है. रायपुर व बिलासपुर संभाग अंतर्गत किसी भी कार्य को निजी क्षेत्रों में नहीं दिए गए है. अतएव उक्त प्रश्न के संबंध में जानकारी निरंक है. (ख) पावर कंपनीज के निजीकरण के विरोध में पावर कंपनीज के कर्मचारियों द्वारा कोई भी आवेदन नहीं दिए गए है. अतएव उक्त प्रश्न के संबंध में पावर कंपनीज की जानकारी निरंक है.

बिजली का क्रय एवं विक्रय

29. (क्र. 2773) **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ स्टेट

पॉवर कंपनीज के द्वारा निजी उत्पादकों से बिजली खरीदी जाती है ? यदि हाँ, तो 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 28-02-2021 तक कुल कितने निजी उत्पादकों से किस-किस दर पर कितनी बिजली ली गई व उनको कितना भुगतान किया गया ? कितना भुगतान किया जाना शेष है ? किन-किन राज्यों को बिजली बेची गई है, किस दर पर बेची गई है तथा उनसे कितना भुगतान लिया जाना शेष है व कब से शेष है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हाँ, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा निजी उत्पादकों से बिजली खरीदी जाती है. दिनांक 01-01-2019 से 28-02-2021 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा कुल 65 निजी उत्पादकों से क्रय की गई बिजली की मात्रा, औसत दर, भुगतान की गई राशि एवं भुगतान योग्य शेष राशि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा अन्य राज्यों में मात्र तेलंगाना राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को रुपये 4.73 प्रति यूनिट की औसत दर पर बिजली बेची गई है. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तेलंगाना राज्य की वितरण कंपनियों को बेची गई बिजली के विरुद्ध दिनांक 28 फरवरी-2021 की स्थिति में रुपये 3,045.19 करोड़ बकाया है.

फ्रेडा द्वारा सामग्री क्रय

30. (क्र. 2774) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले व इस वित्तीय वर्ष में फ्रेडा के द्वारा किस-किस निविदाकार को किस-किस जिले हेतु, कौन-कौन से सौर संयंत्रों के किस दर पर आपूर्ति के आदेश दिए गए हैं व कौन-कौन से सौर संयंत्र स्थापित हो गए हैं और उन्हें कितना भुगतान किया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है ? (ख) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो क्या शिकायत प्राप्त हुई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) फ्रेडा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सफल निविदाकारों को जिलेवार सौर संयंत्रों हेतु किए गए आदेश, स्थापित संयंत्रों, स्थापना कर्ता इकाई को किए गए भुगतान तथा शेष भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

सारंगढ़ विधानसभा में प्रस्तावित नवीन सब स्टेशन

31. (क्र. 2775) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने नवीन सब स्टेशन प्रस्तावित है एवं कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? (ख) कहीं-कहीं नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जशपुर (बड़े गंतुली) में मुख्यमंत्री विद्युत अद्योसंरचना विकास योजना अंतर्गत 33/11 के. व्ही. का सबस्टेशन प्रस्तावित है. उक्त सब स्टेशन का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान (सी. आई. पी.) के अनुमोदन उपरांत जावेगी. अतः समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 19-01-2021 तक 11/0.4 के. व्ही. के वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना के कुल 23 ग्रामों में मांग प्राप्त हुई है. ग्रामवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र में नल-जल योजना के कार्यों की स्थिति

32. (क्र. 2776) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र में नल-जल योजना अंतर्गत कौन-कौन से ग्रामों में पानी टंकी पाईप लाईन, बोर खनन के लिए टेण्डर किया गया है कितने का कार्य प्रारंभ हुआ है ? कितने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ? कार्य प्रारंभ नहीं हो पाने का क्या कारण है ? ग्राम का नाम, कार्य का नाम सहित जानकारी दें ?

लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री (श्री गुरू रुद्र कुमार) : वर्तमान में सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र में नल-जल योजना अंतर्गत 04 ग्राम क्रमशः चांटीपाली, लेन्धा, रवशा, डूमरपाली में पानी टंकी, पाईप लाईन एवं 01 ग्राम विक्रमपाली में एच.डी.पी.ई. टंकी के लिए टेण्डर किया गया है. सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र में नल-जल योजना अंतर्गत बोर खनन के लिए टेण्डर अभी नहीं किया गया है. 02 ग्रामों में टंकी का कार्य प्रारंभ है, 01 ग्राम में पाईप लाईन का कार्य पूर्ण है. 03 ग्राम क्रमशः लेन्धा, रवशा एवं डूमरपाली के 06 कार्यों में से 03 पानी टंकी एवं 03 पाईप लाईन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है. ग्राम लेन्धा, रवशा एवं डूमरपाली में पानी टंकी, पाईप लाईन कार्य को जल जीवन मिशन में लिये जाने के कारण निविदा निरस्त की गई है. ग्राम का नाम, कार्य का नाम सहित जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार है.

विधानसभा सारंगढ़ क्षेत्र के वनमण्डल को प्राप्त आबंटन

33. (क्र. 2777) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र सारंगढ़ के अंतर्गत वनमण्डल द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21 तक किन-किन मदों में कितना-कितना आबंटन प्राप्त हुआ है ? तथा किन-किन मदों में कितना व्यय किया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

गोमर्डा अभ्यारण में पौधे रोपण में व्यय राशि

34. (क्र. 2778) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोमर्डा अभ्यारण में 2019-20 से 2020-21 में विभिन्न मद अंतर्गत कितने पौधों को कितने हेक्टेयर में रोपण किया गया है ? जिसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? परिक्षेत्रवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार कुल रोपित पौधे तथा वर्तमान में जीवित एवं मृत पौधों की जानकारी देवे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) गोमर्डा अभ्यारण में 2019-20 से 2020-21 में विभागीय/कैम्पा मद अंतर्गत पौधा रोपण कार्य नहीं कराया गया है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

वन भूमि का फर्जी रजिस्ट्रेशन

35. (क्र. 2783) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उपनिदेशक इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर के द्वारा पत्र क्रमांक 1866 दिनांक 10 जुलाई, 2019 को कलेक्टर बीजापुर को भोपाल पट्टनम के खसरा क्रमांक 1/15/1 में रकबा 05 एकड़ वन भूमि का फर्जी तरीके से राजस्व विभाग से पट्टा जारी करवाने व उक्त भूमि वन विभाग के इन्द्रावती टाईगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र मध्य बफर के वन क्र. ओ. ए. 1229 के अंतर्गत आने के संबंध में पत्र लिखा गया था ? (ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह सही है कि उक्त खसरा क्र. जमीन को गलत तरीके से पट्टा दिया गया, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की परिधि में उक्त जमीन आने के कारण यह पट्टा गलत तरीके से दिये जाने का उल्लेख भी किया गया है ? यदि हां तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या पट्टा निरस्त कर दिया गया ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) हाँ, भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत खसरा क्रमांक 1/15/1 में 05 एकड़ रकबा को राजस्व विभाग से पट्टा जारी किया गया है. जबकि, यह भूमि इन्द्रावती टायगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र मद्देइ बफर के वन कक्ष क्रमांक ओ.ए. 1229 के अन्तर्गत आता है. उप निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर ने पत्र क्र. 1866 दिनांक 10-07-2019, द्वारा कलेक्टर बीजापुर को उक्त भूमि वन भूमि होने की जानकारी दी है. (ख) राजस्व विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वन भूमि का गलत तरीके से पट्टा दिया गया है. उप निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर ने पत्र क्र. 1866 दिनांक 10-07-2019, पत्र क्रमांक 1022 दिनांक 05-03-2021 एवं पत्र क्र. 1064 दिनांक 08-03-2021 द्वारा कलेक्टर बीजापुर को उपरोक्त पट्टा निरस्त करने हेतु लेख किया है. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भोपालपट्टनम को इस कार्यालय के पत्र क्र. 1023 दिनांक 05-03-2021 से प्रकरण में की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लेख किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भोपालपट्टनम ने पत्र क्र. 429/अविअ/वि.स./रीडर/2021 दिनांक 09-03-2021 से सूचित किया गया है कि प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. आज दिनांक तक उक्त पट्टा निरस्त नहीं किया गया है.

धमतरी विधानसभा के ग्राम जोगीडीह, लीलर, बागोडार में वन विभाग द्वारा जमीन आबंटन

36. (क्र. 2788) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डूबान प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को ग्राम जोगीडीह, लीलर, बागोडार में वन विभाग की जमीन आबंटित की गई है ? यदि हां, तो किस वर्ष में एवं किस आधार पर दी गई है व्यक्तियों के नाम, सर्वे नं., क्षेत्रफल सहित जानकारी बतावे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डूबान प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों को ग्राम जोगीडीह, लीलर, बागोडार में वन विभाग की जमीन आबंटन के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि डूबान प्रभावित व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा सीधे कोई भी वन भूमि प्रदान नहीं किया गया है. अतः जानकारी निरंक मान्य करें.

बजट सत्र

बुधवार, दिनांक 24 मार्च, 2021

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1022) के भाग (ग) की जानकारी]

क्र.	पृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	प्रदायित Bambusa balcooa पौधा संख्या	प्रमाणन में असफल / मृत पाये गये पौधों की संख्या	प्रमाणित पौधा संख्या	प्रमाणित पौधों के आधार पर भुगतान राशि	फर्म का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	दुर्ग	दुर्ग	21680	21680	-	-	-	TFRI जबलपुर द्वारा प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर टिश्यु कल्चर बांस पौधों का भुगतान नहीं किया गया।
2		बालोद	9812	522	9290	363239	ब्ल्यू स्काय लेबोरेटरीज केयर मिसे मौदहापारा, रायपुर	522 पौधे मृत पाये गये जिसकी कुल राशि 20410 रु. का भुगतान नहीं किया गया।
3		खैरागढ़	13046	-	13046	510099		-
4	सरगुजा	सरगुजा	20000	20000	-	-	-	मदर प्लांट पौधे से मिलान नहीं होने कारण भुगतान नहीं किया गया।
5		सूरजपुर	20000	-	20000	782000	ब्ल्यू स्काय लेबोरेटरीज केयर मिसे मौदहापारा, रायपुर	-
6	कांकेर	कांकेर	24200	24200	-	-	-	प्रमाणित रोपण सामग्री न होने के कारण वापस किया गया
7	जगदलपुर	सा.वा. जगदलपुर	22052	-	22052	862234	ब्ल्यू स्काय लेबोरेटरीज केयर मिसे मौदहापारा, रायपुर	-
8		दत्तेवाडा	3660	-	3660	143106		-
9	रायपुर	रायपुर	22000	-	22000	860200		-
10		महासमुंद	28000	-	28000	1094800		-
	विलासपुर	विलासपुर	25220	25220	-	-	-	गुणवत्ताहीन होने के कारण रोपण नहीं कराया गया न ही भुगतान किया गया
		योग :-	209670	91622	118046	4615678		

A-1

[24 मार्च, 2021

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 2749) के भाग (क) की जानकारी]

कोरिया जिले में स्वीकृत कोयला खदानों के अवधि की जानकारी

क0	खनिपट्टेधारी का नाम तथा पूर्ण पता	स्वीकृति दिनांक	अवधि	संचालित / शिथिल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	एस0ई0सी0एल0 बैकुण्ठपुर चरचा कालरी	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	31.10.1963 से सतत्	संचालित	—
2	एस0ई0सी0एल0 बैकुण्ठपुर कटकोना कालरी	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	27.04.1963 से सतत्	संचालित	—
3	एस0ई0सी0एल0 बैकुण्ठपुर पाण्डेपारा झिलमिली	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	18.07.1992 से सतत्	संचालित	—
4	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी कोरिया कालरी	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	07.08.1958 से सतत्	शिथिल	सीबीएक्ट 1957 के तहत लीज कोयला मंत्रायल भारत सरकार से सर्वकालिक ली गई है। (2002 से बंद है)
5	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी डेमनहील कालरी	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	30.11.1961 से सतत्	शिथिल	
6	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी कुरासिया कालरी	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	18.11.1961 से सतत्	संचालित	—
7	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी कुरासिया कालरी	भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 13016/4/03 सी0ए0दि0 25.4.2003	28.11.20 5 से 27.11.2035	संचालित	खदानों की लीज अवधि 2015 से आगामी 20 वर्षों तक के लिए नवीनीकरण करने हेतु कोयला मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वानुमोदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
8	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी एन0सी0पी0एच0 चिरमिरी कालरी	भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 13016/4/03 सी0ए0दि0 25.4.2003	28.11.2015 से 27.11.2035	संचालित	वेस्ट चिरमिरी कालरी पानी भरा होने के कारण दिनांक 06.04.2018 से बंद है।
9	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी चिरमिरी कालरी	भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 13016/4/03 सी0ए0दि0 25.4.2003	28.11.2015 से 27.11.2035	संचालित	
10	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी वेस्ट चिरमिरी कालरी	भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 13016/4/03 सी0ए0दि0 25.4.2003	28.11.2015 से 27.11.2035	शिथिल	
11	एस0ई0सी0एल0 चिरमिरी नार्थ चिरमिरी कालरी	भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 13016/4/03 सी0ए0दि0 25.4.2003	28.11.1985 से 27.11.2015	शिथिल	खनि पट्टा नवीनीकरण आवेदन प्रक्रियाधीन है।
12	एस0ई0सी0एल0 हसदेव हल्दीबाडी	सी0बी0एक्ट0 के तहत स्वीकृत	28.03.2010 से सतत्	संचालित	—
13	एस0ई0सी0एल0 हसदेव वेस्ट झगराखण्ड	भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र0 13016/4/03 सी0ए0दि0 25.4.2003	28.11.1985 से 27.11.2015	संचालित	लीज का नवकरण हेतु प्रस्ताव वर्तमान में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 2757) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर व दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2019-20 में खनिपट्टा क्षेत्र से निकास किये गये मात्रा एवं उस पर प्राप्त रायल्टी की जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष 2019-20 में वास्तविक प्रेषण मात्रा (टन में)	वास्तविक उत्खनन पर प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	दुर्ग	7725423.183	618033855
2	रायपुर	1747000	139760000

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 2668) के भाग (ख) की जानकारी]

01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में आबंटित राशि के विरुद्ध पूर्ण किये गये कार्यों एवं व्यय की गई राशि की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	(राशि रु. लाख में)	
		आबंटित राशि के विरुद्ध पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	पूर्ण किये गये कार्यों पर व्यय राशि
1	रायपुर	983	3896.76
2	बलौदाबाजार	1052	2338.62
3	गरियाबंद	940	2772.92
4	धमतरी	917	1557.63
5	महासमुन्द	766	1388.85
6	दुर्ग	3917	2183.45
7	बालोद	311	1603.23
8	बेमेतरा	2208	2562.08
9	राजनांदगाव	851	1264.51
10	कबीरधाम	683	2912.40
11	बिलासपुर	799	3390.26
12	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	16	15.66
13	मुंगेली	543	2087.78
14	कोरबा	702	1868.91
15	जाजगीर-चांपा	1088	7423.42
16	रायगढ़	752	4336.13
17	अम्बिकापुर	711	1553.80
18	सूरजपुर	824	4988.08
19	बलरामपुर	716	2098.02
20	बैकुण्ठपुर	603	2224.61
21	जशपुर	624	2315.40
22	बस्तर	1270	2101.56
23	दंतेवाड़ा	610	1348.95
24	बीजापुर	902	3079.99
25	सुकमा	463	656.63
26	कोण्डागांव	1921	2239.52
27	कांकेर	1525	2642.95
28	नारायणपुर	283	428.63
	कुल	26980	67280.74

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 2781) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

तेन्दूपत्ता क्रय विक्रय का भुगतान के संबंध में जानकारी (वित्तीय वर्ष एवं जिलेवार)

क्र.	जिला यूनिन का नाम	जिले का नाम	वर्ष	तेन्दूपत्ता संग्रहण					प्रोत्साहन पारिश्रमिक		
				मात्रा	संग्रहण दर	देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बीजापुर	बीजापुर	2018-19	76951.818	2500.00	192379545.00	192379545.00	0.00	482,965,588.00	482,927,207.00	38381.00
2	सुकमा	सुकमा	2018-19	35911.923	2500.00	89779808.00	89779808.00	0.00	390,739,046.00	390,739,046.00	0.00
3	दत्तेवाडा	दत्तेवाडा	2018-19	13254.414	2500.00	33136035.00	33136035.00	0.00	68,227,851.00	68,227,851.00	0.00
4	जगदलपुर	बस्तर	2018-19	24454.918	2500.00	61137295.00	61137295.00	0.00	985,866.00	985,866.00	0.00
									59,076,678.00	59,076,678.00	0.00
5	द.कोण्डागाव	कोण्डागाव	2018-19	21704.813	2500.00	54262032.50	54262032.50	0.00	73,130,093.00	73,130,093.00	0.00
6	केशकाल	कोण्डागाव	2018-19	31439.248	2500.00	78598120.00	78598120.00	0.00	85,054,417.00	85,054,417.00	0.00
7	नारायणपुर	नारायणपुर	2018-19	22357.805	2500.00	55894513.00	55894513.00	0.00	78,654,213.00	78,654,213.00	0.00
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	काकर	2018-19	94510.205	2500.00	236275513.00	236275513.00	0.00	494,238,643.00	494,238,643.00	0.00
9	प.भानुप्रतापपुर	काकर	2018-19	73927.925	2500.00	184819812.00	184819812.00	0.00	313,863,981.00	313,863,981.00	0.00
10	काकर	काकर	2018-19	33724.938	2500.00	84312345.00	84312345.00	0.00	189,105,070.00	189,105,070.00	0.00
11	राजनादगाव	राजनादगाव	2018-19	74876.960	2500.00	187,192,400.00	187,192,400.00	0.00	410,365,818.00	410,365,818.00	0.00
12	खैरागढ		2018-19	34703.205	2500.00	86,758,012.50	86,758,012.50	0.00	164,385,470.00	164,385,470.00	0.00
13	बालोद	बालोद	2018-19	22179.300	2500.00	55,448,250.00	55,448,250.00	0.00	126,451,174.00	126,451,174.00	0.00
14	ककर्धा	कदीरगाम	2018-19	42242.910	2500.00	105,607,275.00	105,607,275.00	0.00	164,724,015.00	164,724,015.00	0.00
15	धमतरी	धमतरी	2018-19	28394.805	2500.00	70987012.50	70987012.50	0.00	115,843,845.00	115,843,845.00	0.00
16	गरियाबंद	गरियाबंद	2018-19	79783.540	2500.00	199458851.00	199458851.00	0.00	457,317,161.00	457,317,161.00	0.00
17	महासमुन्द	महासमुन्द	2018-19	81999.450	2500.00	204998625.00	204998625.00	0.00	431,458,329.00	431,458,329.00	0.00
18	बलौदाबाजार	रायपुर	2018-19	881.120	2500.00	2202800.00	2202800.00	0.00	1,815,291.00	1,815,291.00	0.00
		बलौदाबाजार	2018-19	20408.870	2500.00	51022175.00	51022175.00	0.00	104,998,655.00	104,998,655.00	0.00
19	बिलासपुर	बिलासपुर	2018-19	24061.450	2500.00	60153625.00	60153625.00	0.00	113,987,697.00	113,987,697.00	0.00
		मुंगली	2018-19	5427.660	2500.00	13569150.00	13569150.00	0.00	23,940,556.00	23,940,556.00	0.00
20	मरवाही	गोरला-पेण्ड्रा-मरवाही	2018-19	18089.239	2500.00	45223098.00	45223098.00	0.00	99,281,752.00	99,281,752.00	0.00
21	कोरबा	कोरबा	2018-19	48430.995	2500.00	121077488.00	121077488.00	0.00	6,597,081.00	6,597,081.00	0.00
									297,074,076.00	297,074,076.00	0.00
22	कटघोरा	कोरबा	2018-19	65129.395	2500.00	162823488.00	162823488.00	0.00	397,004,342.00	397,004,342.00	0.00
23	रायगढ	रायगढ	2018-19	55257.875	2500.00	138144688.00	138144688.00	0.00	265,878,943.00	265,878,943.00	0.00
24	धरमजयगढ	रायगढ	2018-19	74036.225	2500.00	185090562.00	185090562.00	0.00	446,259,628.00	446,259,628.00	0.00

क्र.	जिला यूनियन का नाम	जिले का नाम	वर्ष	तेन्दूपलता संग्रहण					प्रोत्साहन पारिश्रमिक			
				मात्रा	संग्रहण दर	देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				9695.075	2500.00	24237687.50	24237687.50	0.00	28,746,680.00	28,746,680.00	0.00	
25	जाजगीर-चांपा	जाजगीर-चांपा	2018-19	33595.225	2500.00	83988062.50	83988062.50	0.00	161,033,133.00	161,033,133.00	0.00	
26	सरगुजा	सरगुजा	2018-19	70196.050	2500.00	175490125.00	175490125.00	0.00	350,949,704.00	350,949,704.00	0.00	
27	सूरजपुर	सूरजपुर	2018-19	152792.660	2500.00	381981650.00	381981650.00	0.00	567,864,282.00	567,864,282.00	0.00	
28	बलरामपुर	बलरामपुर	2018-19	35855.490	2500.00	89638725.00	89638725.00	0.00	163,480,516.00	163,480,516.00	0.00	
29	कोरिया बैकुण्ठपुर	कोरिया बैकुण्ठपुर	2018-19	39477.715	2500.00	98694288.00	98694288.00	0.00	210,103,878.00	210,103,878.00	0.00	
30	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	2018-19	38433.680	2500.00	96084200.00	96084200.00	0.00	157,887,559.00	157,887,559.00	0.00	
31	जशपुर	जशपुर	2018-19									
				1484186.901		3,710,467,256.50	3,710,467,256.50		7,503,491,031.00	7,503,452,650.00	38,381.00	

टीप - संग्रहण वर्ष 2017 सीजन का प्रोत्साहन पारिश्रमिक भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया है। जगदलपुर जिला यूनियन के वर्ष 2016 की शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया गया है।

क्र.	जिला यूनियन का नाम	जिले का नाम	वर्ष	मात्रा	संग्रहण दर	देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)
1	बीजापुर	बीजापुर	2019-20	90204.525	4000.00	360818100.00	360818100.00	0.00	38381.00	38381.00	0.00
2	सुकमा	सुकमा	2019-20	85738.316	4000.00	342953264.00	342953264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दत्तेवाड़ा	दत्तेवाड़ा	2019-20	22379.675	4000.00	89518700.00	89518700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	जगदलपुर	बस्तर	2019-20	19073.408	4000.00	76293632.00	76293632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	द.कोण्डागांव	कोण्डागांव	2019-20	22024.798	4000.00	88099192	88099192	0.00	0.00	0.00	0.00
6	केशकाल	कोण्डागांव	2019-20	30755.360	4000.00	123021440	123021440	0.00	0.00	0.00	0.00
7	नारायणपुर	नारायणपुर	2019-20	24308.099	4000.00	97232396	97232396	0.00	0.00	0.00	0.00
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	कांकेर	2019-20	98417.850	4000.00	393671400	393671400	0.00	0.00	0.00	0.00
9	प.भानुप्रतापपुर	कांकेर	2019-20	85001.855	4000.00	340007420	340007420	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कांकेर	कांकेर	2019-20	33654.965	4000.00	134619860	134619860	0.00	0.00	0.00	0.00
11	राजनांदगांव	राजनांदगांव	2019-20	75010.400	4000.00	300,041,600.00	300,041,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	खैरागढ़		2019-20	33246.540	4000.00	132,986,160.00	132,986,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बालोद	बालोद	2019-20	20419.405	4000.00	81,677,620.00	81,677,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	कवर्धा	कबीरधाम	2019-20	35411.300	4000.00	141,645,200.00	141,645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	धमतरी	धमतरी	2019-20	22962.220	4000.00	91848880.00	91848880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	गरियाबंद	गरियाबंद	2019-20	78765.725	4000.00	315062900.00	315062900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	महासमुन्द	महासमुन्द	2019-20	77530.025	4000.00	310120100.00	310120100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	बलौदाबाजार	रायपुर	2019-20	1043.090	4000.00	4172360.00	4172360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बलौदाबाजार	2019-20	18685.740	4000.00	74742960.00	74742960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बिलासपुर	2019-20	21290.985	4000.00	85163940.00	85163940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	बिलासपुर	मुंगेली	2019-20	4975.910	4000.00	19903640.00	19903640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मरवाही	गौरला-पेण्डा-मरवाही	2019-20	22577.240	4000.00	90308960.00	90308960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.	जिला यूनियन का नाम	जिले का नाम	वर्ष	तेन्दूपत्ता संग्रहण					प्रोत्साहन पारिश्रमिक			
				मात्रा	संग्रहण दर	देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	कोरबा	कोरबा	2019-20	53344.280	4000.00	213377120.00	213377120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	कटघोरा	कोरबा	2019-20	67520.440	4000.00	270081760.00	270081760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	रायगढ़	रायगढ़	2019-20	52465.815	4000.00	209863260.00	209863260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	धरमजयगढ़	रायगढ़	2019-20	73284.850	4000.00	293139400.00	293139400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	जाजगीर-घाण	जाजगीर-घाण	2019-20	9860.545	4000.00	39442180.00	39442180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	सरगुजा	सरगुजा	2019-20	31367.519	4000.00	125470076.00	125470076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	सूरजपुर	सूरजपुर	2019-20	64672.795	4000.00	258691180.00	258691180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	बलरामपुर	बलरामपुर	2019-20	125430.080	4000.00	501720320.00	501720320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	कोरिया बैकुण्ठपुर	कोरिया बैकुण्ठपुर	2019-20	28143.260	4000.00	112573040.00	112573040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	2019-20	48528.180	4000.00	194112720.00	194112720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	जशपुर	जशपुर	2019-20	27378.798	4000.00	109515192.00	109515192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				1505473.993		6021895972.00	6021895972.00		38381.00	38381.00	0.00	

टीप - 1. बीजापुर जिला यूनियन के वर्ष 2017 सीजन की शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया गया है।

2. वर्ष 2019-20 हेतु शुध्द लाभ वाली समितियों के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान शेष है, तेन्दूपत्ता के विक्रय के पश्चात् गणना उपरान्त लाभ वाली समितियों के संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रदान किया जावेगा।

1	बीजापुर	बीजापुर	2020-21	81998.838	4000.00	327995352.00	327995352.00	0.00	141731392.00	141575728.00	155664.00
2	सुकमा	सुकमा	2020-21	41447.170	4000.00	165788680.00	165788680.00	0.00	3390239.00	3390239.00	0.00
3	दत्तेवाडा	दत्तेवाडा	2020-21	3611.158	4000.00	14444632.00	14444632.00	0.00	7117585.00	6931916.00	185669.00
4	जगदलपुर	बस्तर	2020-21	11779.383	4000.00	47117532.00	47117532.00	0.00	8059654.00	5855080.00	2204574.00
5	द कोण्डागाव	कोण्डागाव	2020-21	11366.582	4000.00	45466328	45466328	0.00	3264908.00	3264908.00	0.00
6	केशकाल	कोण्डागाव	2020-21	16654.78	4000.00	66619120	66619120	0.00	9859018.00	9859018.00	0.00
7	नारायणपुर	नारायणपुर	2020-21	12705.57	4000.00	50822280	50822280	0.00	5937593.00	5937593.00	0.00
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	काकर	2020-21	82126.315	4000.00	328505260	328505260	0.00	78777914.00	78393591.00	384323.00
9	प.भानुप्रतापपुर	काकर	2020-21	67707.16	4000.00	270828640	270828640	0.00	29798655.00	29798655.00	0.00
10	काकर	काकर	2020-21	28643.405	4000.00	114573620	114573620	0.00	59531402.00	59531402.00	0.00
11	राजनादगाव	राजनादगाव	2020-21	59590.810	4000.00	238,363,240.00	238,363,240.00	0.00	96960102.00	96960102.00	0.00
12	खैरागढ़	राजनादगाव	2020-21	28409.435	4000.00	113,637,740.00	113,637,740.00	0.00	8750625.00	8750625.00	0.00
13	बालोद	बालोद	2020-21	16298.540	4000.00	65,194,160.00	65,194,160.00	0.00	58161174.00	58161174.00	0.00
14	कवर्धा	कबीरघाम	2020-21	20304.090	4000.00	81,216,360.00	81,216,360.00	0.00	49478801.00	49478590.00	211.00
15	धमतरी	धमतरी	2020-21	19013.395	4000.00	76053580.00	76053580.00	0.00	54563020.00	54563020.00	0.00
16	गरियाबंद	गरियाबंद	2020-21	58434.840	4000.00	233739360.00	233739360.00	0.00	189222977.00	189064543.00	158434.00
17	महासमुन्द	महासमुन्द	2020-21	51857.170	4000.00	207428680.00	207428680.00	0.00	213652335.00	213652335.00	0.00
18	बलीदाबाजार	रायपुर	2020-21	673.590	4000.00	2694360.00	2694360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बलीदाबाजार	2020-21	12967.770	4000.00	51871080.00	51871080.00	0.00	52060148.00	52060148.00	0.00

क्र.	जिला यूनियन का नाम	जिले का नाम	वर्ष	तेन्दूपत्ता संग्रहण					प्रोत्साहन पारिश्रमिक		
				मात्रा	संग्रहण दर	देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में)	भुगतान की गई राशि (रूपये में)	शेष राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	बिलासपुर	बिलासपुर मुंगेली	2020-21 2020-21	10795.670 3224.710	4000.00 4000.00	43182680.00 12898840.00	43182680.00 12898840.00	0.00 0.00	60717001.00	60717001.00	0.00
20	मरवाही	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	2020-21	11526.948	4000.00	46107792.00	46107792.00	0.00	40638380.00	40638380.00	0.00
21	कोरबा	कोरबा	2020-21	33459.290	4000.00	133837160.00	133837160.00	0.00	163124410.00	163124410.00	0.00
22	कटघोरा	कोरबा	2020-21	36424.130	4000.00	145696520.00	145696520.00	0.00	190324038.00	190324038.00	0.00
23	रायगढ़	रायगढ़	2020-21	26986.355	4000.00	107945420.00	107945420.00	0.00	110480671.00	109226524.00	1254147.00
24	धरमजयगढ़	रायगढ़	2020-21	54283.145	4000.00	217132580.00	217132580.00	0.00	212550059.00	212550059.00	0.00
25	जांजगीर-चापा	जांजगीर-चापा	2020-21	3445.030	4000.00	13780120.00	13780120.00	0.00	1548598.00	1548598.00	0.00
26	सरगुजा	सरगुजा	2020-21	19073.625	4000.00	76294500.00	76294500.00	0.00	52525495.00	52031614.00	493881.00
27	सूरजपुर	सूरजपुर	2020-21	36393.585	4000.00	145574340.00	145574340.00	0.00	117267606.00	116929380.00	338226.00
28	बलरामपुर	बलरामपुर	2020-21	49890.485	4000.00	199561940.00	199561940.00	0.00	130343773.00	129702035.00	641738.00
29	कोरिया बैकुण्ठपुर	कोरिया बैकुण्ठपुर	2020-21	21145.585	4000.00	84582340.00	84582340.00	0.00	67763928.00	67763928.00	0.00
30	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	2020-21	25324.370	4000.00	101297480.00	101297480.00	0.00	68044653.00	68044653.00	0.00
31	जशपुर	जशपुर	2020-21	15305.145	4000.00	61220580.00	61220580.00	0.00	49763906.00	48464710.00	1299196.00
				972868.074		3891472296.00	3891472296.00		2335410057.00	2328293994.00	7116063.00

टीप - 1. तेन्दूपत्ता सीजन 2018 में जिला यूनियन बलौदाबाजार के रायपुर जिले के 03 समितियां हानि में रहने के कारण प्रोत्साहन पारिश्रमिक निरंक है।

2. तेन्दूपत्ता सीजन 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण 2020-21 में किया गया है। शेष भुगतान न होने का कारण संग्रहकों के खाते का न खुलना एवं संग्रहकों के बाहर जाने के कारण लंबित है। शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

3. वर्ष 2020-21 हेतु शुद्ध लाभ वाली समितियों के संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान शेष है, तेन्दूपत्ता के विक्रय के पश्चात् गणना उपरान्त लाभ वाली समितियों के संग्रहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।

प्रपत्र "ब"

वनोपज एवं तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु योजनाएं एवं लाभ

1. **शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना** - यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/ उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 4.00 लाख प्रदाय की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्ता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्ता की स्थिति में राशि रु. 1.00 लाख की सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/ उत्तराधिकारी को राशि रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्ता की स्थिति में रु. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्ता की स्थिति में रु. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जाने का प्रावधान है।
2. **सामूहिक सुरक्षा योजना** - वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के हो, की मृत्यु हो जाने पर तेंदूपत्ता संग्राहक मुखिया (दावेदार) को रुपये 12,000/- भुगतान किया जाता है।
3. **छात्रवृत्ति योजनाएँ** :- तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना, यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लागू की गई है।

(i) **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु :-**

मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 08 वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 2,000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 2,500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रुपये 3,000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है।

(ii) **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु :-**

तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रुपये 15,000/- तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रु. 25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है।

(iii) व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यावसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है. को प्रथम वर्ष में रुपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रुपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि रुपये 25,000/- की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है ।

वरतर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी., नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रुपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रुपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि रुपये 25,000/- उपलब्ध करायी जाती है ।

(iv) गैर- व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना :-

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रु. 5,000/- द्वितीय वर्ष में रु. 4,000/- एवं तृतीय वर्ष में रु. 3000/- अर्थात् तीन वर्षों में कुल रु. 12,000/- की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

4. तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक भुगतान - तेन्दूपत्ता विक्रय से पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर तेन्दूपत्ता व्यापार से शुद्ध लाभ का 80 प्रतिशत भाग लाभ वाली समिति के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता है ।

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 2785) के भाग (क) की जानकारी]

धमतरी जिले में खनिज पत्थर हेतु स्वीकृत उत्खनन पट्टों एवं अस्थाई अनुज्ञापत्र की जानकारी

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	जमीन मालिक का नाम	खनिज का नाम	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उत्खननपट्टा							
1	श्री रजत पारख	बागोडार / धमतरी	329	7.50 एकड़	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर केशर	08.06.2004 से 07.06.2034
2	श्री नागेन्द्र शुक्ला	अछोली / नगरी	462,463	2.16	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर केशर	29.05.2004 से 28.05.2044
3	श्री गगन नाहटा	देवपुर / नगरी	447	4.00	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर केशर	08.03.2013 से 01.05.2043
4	श्री योगेन्द्र कंसारी	कोकडी / कुरुद	970,974 से 979 / 2,3 1002 / 1, 2 1003 से 1006	1.83	श्री योगेन्द्र कंसारी	साधारण पत्थर केशर	08.09.2009 से 28.05.2039
5	श्री मो. अयुब रिजवी	कोकडी / कुरुद	973,982 से 984, 987 से 989 तक	0.93	श्री मो. अयुब रिजवी	साधारण पत्थर केशर	01.12.2009 से 30.11.2039
6	श्री पूजा पारख	कोकडी / कुरुद	970 से 999, 1000 / 1, 2 1001,105 3 से 1057 / 1, 2 1058 से 1068, 1070 से 1073	3.58	श्री पूजा पारख	साधारण पत्थर केशर	07.10.2019 से 07.09.2039
7	श्री नीरज गंगवाल	गोजी / कुरुद	1117	1.60	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर केशर	08.03.2010 से 07.03.2040
8	श्री आशिष टाटियाँ	गोजी / कुरुद	1104 से 1109, 1111 से 1115	1.71	श्री आशिष टाटियाँ	साधारण पत्थर केशर	23.06.2012 से 22.06.2042
9	श्री सुनील जैन	गोजी / कुरुद	1083,110 2,1103,1 110,1112 ,1113,11	2.83	श्री सुनील जैन	चूना पत्थर केशर	19.03.2014 से 30.05.2044

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम एवं तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	जमीन मालिक का नाम	खनिज का नाम	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			14/1,2				
10	श्री टेकचंद मेघवानी	गोजी / कुरुद	824 से 830 एवं 833/2 से 834	2.74	श्री टेकचंद मेघवानी	चूना पत्थर केशर	26.08.2017 से 25.08.2047
11	श्री पूजा बोथरा	धौराभाठा / मगरलोड	466/2	0.62	श्री पूजा बोथरा	चूना पत्थर केशर	20.06.2011 से 19.06.2041
12	श्री अब्दुल गफ्फार / इस्तियाक देबर	धौराभाठा / मगरलोड	448, 449,450, 455	0.34	श्री अब्दुल गफ्फार / इस्तियाक देबर	साधारण पत्थर केशर	03.02.2012 से 02.02.2042
13	श्री विक्रम मेघवानी	धौराभाठा / मगरलोड	447,457 /1,2,5	1.60	श्री विक्रम मेघवानी	साधारण पत्थर केशर	26.12.2013 से 19.12.2043
14	श्री राजेन्द्र पाहाडियाँ	गोजी / कुरुद	1119, 1125 एवं 1127	0.52	श्री राजेन्द्र पाहाडियाँ	साधारण पत्थर केशर	26.12.2014 से 19.12.2044
15	श्री शैलेन्द्र पुजारी	जोगीडीह	84 ,198	5.00	शासकीय भूमि	क्वार्टजाइट-	03.05.2019 से 02.05.2049
केशर अनुज्ञा पत्र							
16	मेसर्स चैवराक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी	राजपुर (ए)	1861	1.00	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर	05.03.2020 से 04.03.2022
17	मेसर्स चैवराक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी	राजपुर (बी)	1861	1.00	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर	05.03.2020 से 04.03.2022
18	मेसर्स चैवराक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी	राजपुर (सी)	1861	1.00	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर	22.05.2020 से 21.05.2022
19	मेसर्स चैवराक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी	राजपुर (डी)	1861	1.00	शासकीय भूमि	साधारण पत्थर	22.05.2020 से 21.05.2022

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2448) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत स्थित ग्रामों में कराये गये कार्य की जानकारी

क्र.	योजना की अवयववार जानकारी		कार्य की अद्यतन प्रगति प्रतिशत में	किस ग्राम में स्थित है
	योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत निविदा अनुसार कार्य की लागत (रु. लाख में)		
1	2	3	4	5
1	इंटेक वेल कम पंप हाउस (6 मी. व्यास एवं 11.17 मी. गहराई)	336.00	पूर्ण	ईरा
2	जल शोधन संयंत्र 3.5 एम.एल.डी.		पूर्ण	सोमनी
3	सब-स्टेशन निर्माण कार्य । (1) रॉ-वाटर (2) क्लीयर वाटर	37.35	पूर्ण	(1) ईरा (2) सोमनी
4	रॉ-वाटर पंप 37 एच.पी. व्ही.टी. पंप, डिस्चार्ज 25.32 एल.पी.एस. हेड 65.00 मी.	60.90	पूर्ण	ईरा
5	क्लीयर वाटर पंप 26 एच.पी. सेन्ट्रीफ्यूगल पंप, डिस्चार्ज 23.26 एल.पी.एस., हेड 63.00 मी.		पूर्ण	सोमनी
6	रॉ-वाटर पंपिंग मेन इंटेकवेल से जलशुद्धिकरण संयंत्र तक 250 मि.मी. व्यास डी.आई.के-9 पाईप (कुल 4133 मीटर),	423.11	पूर्ण	ग्राम ईरा से सोमनी स्थित जल शुद्धिकरण संयंत्र तक
7	क्लीयर वाटर पंपिंग मेन, जलशुद्धिकरण संयंत्र से एम.बी.आर. तक 200 मि. मी. से 250 मि.मी. व्यास डी.आई. के.-9 (3799मी.)		पूर्ण	जल शुद्धिकरण संयंत्र सोमनी से सोमनी एम.बी.आर एवं फरहद एम.बी.आर तक

क्रं.	योजना की अवयववार जानकारी		कार्य की अद्यतन प्रगति प्रतिशत में	किस ग्राम में स्थित है
	योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत निविदा अनुसार कार्य की लागत (रू. लाख में)		
1	2	3	4	5
8	(i) क्लीयर वाटर ग्रेडिटी मेन (मात्रा-54054 मी.)	989.80	पूर्ण	सोमनी एम.बी.आर एवं फरहद एम.बी.आर से विभिन्न जलागारों तक
	(ii) 100 mm Dia DI K-7 Pipe Line (मात्रा-1120 मी.)	12.84	पूर्ण	
	कुल (मात्रा- 55174 मी.)	1002.64		
9	(i) जल वितरण नालिका 90-180 मि.मी. व्यास यू.पी.व्ही.सी. क्लास 6 कि.ग्रा. (कुल 45759 मीटर),	323.395	पूर्ण	योजना के सभी 24 ग्रामों में
	(ii) 100 mm Dia DI K-7 Pipe Line (मात्रा-200 मी.)	2.860	पूर्ण	
	(iii) जल वितरण नालिका 90-110 मि.मी. व्यास यू.पी.व्ही.सी. क्लास 6 कि. ग्रा. (मात्रा-14844 मी.)	29.399	पूर्ण	
	कुल (मात्रा- 60603 मी.)	355.654		
10	धीरी समूह नल जल योजनांतर्गत 24 ग्रामों में 28 नग सूचना फलक बोर्ड लगाने का कार्य।	3.190	पूर्ण	योजना के सभी 24 ग्रामों में
11	आर.सी.सी. एम.बी.आर. क्षमता क्रमशः	394.00	पूर्ण	सोमनी
(1) ग्राम-सोमनी 160 कि.ली./25 मी. स्टेजिंग	पूर्ण		फरहद	
(2) ग्राम-फरहद 165 कि.ली./25 मी. स्टेजिंग				
12	आर.सी.सी. उच्चस्तरीय जलागार क्षमता क्रमशः (24 नग टंकी)		पूर्ण	सोमनी
(1) ग्राम-सोमनी 130 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग	पूर्ण		खुटेरी	
(2) ग्राम-खुटेरी 40 कि.ली./15 मी. स्टेजिंग	पूर्ण		ढेकवा	
	(3) ग्राम-ढेकवा 40 कि.ली./16 मी. स्टेजिंग			

क्रं.	योजना की अवयववार जानकारी		कार्य की अद्यतन प्रगति प्रतिशत में	किस ग्राम में स्थित है
	योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत निविदा अनुसार कार्य की लागत (रु. लाख में)		
1	2	3	4	5
	(4) ग्राम-ठाकुरटोला 80 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	ठाकुरटोला
	(5) ग्राम-मनकी 50 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	मनकी
	(6) ग्राम-तोरनकट्टा 60 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	तोरनकट्टा
	(7) ग्राम-सुंदरा 40 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	सुंदरा
	(8) ग्राम-ईरा 100 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	ईरा
	(9) ग्राम-सांकरा 50 कि.ली./15 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	सांकरा
	(10) ग्राम-धीरी 90 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	धीरी
	(11) ग्राम-फरहद 40 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	फरहद
	(12) ग्राम-ककरेल 50 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	ककरेल
	(13) ग्राम-महुआभाठा 40 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	महुआभाठा
	(14) ग्राम-परमालकसा 40 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	परमालकसा
	(15) ग्राम-अचानकपुर भाठापारा 70 कि.ली./16 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	अचानकपुर भाठापारा
	(16) ग्राम-बैगाटोला 60 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	बैगाटोला
	(17) ग्राम-नवागांव 40 कि.ली./10 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	नवागांव
	(18) ग्राम-फुलझर 70 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	फुलझर
	(19) ग्राम-बिरेझर 40 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	बिरेझर

क्रं.	योजना की अवयववार जानकारी		कार्य की अद्यतन प्रगति प्रतिशत में	किस ग्राम में स्थित है
	योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत निविदा अनुसार कार्य की लागत (रु. लाख में)		
1	2	3	4	5
	(20) ग्राम-इंदावानी 70 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	इंदावानी
	(21) ग्राम-टेड़ेसरा 60 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	टेड़ेसरा
	(22) ग्राम-कोपेडीह 60 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	कोपेडीह
	(23) ग्राम-मगरलोटा 40 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	मगरलोटा
	(24) ग्राम-देवादा 80 कि.ली./12 मी. स्टेजिंग		पूर्ण	देवादा
15	योजना अंतर्गत निर्मित 24 नग आर.सी.सी. उच्चस्तरीय जलागार एवं 02 नग एम.बी.आर. में बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य	141.02	प्रगतिरत	24 कार्य पूर्ण, 01 प्रगतिरत (ठाकुरटोला) एवं 01 अप्रारंभ (परमालकसा)

प्रपत्र "ब"

राजनांदगांव जिले के ग्राम धीरी समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत निर्मित उच्च स्तरीय जलागार की सूची

क्र.	ग्राम का नाम	पाईप लाईन कार्य	टकी निर्माण कार्य	
			क्षमता	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
1	सोमनी	पूर्ण	130 कि.ली. + 160 कि.ली. (एम.बी.आर.)	पूर्ण
2	खुटेरी	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
3	ठेकवा	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
4	ठाकुरटोला	पूर्ण	80 कि.ली.	पूर्ण
5	मनकी	पूर्ण	50 कि.ली.	पूर्ण
6	तोरनकट्टा	पूर्ण	60 कि.ली.	पूर्ण
7	सुंदरा	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
8	ईरा	पूर्ण	100 कि.ली.	पूर्ण
9	सांकरा	पूर्ण	50 कि.ली.	पूर्ण
10	धीरी	पूर्ण	90 कि.ली.	पूर्ण
11	फरहद	पूर्ण	40 कि.ली. + 165 कि.ली. (एम.बी.आर.)	पूर्ण
12	ककरेल	पूर्ण	50 कि.ली.	पूर्ण
13	महुआभाठा	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
14	परमालकसा	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
15	अचानकपुर भाठापारा	पूर्ण	70 कि.ली.	पूर्ण
16	बैगाटोला	पूर्ण	60 कि.ली.	पूर्ण
17	नवागांव	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
18	फुलझर	पूर्ण	70 कि.ली.	पूर्ण
19	बिरेझर	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण

क्र.	ग्राम का नाम	पाईप लाईन कार्य	टंकी निर्माण कार्य	
			क्षमता	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
20	इंदावानी	पूर्ण	70 कि.ली.	पूर्ण
21	टेढ़ेसरा	पूर्ण	60 कि.ली.	पूर्ण
22	कोपेडीह	पूर्ण	60 कि.ली.	पूर्ण
23	मगरलोटा	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
24	देवादा	पूर्ण	80 कि.ली.	पूर्ण

क्र.	ग्राम का नाम	पाईप लाईन कार्य	टंकी निर्माण कार्य	
			क्षमता	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5
20	इंदावानी	पूर्ण	70 कि.ली.	पूर्ण
21	टेढ़ेसरा	पूर्ण	60 कि.ली.	पूर्ण
22	कोपेडीह	पूर्ण	60 कि.ली.	पूर्ण
23	मगरलोटा	पूर्ण	40 कि.ली.	पूर्ण
24	देवादा	पूर्ण	80 कि.ली.	पूर्ण

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 113) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा

क्र.	वित्तीय वर्ष	एजेंसी का नाम	कार्य/सामग्री का नाम	जिला खनिज न्यास निधि मद से दिनांक 26.01.2021 तक किया गया भुगतान (राशि लाख रूपए में)
1	2018-19	मेसर्स मीरा एंड सीको पंप्स प्रा. लि. रायपुर	पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य ग्राम दर्राभांठा विकासखण्ड बलौदा	9.36
2		मेसर्स मीरा एंड सीको पंप्स प्रा. लि. रायपुर	पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य ग्राम डुमरपारा विकासखण्ड सक्ती	9.36
3		मेसर्स मीरा एंड सीको पंप्स प्रा. लि. रायपुर	पेयजल हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य ग्राम चण्डीपारा विकासखण्ड पामगढ़	9.36
4		मेसर्स सोलर सॉल्युशन रायपुर	शुद्ध पेय जल हेतु सोलर आर. ओ. स्थापना कार्य ग्राम दर्राभांठा, विकासखण्ड बलौदा	10.50
5		मेसर्स सोलर सॉल्युशन रायपुर	शुद्ध पेय जल हेतु सोलर आर. ओ. स्थापना कार्य ग्राम डुमरपारा, विकासखण्ड सक्ती	10.50
6		मेसर्स सोलर सॉल्युशन रायपुर	शुद्ध पेय जल हेतु सोलर सोलर आर. ओ. स्थापना कार्य ग्राम चण्डीपारा, विकासखण्ड पामगढ़	5.87
7		मेसर्स कोरोनियम एसोसियेट्स बिलासपुर	ग्राम के आंतरिक गलियों में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य ग्राम दर्राभांठा, विकासखण्ड बलौदा	2.428
8		मेसर्स नवदीप फेब्रिकेशन बिलासपुर	आंतरिक गलियों में प्रकाश व्यवस्था हेतु पी.डी.एन. कार्य ग्राम दर्राभांठा, विकासखण्ड बलौदा	4.865
9		मेसर्स कोरोनियम एसोसियेट्स बिलासपुर	ग्राम के आंतरिक गलियों में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य ग्राम डुमरपारा, विकासखण्ड सक्ती	2.428

10	2018-19	मेसर्स नवदीप फेब्रिकेशन बिलासपुर	आंतरिक गलियों में प्रकाश व्यवस्था हेतु पी.डी.एन. कार्य ग्राम डूमरपारा, विकासखण्ड सक्ती	4.865
11		मेसर्स कोरोनियम एसोसियेट्स बिलासपुर	ग्राम के आंतरिक गलियों में प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य ग्राम चण्डीपारा, विकासखण्ड पामगढ़	2.428
12		मेसर्स नवदीप फेब्रिकेशन बिलासपुर	आंतरिक गलियों में प्रकाश व्यवस्था हेतु पी.डी.एन. कार्य ग्राम चण्डीपारा, विकासखण्ड पामगढ़	4.865
13		मेसर्स करमबेल कच्छप अम्बिकापुर	सौर ऊर्जा संयंत्र से गली विद्युतीकरण कार्य हेतु पोल, ब्रेकेट, जक्शन बाक्स एवं अन्य सामग्री प्रदाय विकासखण्ड पामगढ़ एवं नवागढ़ के 15 ग्रामों हेतु	17.043
14		मेसर्स व्ही.डी. इंटरप्राइजेस रायपुर	सौर ऊर्जा संयंत्र से गली विद्युतीकरण कार्य हेतु पोल, ब्रेकेट, जक्शन बाक्स एवं अन्य सामग्री प्रदाय विकासखण्ड पामगढ़ एवं नवागढ़ के 15 ग्रामों हेतु	17.043
15		मेसर्स एच.बी.एल. पॉवर सिस्टम लि. रायपुर	कलेक्ट्रेट जिला कार्यालय जांजगीर-चांपा में स्थापित 08 कि.वॉ. क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट का बैट्री बैंक प्रदाय एवं स्थापना कार्य विकासखण्ड नवागढ़	4.147
16		मेसर्स आर.बी.पी. एनर्जी इंडिया प्रा. लि. रायपुर	पं. दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र जांजगीर में सोलर पॉवर प्लांट स्थापना कार्य विकासखण्ड नवागढ़	6.447
17		मेसर्स सोलर सॉल्युशन रायपुर	जिले के खनन प्रभावित 10 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य हितग्राही अंश राशि विकासखण्ड अकलतरा, बलौदा, पामगढ़, नवागढ़, बम्हनीडीह, जैजैपुर, सक्ती, मालखरौदा, डभरा	7.50
18		मेसर्स दुर्गेश सोलर एजेंसी अम्बिकापुर	जिले के खनन प्रभावित 10 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य (हितग्राही अंश राशि) विकासखण्ड अकलतरा, बलौदा, पामगढ़, नवागढ़, बम्हनीडीह, जैजैपुर, सक्ती, मालखरौदा, डभरा	7.50

19	2018-19	मेसर्स श्रीवा पम्प प्रा.लि. रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पम्प, पाईप लाईन स्थापना कार्य, कंट्रोल रूम व पंप प्लेटफार्म स्थापना कार्य, फेंसिंग कार्य ग्राम खिसोरा, विकासखण्ड- बलोदा	90.63
20		मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पम्प, पाईप लाईन स्थापना कार्य, कंट्रोल रूम व पंप प्लेटफार्म स्थापना कार्य, फेंसिंग कार्य ग्राम हरदी-विसाल, विकासखण्ड- बलोदा	32.82
21		मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पम्प, पाईप लाईन स्थापना कार्य, कंट्रोल रूम व पंप प्लेटफार्म स्थापना कार्य, फेंसिंग कार्य ग्राम मधाईपुर, विकासखण्ड- बलोदा	36.59
22		मेसर्स दीनदयाल एसोसिएट्स	09 स्थलों में 500 एल.पी.डी. क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र का स्थापना कार्य	11.52
1	2019-20	मेसर्स नोवस ग्रीन एनर्जी सिस्टम प्रा. लि.	10 मॉडल गोठानों में पेयजल हेतु सोलर पंप स्थापना कार्य	30.36
2		मेसर्स नोवस ग्रीन एनर्जी सिस्टम प्रा. लि.	84 गौठानों एवं चारागाहों में पेयजल/ सिंचाई हेतु सोलर पंप 05 एच.पी. स्थापना कार्य हेतु हितग्राही अंश की राशि	11.20
3		मेसर्स गौतम सोलर प्रा. लि.	147 गौठानों एवं चारागाहों में पेयजल/ सिंचाई हेतु सोलर पंप 05 एच.पी. स्थापना कार्य हेतु हितग्राही अंश की राशि	19.40
1	2020-21 (दिनांक 26.01.2021 तक)	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस बिलासपुर	ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के द्वारा गली विद्युतीकरण (हाई मास्ट लाइट) स्थापना कार्य 65 ग्रामों में	199.56

जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही			
वर्ष	एजेंसी का नाम	कार्य/सामग्री का नाम	जिला खनिज न्यास निधि मद से दिनांक 26.01.2021 तक किया गया भुगतान (राशि लाख रुपए में)
18-19	मेसर्स कोरोनियम एसोसिएट्स, बिलासपुर	सौर संयंत्र स्थापना कार्य ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	122.44
	मेसर्स विल्सन इंडस्ट्रिज, रायपुर	सौर संयंत्र कंट्रोल रूम स्थापना एवं पी.डी.एन. कार्य, ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	100.16
	मेसर्स चार्टर्ड इंजीनियर्स, रायपुर	सोलर हाईमास्ट लाईट प्रदाय एवं स्थापना कार्य ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	4.03
	मेसर्स रिच फाईटोकेयर, रायपुर	सोलर होम लाईट प्रदाय एवं स्थापना कार्य ग्राम-ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	3.04
	मेसर्स इनरटेक यूपीएस, प्रा.लि., पुणे	सोलर इन्वर्टर प्रदाय, ग्राम-ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	9.48
	मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पंप स्थापना कार्य, ग्राम- पीपरडोल एवं ग्राम- सचराटोला, विकासखण्ड-मरवाही	70.35
	मेसर्स कोठारी एग्रीटेक प्रा. लि., रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई हेतु पाईप लाईन स्थापना कार्य, ग्राम- सचराटोला, विकासखण्ड-मरवाही	176.61
	मेसर्स श्रीवा पंप प्रा.लि., रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पंप हेतु कंट्रोल रूम व पंप प्लेटफार्म निर्माण कार्य, ग्राम- सचराटोला एवं ग्राम- पीपरडोल, विकासखण्ड-मरवाही	19.62

जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

क्र.	वित्तीय वर्ष	एजेंसी का नाम	कार्य/सामग्री का नाम	जिला खनिज न्यास निधि मद से दिनांक 26.01.2021 तक किया गया भुगतान (राशि लाख रूपए में)
1	2018-19	मेसर्स कोरोनियम एसोसिएट्स, बिलासपुर	सौर संयंत्र स्थापना कार्य ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	122.44
2		मेसर्स विल्सन इंडस्ट्रिज, रायपुर	सौर संयंत्र कंट्रोल रूम स्थापना एवं पी.डी.एन. कार्य,, ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	100.16
3		मेसर्स चार्टड इंजीनियर्स, रायपुर	सोलर हाईमास्ट लाईट प्रदाय एवं स्थापना कार्य ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	4.03
4		मेसर्स रिच फाईटोकेयर, रायपुर	सोलर होम लाईट प्रदाय एवं स्थापना कार्य ग्राम-ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	3.04
5		मेसर्स इनरटेक यूपीएस, प्रा.लि., पुणे	सोलर इन्वर्टर प्रदाय, ग्राम-ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरेला	9.48
6		मेसर्स सूर्या इंटरनेशनल, रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पंप स्थापना कार्य, ग्राम- पीपरडोल एवं ग्राम- सचराटोला, विकासखण्ड-मरवाही	70.35
7		मेसर्स कोठारी एग्रीटेक प्रा. लि., रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई हेतु पाईप लाईन स्थापना कार्य, ग्राम- सचराटोला, विकासखण्ड-मरवाही	176.61
8		मेसर्स श्रीवा पंप प्रा.लि., रायपुर	सौर सामुदायिक सिंचाई पंप हेतु कंट्रोल रूम व पंप प्लेटफार्म निर्माण कार्य, ग्राम- सचराटोला एवं ग्राम- पीपरडोल, विकासखण्ड-मरवाही	19.62

1	2019-20	मेसर्स प्रगत अक्षय ऊर्जा, रायपुर	सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य, ग्राम-झाबर, विकासखण्ड-पेण्ड्रा	4.68
			सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य, ग्राम-जाटादेवरी, विकासखण्ड-पेण्ड्रा	4.68
			सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य, ग्राम-साल्हेघोरी, विकासखण्ड-गौरैला	4.68
			सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य, ग्राम-साल्हेघोरी, विकासखण्ड-मरवाही	4.68
		2	मेसर्स न्यू लाईट हाउस, बिलासपुर	स्ट्रीट लाईट ल्यूमिनरी प्रदाय ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरैला
3	मेसर्स स्पेस्लिटी प्रोडक्ट, रायपुर	सोलर ड्यूल पंप स्थापना कार्य ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरैला	9.36	
4	मेसर्स कोरोनियम एसोसिएट्स, बिलासपुर	फेंसिंग कार्य, ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरैला	18.16	
5	मेसर्स श्रीवा पंप प्रा.लि., रायपुर	फेंसिंग कार्य (सामुदायिक सिंचाई पंप), ग्राम- सचराटोला एवं ग्राम- पीपरडोल विकासखण्ड-मरवाही	11.37	
1	2020-21 (दिनांक 26.01.2021 तक)	मेसर्स कोरोनियम एसोसिएट्स, बिलासपुर	स्ट्रीट लाईट ल्यूमिनरी प्रदाय, ग्राम- ठाड़पथरा, विकासखण्ड-गौरैला	0.56

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2660) के भाग (ख) की जानकारी]

शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं की गई है चूंकि प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में स्थगन प्राप्त है, ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- (1) डब्ल्यू.पी.(एस) नं. 1070/2013 प्रवीण कुमार निमजे विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग., बिलासपुर द्वारा याचिकाकर्ता को आगामी सुनवाई तक सेवा से न हटाए जाने तथा आरक्षित वर्ग का कोई लाभ नहीं दिए जाने संबंधी निर्णय दिनांक 09.05.2013 को पारित किया गया है।
- (2) डब्ल्यू.पी.सी. नं. 95/2017 सुनील मैत्री विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2017 द्वारा प्रकरण में आगामी सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।
- (3) डब्ल्यू.पी.(सी) नं.1437/2020 देवकीनंदन रायकवार विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग.,बिलासपुर द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आगामी सुनवाई तक कोई कार्यवाही नहीं करने संबंधी निर्णय दिनांक 14.07.2020 को पारित किया गया है।

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2015) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजनांदगांव जिले में संचालित लाल ईट निर्माण भट्टों की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	संचालक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
1.	मेसर्स नंदलाल ब्रिक्स, ग्राम-किरगी, जिला-राजनांदगांव	श्री नरेशलाल तलरेजा	32	1.417
2.	मेसर्स अभिषेक चक्रधारी ईट उद्योग, ग्राम-ईरा, जिला-राजनांदगांव	श्री अभिषेक चक्रधारी	483, 488, 489 / 1, 489 / 2, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 492, 484, 475, 476 / 1, 476 / 2, 477, 478, 479, 480, 481, 495 / 1,4, 456, 495 / 5	4.682
3.	मेसर्स कौशल्या देवी चक्रधारी ईट उद्योग, ग्राम-ईरा, जिला - राजनांदगांव	श्रीमती कौशल्या देवी चक्रधारी	549 / 1, 550 का भाग, 551 का भाग, 553 का भाग, 554 / 1,2, 555 / 2, 555 / 3, 555 / 4, 557 का भाग, 558 / 2, 559 का भाग, 560 का भाग, 561 का भाग, 577 का भाग, 578 का भाग, 581 / 1 का भाग, 581 / 2 का भाग	4.411
4.	मेसर्स पंचराम चक्रधारी रेड ब्रिक्स, ग्राम-भरेंगांव, जिला-राजनांदगांव	श्री पंचराम चक्रधारी	401 का भाग, 400 / 1 का भाग, 400 / 2 का भाग, 402	0.862
5.	मेसर्स राजनांदगांव कुटीर उद्योग क्ले माइनिंग, ग्राम-हरदी, जिला-राजनांदगांव	श्रीमती चम्पा गुप्ता	423 / 1,3,4, 463, 464, 465, 466, 467, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 487, 488, 491, 493	3.126
6.	मेसर्स श्री प्रशांत सिंह आर्डनरी क्ले माइनिंग यूनिट, ग्राम-सालिहा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	श्री प्रशांत सिंह	252, 268, 263, 255 / 3, 279, 267, 262, 250, 270, 261 / 2, 278, 264, 260, 248, 255 / 1,2, 266, 253, 269, 265, 261 / 1, 257, 258, 272, 276 / 1, 259, 287, 276 / 2, 286, 273, 305 / 1,2	3.238

7.	मेसर्स श्रीमती पायल सिंह आर्डनरी क्ले माइनिंग यूनिट, ग्राम-चिखलदाह, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव	श्री हितेन्द्र तिवारी	268 / 1	1.316
8.	मेसर्स श्री हितेन्द्र तिवारी, ग्राम-बांकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्री हितेन्द्र तिवारी	401, 402 / 1, 402 / 2, 402 / 3	3.958
9.	मेसर्स श्री मोहन लाल चकधारी ग्राम-हरदी तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्री मोहन लाल चकधारी	414 का भाग	0.972
10.	मेसर्स श्री प्रवीण कुमार चकधारी, ग्राम-हरदी तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्री प्रवीण कुमार चकधारी	422 का भाग	2.023
11.	मेसर्स श्री संदीप सिंह, ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्री संदीप सिंह	425 एवं अन्य	3.708
12.	मेसर्स श्री पवन चकधारी, ग्राम-हरदी तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्री पवन चकधारी	536, 537 / 1, 537 / 2, 537 / 3, 538, 539	1.214
13.	मेसर्स श्रीमती रेखा ध.प. श्री अजय सिंह ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्रीमती रेखा सिंह	530, 531, 532, 533 / 1,2, 534, 535	2.773
14.	मेसर्स श्रीमती कंचन बेन, ग्राम-बांकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्रीमती कंचन बेन	287 / 2	1.943
15.	मेसर्स श्री राजनांदगांव कुटीर उद्योग, ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव	श्रीमती चम्पा गुप्ता	415 का भाग, 416 का भाग	1.093
16.	मेसर्स श्री शुभम सिंह ग्राम-अकरजन, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव	श्री शुभम सिंह	1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1095, 1096, 1097, 1086 / 2, 1089 / 1,2	1.842

प्रपत्र "ब"

राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त लाल ईट निर्माण भट्टों की जानकारी

क्रमांक	उद्योग का नाम एवं पता
1.	मेसर्स नंदलाल ब्रिक्स, ग्राम-किरगी, जिला-राजनांदगांव
2.	मेसर्स अभिषेक चक्रधारी ईट उद्योग, ग्राम-ईरा, जिला-राजनांदगांव
3.	मेसर्स कौशल्या देवी चक्रधारी ईट उद्योग, ग्राम-ईरा, जिला-राजनांदगांव
4.	मेसर्स पंचराम चक्रधारी रेड ब्रिक्स, ग्राम-भर्रेगांव, जिला-राजनांदगांव
5.	मेसर्स राजनांदगांव कुटीर उद्योग क्ले माइनिंग, ग्राम-हरदी, जिला-राजनांदगांव
6.	मेसर्स श्री प्रशांत सिंह आर्डनरी क्ले माइनिंग यूनिट, ग्राम-सालिहा, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव
7.	मेसर्स श्रीमती पायल सिंह आर्डनरी क्ले माइनिंग यूनिट, ग्राम-चिखलदाह, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव
8.	मेसर्स श्री हितेन्द्र तिवारी, ग्राम-बांकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव
9.	मेसर्स श्री मोहन लाल चक्रधारी ग्राम-हरदी तहसील व जिला-राजनांदगांव
10.	मेसर्स श्री प्रवीण कुमार चक्रधारी, ग्राम-हरदी तहसील व जिला-राजनांदगांव
11.	मेसर्स श्री संदीप सिंह, ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव

नोट :- क्रमांक 02, 05 एवं 06 के द्वारा सम्मति का नवीनीकरण नहीं कराया गया है।

परिशिष्ट "अथारह"
[तारककत प्रश्न संख्या 17 (क्र. 2737) के भाग (ख) की जानकारी]

S.No	Name of the Bank	वर्ष 2018-19 का इकाई लक्ष्य			वर्ष 2019-20 का इकाई लक्ष्य			वर्ष 2019-20 का इकाई लक्ष्य			Gross Total
		Target (CMEGP)	Target (PMEGP)	Total	Target (CMEGP)	Target (PMEGP)	Total	Target (CMEGP)	Target (PMEGP)	Total	
1	State Bank of India	9	6	15	9	6	15	9	6	15	45
2	Punjab National Bank	3	3	6	3	3	6	3	3	6	18
3	Central Bank of India	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6
4	Bank of India	1	2	3	1	2	3	1	2	3	9
5	CG Grameen Bank	20	5	25	20	5	25	20	5	25	75
6	Indian Overseas Bank	2	2	4	2	2	4	2	2	4	12
7	Corporation Bank	2	2	4	2	2	4	2	2	4	12
8	Bank of Baroda	2	2	4	2	2	4	2	2	4	12
9	Union Bank of India	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6
10	Uco Bank	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6
11	Canara Bank	2	1	3	2	1	3	2	1	3	9
12	Indian Bank	3	2	5	3	2	5	3	2	5	15
13	Oriental Bank of Commerce	2	2	4	2	2	4	2	2	4	12
14	United Bank of India	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6
15	Andhra Bank	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6
16	Allahabad Bank	1	2	3	1	2	3	1	2	3	9
17	IDBI	2	2	4	2	2	4	2	2	4	12
18	Syndicate Bank	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6
19	Bank of Maharashtra	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3
	Total	55	38	93	55	38	93	55	38	93	279

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 34) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(प्रश्नांश-क) नाम, जांच अधिकार क्षेत्र सहित परिवहन चेकपोस्टों तथा उड़नदस्तों का विस्तृत विवरण :-

क्र०	जिले की सीमा में स्थापित चेकपोस्ट	परिवहन चेकपोस्ट का नाम	जांच अधिकार क्षेत्र (जिला)
1	छ०ग०-महाराष्ट्र जिला-राजनांदगांव	पाटेकोहरा	राजनांदगांव
2	छ०ग०-उड़ीसा जिला-महासमुंद	खम्हारपाली	महासमुंद
3	छ०ग०-झारखण्ड जिला-जशपुर	शंख	जशपुरनगर
4	छ०ग०-उत्तरप्रदेश जिला-बलरामपुर	धनवार	बलरामपुर
5	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-कबीरधाम	चिल्फी	कबीरधाम
6	छ०ग०-उड़ीसा जिला-रायगढ़	रेंगारपाली	रायगढ़
7	छ०ग०-आन्ध्रप्रदेश जिला-सुकमा	कोंटा	सुकमा
8	छ०ग०-आन्ध्रप्रदेश जिला-जगदलपुर	धनपुंजी	जगदलपुर
9	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-बिलासपुर	कैवची	बिलासपुर
10	छ०ग०-उड़ीसा जिला-महासमुंद	बागबाहरा	महासमुंद
11	छ०ग०-झारखण्ड जिला-बलरामपुर	रामानुजगंज	बलरामपुर
12	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-कोरिया	घुटरीटोला	कोरिया
13	छ०ग०-महाराष्ट्र जिला-राजनांदगांव	मानपुर	राजनांदगांव
14	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-राजनांदगांव	छोटा मानपुर	राजनांदगांव
15	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-कोरिया	चांटी	कोरिया
16	छ०ग०-उड़ीसा जिला-जशपुर	लवाकेरा	जशपुर

उडनदस्तों का नाम			
1	सीजी-04, जिला-रायपुर	रायपुर	रायपुर, बलोदाबाजार, महासमुंद, एवं गरियाबंद
2	सीजी-07, जिला-दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद एवं कबीरधाम
3	सीजी-10, जिला-बिलासपुर	बिलासपुर	मुंगेली, बेमेतरा, एवं बिलासपुर
4	सीजी-12, जिला-कोरबा	कोरबा	कोरबा एवं जांचगीर-चांपा
5	सीजी-13, जिला-रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़
6	सीजी-15, जिला-अंबिकापुर	अंबिकापुर	अंबिकापुर, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, एवं बलरामपुर
7	सीजी-17, जिला-जगदलपुर	जगदलपुर	धमतरी, दन्तेवाडा, कांकेर, कोण्डागांव, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, एवं बीजापुर

उडनदस्तों का नाम			
1	सीजी-04, जिला-रायपुर	रायपुर	रायपुर, बलोदाबाजार, महासमुंद, एवं गरियाबंद
2	सीजी-07, जिला-दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद एवं कबीरधाम
3	सीजी-10, जिला-बिलासपुर	बिलासपुर	मुंगेली, बेमेतरा, एवं बिलासपुर
4	सीजी-12, जिला-कोरबा	कोरबा	कोरबा एवं जांचगीर-चांपा
5	सीजी-13, जिला-रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़
6	सीजी-15, जिला-अंबिकापुर	अंबिकापुर	अंबिकापुर, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, एवं बलरामपुर
7	सीजी-17, जिला-जगदलपुर	जगदलपुर	धमतरी, दन्तेवाडा, कांकर, कोण्डागांव, जगदलपुर, सुकमा, नारायणपुर, एवं बीजापुर

प्रपत्र "ब"

(प्रश्नांश-ख) परिवहन चेकपोस्टों तथा उड़नदस्तों द्वारा शासकीय कोषालय में जमा की गई राशि का विस्तृत विवरण :-

क्र०	जिले की सीमा में स्थापित चेकपोस्ट	परिवहन चेकपोस्ट का नाम	स्थापना दिनांक से दिनांक 05.03.2021 तक दंड की जमा राशि का विवरण
1	छ०ग०-महाराष्ट्र जिला-राजनांदगांव	पाटेकोहरा	18,92,41,000
2	छ०ग०-उडीसा जिला-महासमुंद	खम्हारपाली	10,98,24,400
3	छ०ग०-झारखण्ड जिला-जशपुर	शंख	1,72,39,800
4	छ०ग०-उत्तरप्रदेश जिला-बलरामपुर	धनवार	3,09,80,400
5	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-कबीरधाम	चिल्फी	6,13,54,600
6	छ०ग०-उडीसा जिला-रायगढ़	रेंगारपाली	1,48,67,700
7	छ०ग०-आन्ध्रप्रदेश जिला-सुकमा	कोटा	83,70,000
8	छ०ग०-आन्ध्रप्रदेश जिला-जगदलपुर	धनपुंजी	1,63,80,900
9	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-बिलासपुर	केंवची	35,52,500
10	छ०ग०-उडीसा जिला-महासमुंद	बागबाहरा	96,94,800
11	छ०ग०-झारखंड जिला-बलरामपुर	रामानुजगंज	70,48,300
12	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-कोरिया	घुटरीटोला	24,62,200
13	छ०ग०-महाराष्ट्र जिला-राजनांदगांव	मानपुर	69,29,000
14	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-राजनांदगांव	छोटा मानपुर	15,06,400
15	छ०ग०-मध्यप्रदेश जिला-कोरिया	चांटी	2,10,200
16	छ०ग०-उडीसा जिला-जशपुर	लवाकेरा	31,51,000
योग-			48,28,13,200

उड़नदस्तों का नाम			
1	सीजी-04, जिला-रायपुर	रायपुर	2,95,73,920
2	सीजी-07, जिला-दुर्ग	दुर्ग	3,05,40,900
3	सीजी-10, जिला-बिलासपुर	बिलासपुर	1,16,54,400
4	सीजी-12, जिला-कोरबा	कोरबा	97,53,300
5	सीजी-13, जिला-रायगढ़	रायगढ़	1,56,28,100
6	सीजी-15, जिला-अंबिकापुर	अंबिकापुर	93,82,700
7	सीजी-17, जिला-जगदलपुर	जगदलपुर	75,70,800
योग-			11,41,04,120
कुल योग (परिवहन चेकपोस्ट तथा उड़नदस्ता)			59,69,17,320

प्रपत्र "स"

(प्रश्नांश-ग) क्या इन जांच चौकियों एवं उड़न दस्तों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा कोई निरीक्षण की कार्यवाही की गई है ? यदि हां तो तिथिवार जानकारी का विस्तृत विवरण :-

क्रमांक	परिवहन मुख्यालय के निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण दिनांक	परिवहन उड़नदस्ता/चेक पोस्ट का नाम
1	श्री जी०सी० मेश्राम उप परिवहन आयुक्त	28.07.2020	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
2	श्री शोऐब खान सहायक परिवहन आयुक्त	11.02.2021	परिवहन चेकपोस्ट पाटेकोहरा
3	श्री वेदव्रत सिरमौर संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया उप परिवहन आयुक्त, श्री शोऐब अहमद खान सहायक परिवहन आयुक्त	26.07.2020	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
4	श्री टी.आर. पैकरा अपर परिवहन आयुक्त	29.07.2020	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
5	श्री टी.आर. पैकरा अपर परिवहन आयुक्त	16.08.2020	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
6	श्री वेदव्रत सिरमौर संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री आर.एल. मसीया संयुक्त संचालक वित्त, श्री शोऐब अहमद खान सहायक परिवहन आयुक्त	15.10.2020	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
7	श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया उप परिवहन आयुक्त, श्री शोऐब अहमद खान सहायक परिवहन आयुक्त	24.11.2020	परिवहन चेकपोस्ट खम्हारपाली
8	श्री वेदव्रत सिरमौर संयुक्त परिवहन आयुक्त	23.07.2020	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
9	श्री टी.आर. पैकरा अपर परिवहन आयुक्त	25.07.2020	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
10	श्री .राजेन्द्र अग्रवाल उप संचालक वित्त	10.02.2021	परिवहन चेकपोस्ट चिल्फी
11	श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया उप परिवहन आयुक्त,	16.02.2021	परिवहन चेकपोस्ट रेंगारपाली
12	श्री वेदव्रत सिरमौर संयुक्त परिवहन आयुक्त	25.07.2020	परिवहन चेकपोस्ट धनपुंजी
13	श्री टी.आर. पैकरा अपर परिवहन आयुक्त	27.09.2020	परिवहन चेकपोस्ट धनपुंजी

14	श्री वेदव्रत सिरमौर संयुक्त परिवहन आयुक्त	17.08.2020	परिवहन चेकपोस्ट बागबहरा
15	श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया उप परिवहन आयुक्त,	17.08.2020	परिवहन चेकपोस्ट बागबहरा
16	शोऐब अहमद खान सहायक परिवहन आयुक्त	17.08.2020	परिवहन चेकपोस्ट बागबहरा
17	श्री अंशुमान सिंह सिसोदिया उप परिवहन आयुक्त, श्री शोऐब अहमद खान सहायक परिवहन आयुक्त	05.12.2020	परिवहन उड़नदस्ता दुर्ग
18	श्री टी.आर. पैकरा अपर परिवहन आयुक्त	27.09.2020	परिवहन उड़नदस्ता जगदलपुर

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 2779) की जानकारी]

प्रदेश में बिजली बिल हॉफ योजना के लाभान्वित हितग्राहियों की जिलेवार संख्या एवं माह मार्च 2019 से 28-02-2021 तक दी गई छूट की राशि

क्र.	जिले का नाम	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या (माह दिसम्बर 2020)	(राशि रूपये करोड़ में) माफ की गयी राशि (रु. करोड़ में) (माह मार्च 2019 से 28.02.2021 तक)
1	रायपुर	512763	312.95
2	गरियाबंद	57006	15.30
3	धमतरी	152412	47.30
4	महासमुंद	128352	36.83
5	बलौदाबाजार	196365	56.80
6	दुर्ग	385025	234.99
7	बालोद	130729	22.23
8	बेमेतरा	127734	12.77
9	राजनांदगांव	300548	91.78
10	कबीरधाम	102215	19.93
11	जगदलपुर	138841	25.66
12	दंतेवाड़ा	37693	6.52
13	बीजापुर	35863	3.48
14	सुकमा	40021	4.07
15	कांकेर	136736	29.34
16	नारायणपुर	26300	2.17
17	कोण्डागांव	100563	10.01
18	बिलासपुर	198387	117.52
19	मुंगेली	65835	10.76
20	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	72641	7.80
21	कोरबा	113810	35.84
22	रायगढ़	174616	49.48
23	चांपा जांजगीर	218391	78.97
24	सरगुजा	110599	37.67
25	बलरामपुर	71029	6.40
26	जशपुर	109912	16.24
27	कोरिया	63738	11.13
28	सूरजपुर	75438	19.13
राज्य योग		3883562	1323.09

परिशिष्ट "चौदह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 353) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वनमण्डल रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ में वर्ष 2019 से जनवरी, 2021 तक की अवधि में वृक्षारोपण कार्य हेतु खरीदे गये उर्वरक ग्नेबर खाद की मात्रा, पोल एवं कांटा तार, मदवार, परिक्षेत्रवार, वर्षवार व्यय की गई राशि की जानकारी

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	मद का नाम	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	सामग्री का नाम	मात्रा	व्यय राशि (लाख रु में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2019-20	घरघोड़ा	एन.पी.के. (उर्वरक)	12720 Kg	125775
---	---	---	---	2019-20	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		92400
---	---	---	---	2019-20	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)		22572
---	---	---	---	2019-20	---	आर.सी.सी. पोल		1875 Pcs
घरघोड़ा परिक्षेत्र का योग :-								8908872
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2019-20	खरसिया	एन.पी.के. (उर्वरक)	20110 Kg	220350
---	---	---	---	2019-20	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		106400
---	---	---	---	2019-20	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)		38076
---	---	---	---	2019-20	---	गोबर खाद (उर्वरक)		2934 CUM
---	---	---	---	2019-20	---	बारबेड वायर	6503 Kg	425946
खरसिया परिक्षेत्र का योग :-								2052392
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2019-20	रायगढ़	एन.पी.के. (उर्वरक)	27994 Kg	63375
---	---	---	---	2019-20	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		359800
---	---	---	---	2019-20	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)		15276
---	---	---	---	2019-20	---	बारबेड वायर		647402
---	---	---	---	2019-20	---	आर.सी.सी. पोल	758 Pcs	3504234
रायगढ़ परिक्षेत्र का योग :-								4590087
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2019-20	सारगढ़	एन.पी.के. (उर्वरक)	45975 Kg	487500
---	---	---	---	2019-20	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)		76152
---	---	---	---	2019-20	---	गोबर खाद (उर्वरक)		3807650
---	---	---	---	2019-20	---	फोरेट (उर्वरक)		151200

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	मद का नाम	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	सामग्री का नाम	मात्रा	व्यय राशि (लाख रु में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2019-20	सारंगढ़	आर.सी.सी. पोल	15303 Pcs	1551540
---	---	---	---	2019-20	---	बारबेड वायर	21011 Kg	1410831
सारंगढ़ परिक्षेत्र का योग :-								7484873
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2019-20	तमनार	डी.ए.पी. (उर्वरक)	110 Kg	1400
---	---	---	---	2019-20	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)		456
---	---	---	---	2019-20	---	आर.सी.सी. पोल		1990 Pcs
तमनार परिक्षेत्र का योग :-								9201626
रायगढ़ वनमंडल (वर्ष 2019-20) योग :-								32237850
बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	विभागीय मद	2019-20	धरमजयगढ़	गोबर खाद	800 Qub.M.	740000
---	---	---	---	2019-20	---	बारबेड वायर	4960 Kg	362467
---	---	---	---	2019-20	---	बोनमिल/नीमकेक	4000 Kg	95000
---	---	---	---	2019-20	---	आर.सी.सी. पोल	2654 Pcs	535596
धरमजयगढ़ परिक्षेत्र का योग :-								1733063
बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	कैम्पा मद	2019-20	लैलूंगा	एनपीके	5000 Kg	150000
लैलूंगा परिक्षेत्र का योग :-								150000
धरमजयगढ़ वनमंडल (वर्ष 2019-20) योग :-								1883063
कुलयोग वर्ष 2019-20 :-								34120913
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2020-21	घरघोड़ा	आर.सी.सी. पोल	4592 Pcs	926702
---	---	---	---	2020-21	---	यूरिया (उर्वरक)	10400 Kg	43254
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		167900
घरघोड़ा परिक्षेत्र का योग :-								1137856
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2020-21	खरसिया	आर.सी.सी. पोल	2612 Pcs	527118
---	---	---	---	2020-21	---	यूरिया (उर्वरक)	6000 Kg	16821
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		65550
खरसिया परिक्षेत्र का योग :-								609489

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	मद का नाम	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	सामग्री का नाम	मात्रा	व्यय राशि (लाख रु में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2020-21	रायगढ़	आर.सी.सी. पोल	2611 Pcs	526921
---	---	---	---	2020-21	---	यूरिया (उर्वरक)	4550 Kg	12816
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		49450
रायगढ़ परिक्षेत्र का योग :-								
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2020-21	सारगढ़	आर.सी.सी. पोल	2600 Pcs	247000
---	---	---	---	2020-21	---	आर.सी.सी. पोल		131172
---	---	---	---	2020-21	---	बारबेड वायर		1075 Kg
---	---	---	---	2020-21	---	यूरिया (उर्वरक)	22493.73 Kg	56337
---	---	---	---	2020-21	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)		17106
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		218500
---	---	---	---	2020-21	---	गोबर खाद (उर्वरक)		2095 CUM
सारगढ़ परिक्षेत्र का योग :-								
बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	कैम्पा मद	2020-21	तमनार	आर.सी.सी. पोल	630 Pcs	127139
---	---	---	---	2020-21	---	यूरिया (उर्वरक)	6750 Kg	18957
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)		73600
तमनार परिक्षेत्र का योग :-								
रायगढ़ वनमंडल (वर्ष 2020-21) योग :-								
बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	कैम्पा मद	2020-21	बोरो	गोबर खाद	1339.69 Kg	1071752
---	---	---	---	2020-21	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)	7423.300 Kg	63098
---	---	---	---	2020-21	---	एन.पी.के. (उर्वरक)	2884 Kg	51176
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)	960 Kg	19454
---	---	---	---	2020-21	---	पोल	962 Pcs	216450
---	---	---	---	2020-21	---	कांटातार	1562 Kg	103480
बोरो परिक्षेत्र का योग :-								
								1525410

वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	मद का नाम	वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	सामग्री का नाम	मात्रा	व्यय राशि (लाख रु में)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	कैम्पा मद	2020-21	बाकारुमा	गोबर खाद	780 Kg	624000
---	---	---	---	2020-21	---	वर्मी कम्पोस्ट खाद (उर्वरक)	1743 Kg	14815
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)	4074 Kg	76456
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)	8993 Kg	151982
---	---	---	---	2020-21	---	कांटातार	6731 Kg	437515
---	---	---	---	2020-21	---	पोल	5048 Pcs	1135800
बाकारुमा परिक्षेत्र का योग :-								2440568
बिलासपुर	रायगढ़	धरमजयगढ़	कैम्पा मद	2020-21	लैलूंगा	रासायनिक खाद	78.750 Qut.	201325
---	---	---	---	2020-21	---	कीटनाशक	8.2 Qut.	62540
---	---	---	---	2020-21	---	गोबर खाद	92 Kg	69000
---	---	---	---	2020-21	---	कांटातार	3255 Kg	233470
---	---	---	---	2020-21	---	डी.ए.पी. (उर्वरक)	3630 Kg	83430
---	---	---	---	2020-21	---	सुपर फास्फेट	3750 Kg	24750
---	---	---	---	2020-21	---	पोल	1000 Pcs	198407
लैलूंगा परिक्षेत्र का योग :-								872922
धरमजयगढ़ वनमंडल (वर्ष 2020-21 जनवरी, 2021) योग :-								4838900
कुलयोग वर्ष 2020-21 :-								9684087
महायोग :-								43805000

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “पंद्रह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 354) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

1	2	3	4	5
जिल्ला/सभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु.लाख में)
धरमजयगढ	घरघोडा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	90.42
धरमजयगढ	घरघोडा	2019-20	गेप प्लांटेशन	105.24
धरमजयगढ	घरघोडा	2019-20	ट्राशमिशन लाईन के नीचे बोना प्रजाति पौधा रोपण	4.65
धरमजयगढ	घरघोडा	2019-20	वाच टावर	8.00
धरमजयगढ	घरघोडा	2019-20	स्टाप डेम	18.84
घरघोडा परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				227.15
धरमजयगढ	बाकारुमा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	72.77
धरमजयगढ	बाकारुमा	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ	बाकारुमा	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	3.44
बाकारुमा परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				78.71
धरमजयगढ	बोरो	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	61.38
धरमजयगढ	बोरो	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	90.60
धरमजयगढ	बोरो	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ	बोरो	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.85
बोरो परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				160.33
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	60.40
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	नरवा विकास कार्य	0.25
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	ब्रशबुड चेक डेम	4.56
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	लूज बोल्टर चेक डेम	11.62
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	प्रेबियन संरचना	34.27
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	स्ट्रेगर्ड कन्सू ट्रेच	104.64
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	परको लेशन टेक	109.30
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	स्टापडम	216.18

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	वृक्षारोपण	129.18
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.85
धरमजयगढ़ परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				676.24
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	हाईटेक बेरियर निर्माण	16.00
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	हाथी मित्र दल वाहन	2.50
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	8.26
छाल परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				29.26
धरमजयगढ़	कापू	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	कापू	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	6.19
कापू परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				8.69
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	30.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	20.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	कम्प्यूटर सेट/फनीचर/इंटरनेट	4.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	सी.सी.टी.वी./डी.व्ही.	2.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	स्टील कैमरा	1.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	विडियो कैमरा	0.35
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	लाइटिंग सामग्री	2.65
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	प्रशिक्षण कार्य	1.00
डिपो धरमजयगढ़ परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				61.00
कुल योग वर्ष 2019-20				1241.38

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	21.97
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	8.64
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	चैनलिंग फेसिंग कार्य	36.20
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बढ़ने वाले प्रजाति का विकास कार्य (नारंगी क्षेत्र)	22.16
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	तालाब निर्माण	29.32
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम निर्माण	34.50
धरमजयगढ़ परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग				152.79
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	8.64
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बढ़ने वाले प्रजाति का-विकास कार्य (नारंगी क्षेत्र)	28.74
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बोल्डर बण्ड/ बोल्डर चेक डेम	3.75
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	ग्रेबियन संरचना	23.10
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम	51.09
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	कन्दूर ट्रैच	16.33
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	अन्य व्यय	0.89
बाकारुमा परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग				132.54
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	21.97
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	4.32
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम निर्माण कार्य	155.25
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	तालाब निर्माण	11.50
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	नरवा विकास अंतर्गत द्रशवुड चेक डेम	1.56
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बोल्डर बण्ड/ बोल्डर चेक डेम	6.40
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	ग्रेबियन संरचना	14.66
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम	24.39
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	चेकडेम निर्माण	19.41
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	कन्दूर ट्रैच निर्माण	28.31

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	अन्य व्यय	0.89
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	नरवा विकास अंतर्गत ब्रशवुड चेक डेम	1.94
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बोल्डर बण्ड/ बोल्डर चेक डेम	6.85
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	ग्रेबियन संरचना	28.03
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम	36.21
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	कटूर ट्रैच	20.72
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	अन्य व्यय	0.89
बोरो परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग				383.30
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	8.64
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बढ़ने वाले प्रजाति का विकास कार्य (नारंगी क्षेत्र)	52.44
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	नरवा विकास अंतर्गत अर्दन गली प्लाग	0.17
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	ब्रशवुड चेक डेम	2.88
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बोल्डर बण्ड/ बोल्डर चेक डेम	8.70
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	ग्रेबियन संरचना	28.03
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम	33.93
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	अर्दनडेम निर्माण कार्य	19.61
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	अन्य व्यय	0.89
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम निर्माण	46.00
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	तालाब निर्माण	57.50
छाल परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग				258.79

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृति राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	नरवा विकास अंतर्गत ब्रशबुड चेक डेम	1.98
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बोल्डर बण्ड/ बोल्डर चेक डेम	5.03
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	ग्रेवियन संरचना	41.19
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	स्टापडेम	20.72
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	कट्टर ट्रैच	22.87
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	अन्य व्यय	0.89
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	तालाब निर्माण	69.00
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	4.32
कापू परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग -				166.00
कुल योग वर्ष 2020-21 (जनवरी 2021 तक)				1093.42
धरमजयगढ़ विधान सभा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (जनवरी 2021 तक) कुलयोग:-				2334.80

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	37.00
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	गेप प्लांटेशन	44.87
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	ट्राशमिशन लाईन के नीचे बोना प्रजाति पौधा रोपण	1.01
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	वांच टावर	4.74
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	स्टाप डेम	16.51
घरघोड़ा परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				104.13
धरमजयगढ़	बाकारूमा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	72.74
धरमजयगढ़	बाकारूमा	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	बाकारूमा	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	3.44
बाकारूमा परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				78.68
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	61.38
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	90.60
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.85
बोरो परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				160.33
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	60.40
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	ब्रशबुड चेक डेम	3.11
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	लूज बोलडर चेक डेम	9.10
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	ग्रेबियन संरचना	16.17

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	स्ट्रेगर्ड कन्टूर ट्रेच	77.38
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	परको लेशन टैंक	97.39
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	स्टापडेम	149.88
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	वृक्षारोपण	87.60
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.85
धरमजयगढ़ परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				506.88
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	हाईटेक बेरियर निर्माण	12.05
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	हाथी मित्र दल वाहन	2.50
धरमजयगढ़	छाल	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	8.26
छाल परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				25.31
धरमजयगढ़	कापू	2019-20	स्ट्राइक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	कापू	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	6.19
कापू परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				8.69
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	30.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	20.00
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	कम्प्यूटर सेट/फर्नीचर/इंटरनेट	3.64
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	सी.सी.टी.वी./डी.वी.	1.85
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	स्टील कैमरा	0.60
धरमजयगढ़	डिपो धरमजयगढ़	2019-20	लाइटिंग सामग्री	2.26
डिपो धरमजयगढ़ परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				58.34
कुल योग वर्ष 2019-20				942.36

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	37.00
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	गेप प्लांटेशन	44.87
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौना प्रजाति पौधा रोपण	1.01
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	वांच टावर	4.74
धरमजयगढ़	घरघोड़ा	2019-20	स्टाप डेम	16.51
घरघोड़ा परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				104.13
धरमजयगढ़	बाकारूमा	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	72.74
धरमजयगढ़	बाकारूमा	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	बाकारूमा	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	3.44
बाकारूमा परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				78.68
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	61.38
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	90.60
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ़	बोरो	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.85
बोरो परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				160.33
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	डब्ल्यू.बी.एम. सडक निर्माण	60.40
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	ब्रशवुड चेक डेम	3.11
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	लूज बोलडर चेक डेम	9.10
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2019-20	ग्रेबियन संरचना	16.17

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	स्ट्रेगर्ड कन्टूर ट्रेच	77.38
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	परको लेशन टैंक	97.39
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	स्टापडेम	149.88
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	वृक्षारोपण	87.60
धरमजयगढ	धरमजयगढ	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	5.85
धरमजयगढ परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				506.88
धरमजयगढ	छाल	2019-20	हाईटेक बेरियर निर्माण	12.05
धरमजयगढ	छाल	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ	छाल	2019-20	हाथी मित्र दल वाहन	2.50
धरमजयगढ	छाल	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	8.26
छाल परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				25.31
धरमजयगढ	कापू	2019-20	स्ट्राईक फोर्स वाहन	2.50
धरमजयगढ	कापू	2019-20	अग्नि सुरक्षा कार्य	6.19
कापू परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				8.69
धरमजयगढ	डिपो धरमजयगढ	2019-20	डब्ल्यू बी.एम. सडक निर्माण	30.00
धरमजयगढ	डिपो धरमजयगढ	2019-20	बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	20.00
धरमजयगढ	डिपो धरमजयगढ	2019-20	कम्प्यूटर सेट/फर्नीचर/इंटरनेट	3.64
धरमजयगढ	डिपो धरमजयगढ	2019-20	सी.सी.टी.वी./डी.वी.	1.85
धरमजयगढ	डिपो धरमजयगढ	2019-20	स्टील कैमरा	0.60
धरमजयगढ	डिपो धरमजयगढ	2019-20	लाइटिंग सामग्री	2.26
डिपो धरमजयगढ परिक्षेत्र वर्ष 2019-20 योग -				58.34
कुल योग वर्ष 2019-20				942.36

विधानसभा क्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	6.45
धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	3.89
धरमजयगढ़ परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग -				10.34
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	8.64
धरमजयगढ़	बाकारुमा	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बढ़ने वाले प्रजाति का विकास कार्य (नारंगी क्षेत्र)	4.45
बाकारुमा परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग -				13.09
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय भवन निर्माण	7.03
धरमजयगढ़	बोरो	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	4.31
बोरो परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग -				11.34
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	6.52
धरमजयगढ़	छाल	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बढ़ने वाले प्रजाति का विकास कार्य (नारंगी क्षेत्र)	45.29
छाल परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग -				51.81
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	नरवा विकास अंतर्गत ब्रशबुड चेक डेम	1.98
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	बोल्डर बण्ड/ बोल्डर चेक डेम	4.20
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	कट्टर ट्रेंच	3.93
धरमजयगढ़	कापू	2020-21 (जनवरी 2021 तक)	लेन्टाना उन्मूलन कार्य	4.28
कापू परिक्षेत्र वर्ष 2020-21 योग -				14.39
कुल योग वर्ष 2020-21 (जनवरी 2021 तक)				100.97
धरमजयगढ़ विधान सभा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (जनवरी 2021 तक) कुल योग:-				1043.32

प्रपत्र "ब"

डोंगरगांव नगरीय आवर्धन जलप्रदाय योजना के कार्य पूर्ण/अपूर्ण एवं कार्यवार व्यय की जानकारी :-

क.	योजना की आयतमवार प्रगति		कार्य पूर्ण / अपूर्ण (कार्य की अद्यतन प्रगति प्रतिशत में)	व्यय (लाख में)	योजना की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	रिमांक
	योजना में स्वीकृत कार्यों का विवरण	स्वीकृत निविदा अनुसार कार्य की लागत (रु. लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7
1	6 मी. आंतरिक व्यास इंटेकवेल कम पंप हाउस निर्माण	158.20	पूर्ण (100%)	148.23	100%	
2	वर्टिकल टर्बाइन पंपस (30 एच.पी. क्षमता 46.56 एल.पी.एस. एवं न्यूनतम 58 मी. हेड उपयुक्त क्षमता की मौटर सहित, विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापना कार्य	0	पूर्ण (100%)	0		
3	रॉ-वाटर पंपिंग मेन 250 मि.मी. व्यास (2872 मी. लंबाई)	135.81	पूर्ण (100%)	0		
4	क्लीयर वाटर पंपिंग मेन 150 मि.मी. (1785 मी.) 200 मि.मी. (40 मी.) 250 मि.मी. (61 मी.)			117.77		
5	जल शुद्धिकरण संयंत्र 5.00 एम.एल.डी. क्षमता रेपिड ग्रेन्डिटी फिल्टर सहित एवं 230 कि.ली. क्षमता क्लीयर वाटर सपवेल	231.00	पूर्ण (100%)	213.20		
6	क्लीयर वाटर सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प 15 एच.पी./45.74 एल.पी.एस. क्षमता, 29 मी. हेड 03 नग सप्लाई, स्थापना एवं टेस्टिंग कार्य	-	पूर्ण (100%)	0		
7	उच्च स्तरीय जलागार निर्माण (02 नग) 1200 कि.ली./17 मी. 500 कि.ली./15 मी.	169.19	पूर्ण (100%)	133.93		
8	उच्च स्तरीय जलागार के चारों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण	9.19	पूर्ण (100%)	9.59		
9	जल वितरण पाईप लाईन डी.आई.पाईप के-7 100 मि.मी. व्यास से 350 मि.मी. व्यास (कुल 27346 मी.)	259.62 (Zone-1)	पूर्ण (100%)	259.61		
		182.133 (Zone-2)	पूर्ण (100%)	182.13		
10	डब्ल्यू.टी.पी. के चारों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण	12.97	अपूर्ण (50%)	0.00	0%	इसकी आवश्यकता नहीं है।
11	ट्रायल रन, आई टाईप एवं जी टाईप क्वार्टर (02 नग) कंट्रोल रूम कम स्टोर रूम	-	अपूर्ण (0%)	0		
12	भूमिगत आर.सी.सी. पंप हाउस का निर्माण	-	अपूर्ण (0%)	0		

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 2449) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

डोंगरगांव में जल आवर्धन योजना की समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण निम्नानुसार है :-

1. जल शोधन संयंत्र की प्रथम निविदा में मात्र 01 ही निविदाकार पात्र पाया गया। दूसरे 01 अपात्र निविदाकार द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया था - जिसे बाद में वादी पार्टी द्वारा वापस ले लिया गया। उसके उपरान्त पुनः निविदा कर जल शोधन संयंत्र के कार्यादेश दिनांक 08.02.2017 को जारी किया गया। इस कारण कार्य में विलम्ब हुआ।
 2. इंटेकवेल साईट पर स्थानीय निवासी द्वारा विवाद पैदा किया गया। जिसके कारण इंटेकवेल निर्माण का स्थान परिवर्तित करना पड़ा। परिवर्तित साईट पर फाउंडेशन में पत्थर नहीं मिलने के कारण सिंकिंग विधि से इंटेकवेल का निर्माण किया गया। इसी तारतम्य में बीच में वर्षा ऋतु का आरंभ होने से इंटेकवेल साईट पर पानी भर जाने के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा।
 3. इंटेकवेल एवं ट्रीटमेंट प्लांट में उपरोक्त कारणों से देरी हुई जिसके कारण रॉ-वाटर एवं क्लीयर वाटर पंप की निविदाएं आमंत्रित करने में विलंब हुआ। सेंट्रीफ्यूगल पंप का कार्यादेश दिनांक 10.02.2020 को किया गया। कोविड-19 में लॉक-डाउन के कारण रॉ-वाटर एवं सेंट्रीफ्यूगल पंप की निर्माता कंपनियों के बंद हो जाने के कारण पंप के सप्लाई में विलम्ब हुआ।
-

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2531) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोन्डागांव जिले में पंजीकृत हाथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की जानकारी

क्र.	पंजीकृत बुनकर सहकारी समिति का नाम एवं स्थान	पंजीयन क्र./दिनांक
1	दण्डकारण्य बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बोरगांव	08 / 21.01.1980
2	चदेनी बुढ़ी माता बुनकर सहकारी समिति सलना	05 / 31.12.2012
3	मा. दन्तेश्वरी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बफना	20 / 16.07.2019
4	संतोषी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, माकड़ी	02 / 12.04.1979
5	शितला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चिलपुटी	550 / 24.03.2009
6	कालिका बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पलारी	539 / 31.03.2008
7	माँ गायत्री बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, करंजी	537 / 31.03.2009
8	सरस्वती बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, डोगरीगुड़ा	538 / 31.03.2008

प्रपत्र "ब"

कोन्डागांव जिले में बुनकर समिति के बंद होने के कारण एवं बंद समितियों को पुनः प्रारंभ किये जाने हेतु विभाग द्वारा किये गये कार्य की जानकारी

क्र.	बुनकर सहकारी समिति का नाम	समिति बंद होने कारण	बंद समितियों को पुनः प्रारंभ करने हेतु विभाग द्वारा किये गये कार्य
1	संतोषी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, माकड़ी	अविभाजित म.प्र. मे वर्ष 1990 से जनता साड़ी, धोती योजना बंद होने के कारण ।	समिति का निरीक्षण दिनांक 23.10.2020 को किया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा में बुनाई कार्य के इच्छुक व शासकीय वस्त्र उत्पादन में संलग्न होने की रूचि व्यक्त की गई है। समिति को परिसमापन से पुनर्जीवित किये जाने हेतु सहायक पंजीयक, सहकारी सस्थाएं जिला-कोण्डागांव में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	शितला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चिलपुटी	बुनकर सदस्य बुनाई कार्य के इच्छुक नहीं होने के कारण।	उक्त संस्था का निरीक्षण दिनांक 17.08.20 को किया गया। बुनकर सदस्य बुनाई कार्य करने के इच्छुक नहीं पाये गये।
3	कालिका बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पलारी	बुनकर सदस्य बुनाई कार्य के इच्छुक नहीं होने के कारण।	उक्त संस्था का निरीक्षण दिनांक 17.08.20 को किया गया। बुनकर सदस्य बुनाई कार्य करने के इच्छुक नहीं पाये गये।
4	मौं गायत्री बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, करंजी	बुनकर सदस्य बुनाई कार्य के इच्छुक नहीं होने के कारण।	उक्त संस्था का निरीक्षण दिनांक 17.08.20 को किया गया। बुनकर सदस्य बुनाई कार्य करने के इच्छुक नहीं पाये गये।
5	सरस्वती बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, डोगरीगुड़ा	बुनकर सदस्य बुनाई कार्य के इच्छुक नहीं होने के कारण।	उक्त संस्था का निरीक्षण दिनांक 17.08.20 को किया गया। बुनकर सदस्य बुनाई कार्य करने के इच्छुक नहीं पाये गये।

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 2738) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायगढ़ जिले में पेड़ों की अवैध कटाई के दर्ज प्रकरण

जिला का नाम	वर्ष	अवैध कटाई के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या	जप्त वनोपज का विवरण			अवैध कटाई के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों पर की गई कार्यवाही का विवरण			अपराधियों से वसूल की गई मावजा/महसूल की राशि (रूपये में)
			काष्ठ घ.मी. में	बल्ली नग में	जलाऊ चट्टा में	अभिसंधानित/नस्तीबद्ध	प्रक्रियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रायगढ़	2019-20	1739	582.541	1092	11294	673	1066	0	164758.00
	2020-21	1432	308.982	1052	15810	462	970	0	128998.00
महायोग		3171	891.523	2144	27103	1135	2036	0	293756.00

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले में पेड़ों की अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरण

जिला का नाम	वर्ष	अवैध परिवहन के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या	अवैध परिवहन में जप्त वाहनों के संबंध में कार्यवाही का विवरण				अवैध परिवहन में जप्त वनोपज का विवरण			अवैध परिवहन के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों पर की गई कार्यवाही का विवरण			अपराधियों से वसूल की गई मावजा/महसूल की राशि (रूपये में)
			वाहनों की संख्या	राजसात	निर्मुक्त	प्रक्रियाधीन	काष्ठ घ.मी. में	बल्ली नग में	जलाऊ चट्टा में	अभिसंधानित/नस्तीबद्ध	प्रक्रियाधीन	न्यायालय में प्रस्तुत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2019-20	14	14	5	1	8	6.651	0	2	6	8	0	10000
रायगढ़	2020-21	17	18	0	2	16	10.943	0	6	1	16	0	0
महायोग		31	32	5	3	24	17.594	0	8		24	0	10000

परिशिष्ट "उन्नीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2745) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रदेश में विभिन्न जिलों में गौण खनिजों के बाजार मूल्य की जिलेवार जानकारी

खनिज	रायल्टी राशि दर (प्रति घ.मी./टन)	गौण खनिजों की बाजार मूल्य (राशि प्रति घ.मी./टन)
1.	2.	3.
(1) जिला-रायपुर		
चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	320 रु. प्रति टन
फर्शीपत्थर	120 रु. प्रति घ.मी.	480 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	166 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
(2) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	325 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	520 रु प्रति घन मी
फर्शीपत्थर	120 रु. प्रति घ.मी.	480 रु प्रति घन मी
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु प्रति घन मी
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	180 रु प्रति घन मी
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु प्रति घन मी
(3) जिला-गरियाबंद		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	344 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घन मी.	559 रु प्रति घन मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घन मी.	215 रु प्रति घन मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घन मी.	215 रु प्रति घन मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	215 रु प्रति घन मी.
(4) जिला-धमतरी		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	408 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	212 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	212 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	212 रु. प्रति घ.मी.
(5) जिला-महासमुन्द		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति घ.मी.	400 रु. प्रति टन.
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	400 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
फर्शीपत्थर	120 रु. प्रति घ.मी.	400 रु. प्रति घ.मी.
(6) जिला-राजनांदगांव		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति घन.मी.	432 रु. प्रति घन.मी.
साधारण पत्थर	132 रु. प्रति घन मी.	430 रु. प्रति घन मी.
रेत	50 रु. प्रति घन मी.	200 रु. प्रति घन मी.

खनिज	रायल्टी राशि दर (प्रति घ.मी./टन)	गौण खनिजों की बाजार मूल्य (राशि प्रति घ.मी./टन)
1.	2.	3.
मुरुम	50 रु. प्रति घन मी.	200 रु. प्रति घन मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घन मी.	200 रु. प्रति घन मी.
(7) जिला कबीरधाम		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	364 रु. प्रति टन
डोलोमाइट	90 रु. प्रति टन	409 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घन मी.	590 रु. प्रति घन मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घन मी.	227 रु. प्रति घन मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घन मी.	227 रु. प्रति घन मी.
रेत	50 रु. प्रति घन मी.	227 रु. प्रति घन मी.
(8) जिला-दुर्ग		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	325 रु. प्रति टन
मुरुम	50 रु. प्रति घन मी.	187 रु. प्रति घन मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घन मी.	187 रु. प्रति घन मी.
रेत	50 रु. प्रति घन मी.	190 रु. प्रति घन मी.
(9) जिला-बेमेतरा		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	400 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	650 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	250 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	250 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	250 रु. प्रति घ.मी.
(10) जिला-बालोद		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	624 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	240 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	240 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	240 रु. प्रति घ.मी.
(11) जिला-बस्तर		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	465 रु. प्रति घ.मी.
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	461 रु. प्रति घ.मी.
फर्शीपत्थर	120 रु. प्रति घ.मी.	425 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	177 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	177 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	177 रु. प्रति घ.मी.
(12) जिला-नारायणपुर		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	390 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	231 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
(13) जिला-उत्तर बस्तर कांकर		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घन मी.	520 रु प्रति घन मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घन मी.	200 रु प्रति घन मी.

खनिज	रायल्टी राशि दर (प्रति घ.मी./टन)	गौण खनिजों की बाजार मूल्य (राशि प्रति घ.मी./टन)
1.	2.	3.
मिट्टी	50 रु. प्रति घन मी.	200 रु प्रति घन मी
रेत	50 रु. प्रति घन मी.	200 रु प्रति घन मी
(14) जिला- कोण्डागांव		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	591 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	227 रु. प्रति घ.मी.
फर्शीपत्थर	120 रु. प्रति घ.मी.	545 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	227 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	227 रु. प्रति घ.मी.
(15) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	390 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
(16) जिला- सुकमा		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	390 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	150 रु. प्रति घ.मी.
(17) जिला-बीजापुर		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	429 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	165 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	165 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	165 रु. प्रति घ.मी.
(18) जिला-बिलासपुर		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	251 रु. प्रति टन
डोलोमाईट	90 रु. प्रति टन	265 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	401 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
(19) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	251 रु. प्रति टन
डोलोमाईट	90 रु. प्रति टन	265 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	401 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
(20) जिला-मुंगेली		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	323 रु. प्रति टन

खनिज	रायल्टी राशि दर (प्रति घ.मी./टन)	गौण खनिजों की बाजार मूल्य (राशि प्रति घ.मी./टन)
1.	2.	3.
डोलोमाइट	90 रु. प्रति टन	360 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	520 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
(21) जिला-कोरबा		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	323 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	531 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	234 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	191 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	191 रु. प्रति घ.मी.
(22) जिला जांजगीर-चाम्पा		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	320 रु. प्रति टन
डोलोमाइट	90 रु. प्रति टन	360 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घन मी०	520 रु. प्रति घन मी०
मुरुम	50 रु. प्रति घन मी०	200 रु. प्रति घन मी०
रेत	50 रु. प्रति घन मी०	192 रु. प्रति घन मी०
मिट्टी	50 रु. प्रति घन मी०	200 रु. प्रति घन मी०
(23) जिला-रायगढ़		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	240 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	390 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	250 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	200 रु. प्रति घ.मी.
(24) जिला-जशपुर		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	511 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	160 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	160 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	160 रु. प्रति घ.मी.
(25) जिला-सरगुजा		
निम्न श्रेणी चूनापत्थर	80 रु. प्रति टन	278 रु. प्रति टन
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	447 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	178 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	178 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	178 रु. प्रति घ.मी.
(26) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	500 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	147 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	147 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	147 रु. प्रति घ.मी.

खनिज	रायल्टी राशि दर (प्रति घ.मी./टन)	गौण खनिजों की बाजार मूल्य (राशि प्रति घ.मी./टन)
1.	2.	3.
(27) जिला-सूरजपुर		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	492 रु. प्रति घ.मी.
मिट्टी	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	184 रु. प्रति घ.मी.
(28) जिला-कोरिया		
साधारण पत्थर	130 रु. प्रति घ.मी.	501 रु. प्रति घ.मी.
रेत	50 रु. प्रति घ.मी.	278 रु. प्रति घ.मी.
मुरुम	50 रु. प्रति घ.मी.	178 रु. प्रति घ.मी.
ईट	50 रु. प्रति घ.मी.	228 रु. प्रति घ.मी.

146

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 2746) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

उरला-सिलतरा (धरसीवा) औद्योगिक क्षेत्र एवं इन क्षेत्रों के आसपास संचालित बाँयोमास आधारित पॉवर प्लांट का विवरण एवं मासिक औसत उत्पादन तथा मासिक औसत बाँयोमास की आवश्यकता संबंधी जानकारी

क.	बाँयोमास पॉवर प्लांट का नाम तथा पता	वर्ष 2020 का मासिक औसत विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	मासिक औसत बाँयोमास की आवश्यकता (मीट्रिक टन में)
01	02	03	04
1.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर	10.76	12210.5
2.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, बोरझरा, उरला, रायपुर	4.04	3712.55
3.	मेसर्स श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर	5.63	5808.73
4.	मेसर्स माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड, ग्राम-गिरौद, जिला-रायपुर	3.45	3072.06
5.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा, फेज-2, रायपुर	0.26	99.08

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2020 में उरला-सिलतरा (धरसीवा) औद्योगिक क्षेत्र एवं इन क्षेत्रों के आसपास संचालित बायोमास आधारित पावर प्लांटों के आकस्मिक निरीक्षण संबंधी जानकारी

क्र.	बायोमास पावर प्लांट का नाम तथा पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही की जानकारी
1.	मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-1, रायपुर (छ.ग.)	09.11.2020	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		28.12.2020	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
2.	मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, बोरझारा, उरला, रायपुर (छ.ग.)	04.07.2020	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
		12.11.2020	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
3.	मेसर्स मॉ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड ग्राम-गिरौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)	24.12.2020	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
4.	मेसर्स श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, रायपुर (छ.ग.)	09.10.2020	स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2750) के भाग (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बजट आबंटन का प्रदाय

जिला जनसंपर्क कार्यालय, कोरिया (छ.ग.)

DDO कोड 0124001

मांग संख्या-32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय, मुख्य शीर्ष-2220 सूचना और प्रचार

[60].अन्य. {106}.क्षेत्र प्रचार, (1479)-जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना

(राशि रूपय में)

शीर्ष	आबंटन	व्यय
# 01-वेतन भत्ते आदि		
001 वेतन	1671368	1671368
003 मंहगाई भत्ता	255000	199032
005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता	5000	4320
006 मकान किराया भत्ता	26000	25230
014 अन्य भत्ते	8700	8700
020 त्यौहार अग्रिम	0	0
योग उद्देश्य # 01.	1966068	1908650
# 02-मजदूरी		
004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	160000	139864
# 03-यात्रा भत्ता		
001 यात्रा भत्ता दौर आदि पर	10000	0
# 04-कार्यालय व्यय		
001 डाक तार पर व्यय	2000	2000
002 दूरभाष पर व्यय	25000	22139
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	22589	12589
005 बिजली एवं जल प्रभार	25000	9690
006 वर्दियां	3000	0
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	60000	27960
008 अन्य आकस्मिक व्यय	46000	39983
011 पेट्रोल तेल आदि	165000	94008
012 आतिथ्य पर व्यय	95851	34005
योग उद्देश्य # 04.	444440	242374
# 09-विज्ञापन एवं प्रचार	100000	0
# 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ		
009 विशेष सेवायें हेतु व्यय	77200	39800
# 24-अनुरक्षण कार्य		
001 मोटर गाड़ी	30000	13734
002 मशीन तथा उपकरण	60000	21549
योग उद्देश्य # 24.	90000	35283
योग :-योजना (1479)-	2847708	2365971

मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मुख्य शीर्ष-2220 सूचना और प्रचार

[60].अन्य. {101}.विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार, (9797)-आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प का आयोजन

# 09-विज्ञापन एवं प्रचार	55000	54790
महायोग :-	2902708	2420761

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बजट आबंटन का प्रदाय

जिला जनसंपर्क कार्यालय, कोरिया (छ.ग.)

DDO कोड 0124001

मांग संख्या-32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय, मुख्य शीर्ष-2220 सूचना और प्रचार

[60].अन्य, {106}.क्षेत्र प्रचार, (1479)-जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना

(राशि रुपये में)

शोष	आबंटन	व्यय
# 01-वेतन भत्ते आदि		
001 वेतन	1799901	1799901
003 मंहगाई भत्ता	170000	229567
005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता	4695	4695
006 मकान किराया भत्ता	26700	26700
014 अन्य भत्ते	8700	8700
020 त्यौहार अग्रिम	16000	16000
योग उद्देश्य # 01.	2025996	2085563
# 02-मजदूरी		
004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	230081	217031
# 03-यात्रा भत्ता		
001 यात्रा भत्ता दौर आदि पर	10488	9904
002 यात्रा भत्ता स्थानान्तरण पर	14000	13341
योग उद्देश्य # 03.	24488	23245
# 04-कार्यालय व्यय		
001 डाक तार पर व्यय	2000	2000
002 दूरभाष पर व्यय	28764	27150
003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	25000	24999
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	50085	49698
005 बिजली एवं जल प्रभार	30000	30000
006 वर्दियां	3180	2791
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	107005	107005
008 अन्य आकस्मिक व्यय	98998	98991
011 पेट्रोल तेल आदि	213234	212778
012 आतिथ्य पर व्यय	162897	162891
योग उद्देश्य # 04.	721163	718303
# 09-विज्ञापन एवं प्रचार		
योग उद्देश्य # 09.	52980	52980
# 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ		
009 विशेष सेवायें हेतु व्यय	128800	128300
# 24-अनुरक्षण कार्य		
001 मोटर गाड़ी	26219	26219
002 मशीन तथा उपकरण	141750	141750
योग उद्देश्य # 24.	167969	167969
योग :-योजना (1479)-	3351477	3393391

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2750) के भाग (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु बजट आबंटन का प्रदाय

जिला जनसंपर्क कार्यालय, कोरिया (छ.ग.)

DDO कोड 0124001

मांग संख्या-32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय, मुख्य शीर्ष-2220 सूचना और प्रचार

[60]अन्य, {106}क्षेत्र प्रचार, (1479)-जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना

(राशि रुपये में)

शीर्ष	आबंटन	व्यय
# 01-वेतन भत्ते आदि		
001 वेतन	1671368	1671368
003 मंहगाई भत्ता	255000	199032
005 आदिवासी क्षेत्र भत्ता	5000	4320
006 मकान किराया भत्ता	26000	25230
014 अन्य भत्ते	8700	8700
020 त्यौहार अग्रिम	0	0
योग उद्देश्य # 01.	1966068	1908650
# 02-मजदूरी		
004 अन्य आकस्मिक मजदूरी	160000	139864
# 03-यात्रा भत्ता		
001 यात्रा भत्ता दौर आदि पर	10000	0
# 04-कार्यालय व्यय		
001 डाक तार पर व्यय	2000	2000
002 दूरभाष पर व्यय	25000	22139
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	22589	12589
005 बिजली एवं जल प्रभार	25000	9690
006 वर्दियां	3000	0
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	60000	27960
008 अन्य आकस्मिक व्यय	46000	39983
011 पेट्रोल तेल आदि	165000	94008
012 आतिथ्य पर व्यय	95851	34005
योग उद्देश्य # 04.	444440	242374
# 09-विज्ञापन एवं प्रचार	100000	0
# 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ		
009 विशेष सेवायें हेतु व्यय	77200	39800
# 24-अनुरक्षण कार्य		
001 मोटर गाडी	30000	13734
002 मशीन तथा उपकरण	60000	21549
योग उद्देश्य # 24.	90000	35283
योग :- योजना (1479)-	2847708	2365971

मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, मुख्य शीर्ष-2220 सूचना और प्रचार

[60]अन्य, {101}विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार, (9797)-आदिवासी क्षेत्रों में सूचना केम्प का आयोजन

# 09-विज्ञापन एवं प्रचार	55000	54790
महायोग :-	2902708	2420761

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2670) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रदेश में संचालित बुनकर समितियों की जिलेवार जानकारी

क्र	जिला	संचालित बुनकर सहकारी समितियों की संख्या
1	2	3
1	अंबिकापुर	03
2	जशपुर	01
3	सूरजपुर	02
4	बिलासपुर	10
5	मुंगेली	01
6	कोरबा	08
7	जांजगीर-चांपा	86
8	रायगढ़	33
9	दुर्ग	08
10	बेमेतरा	02
11	राजनांदगांव	37
12	कबीरधाम	01
13	बालोद	41
14	रायपुर	06
15	धमतरी	10
16	महासमुंद	06
17	बलौदाबाजार- भाटापारा	09
18	गरियाबंद	14
19	बस्तर	08
20	कोण्डागांव	03
21	कांकेर	09
22	सुकमा	01
योग :-		299

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बुनकर सहकारी समितियों को विभिन्न योजनांतर्गत मदवार स्वीकृत आर्थिक सहायता की जानकारी

क्र.	योजना मद का विवरण	वर्ष 2019-20 में स्वीकृत सहायता	वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सहायता	योग
1	2	3	4	5
1	समग्र हाथकरघा विकास योजना			
	अ नवीन बुनाई प्रशिक्षण	78.60	129.20	207.80
	ब कौशल उन्नयन बुनाई प्रशिक्षण	356.40	194.40	550.80
	स उन्नत उपकरण हेतु सहायता	13.00	53.54	66.54
	द अधोसंरचना निर्माण सहायता	208.37	97.64	306.01
	योग :-	656.37	474.78	1131.15
2	रिवाल्विंग फण्ड योजना	16.50	3.00	19.50
3	बुनकर वर्कशेड सह आवास योजना	77.50	0.00	77.50
4	अनुसंधान एवं डिजाईन विकास योजना	4.50	12.70	17.20
	महायोग :-	754.87	490.48	1245.35

परिशिष्ट "तेईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 2679) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला जांजगीर चांपा में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्राप्त प्रस्ताव की जानकारी

वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रस्तावित कार्य की जानकारी

राशि लाख रूपये में

क.	सेक्टर	सेक्टर/कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4
1	पेयजल आपूर्ति	गौठानो के चारागाह में बोरखनन स्कूल / आंगनबाडी / छात्रावास/ पंचायत भवन / स्वास्थ्य केंद्र पेय जल व्यवस्था/ नलजल योजना / पाईप लाईन विस्तार/वाटर कूलर वाटर एटीएम /सोलर आधारित पेयजल /सिंगल फेज पम्प	1200.00
2	पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय	सार्वजनिक स्थल /नदी /नहर किनारे वृक्षारोपण / शासकीय भवन में रैन वाटर हारवेस्टिंग/टी गार्ड / तालाबों की सफाई एवं संरक्षण नरवा संवर्धन/संरक्षण संबंधी अनूपूरक कार्य / सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट/ नर्सरी विकास /नरवा (स्टापडेम) संवर्धन।	300.00
3	स्वास्थ्य देखभाल	प्राथमिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा का निर्माण एवं उन्नयन/मानव संसाधन/एनिमिया टेस्ट कीट/एनआरसी सेंटर /एम्बुलेंस/इन्वटर/मोबाईल मेडिकल यूनिट /एन्टीरकेबीज इंजेक्शन, एन्टीविनम, आवश्यक उपकरण माडूलर फर्नीचर/मुख्यमंत्री हाट बाजार मेडिकल आफिसर/डाक्टरों की भर्ती एनआरसी भवन बीडीएम	2000.00
4	शिक्षा	रिडिंग रूम, आकांक्षा एवं शिखर योजना/स्मार्ट क्लास /व्हाईट/ग्रीन/ब्लैक बोर्ड/फर्नीचर विहिन शालाओं में फर्नीचर प्रदान करना/शाला का उन्नयन/ई मिनी साईंस लेब/वाचनालय सह स्टडीरूम/अतिथि शिक्षक/हास्टल में सोलर वाटर हीटर/इन्वटर/डाईनिंग टेबल/कीचन गार्डन/वासिंग मशीन सायकल स्टेण्ड/शिक्षको का प्रशिक्षण/खेल कूद सामाग्री/कॉलेज में फर्नीचर/माडूलर फर्नीचर स्कूल/हास्टल में आवश्यक सामग्री/सीसी. टी व्ही/प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग क्लासेस/आवासीय प्रशिक्षण/खनन प्रभावित क्षेत्र के छात्रों का शैक्षणिक अनुदान,	2200.00
5	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों और कृषि वानिकी से संबंधित क्रियाकलापों का विकास। बीज लघु साज-सामान (सीड मिनी कीट्स) के प्रावधान द्वारा कृषकों को सहायता कृषि संबंधी औजारों और ड्रिप्स इरिगेशन सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता, नलकूप और पम्प विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता, कृषकों को कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलापों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कृषि वानिकी आदि के लिये सहायता अनुसंचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं.2) के अंतर्गत वन अधिकार धारकों को इस सहायता की पात्रता होगी "कृषि उत्पादों के संग्रहण, भण्डार एवं प्रसंस्करण इकाई के प्रात्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, वनोषधि प्रसंस्करण, कृषि के उन्नत तकनीकी के प्रयोग संबंधी कार्य, पशुओं के नस्ल सुधार, चारे की व्यवस्था, पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य, मिनी राईस मिल स्थापना कार्य, गोठान विकास से संबंधित कार्य, गोठान ग्राम समिति को प्रतिमाह 10000.00 (दस हजार रू.मात्र) प्रदान करना, मूल्य संवर्धन, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के कार्यों को प्रात्साहन, किसान बाजार एवं किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधित कार्य, खखन	1800.00

क्र.	सेक्टर	सेक्टर/कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4
		प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारको के जीवन स्तर में सुधार एवं जीवकोपार्जन के उपाय, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों कुटकी इत्यादि मोटे अनाज, दलहन-तिलहन का उत्पादन/रकबा बढ़ाने के उपाय, जैविक कृषि को प्रोत्साहन, फलदार वृक्षों का रोपण, गौठानो में शेड एवं उपकरण क्रय।	
6	महिला एवं बाल कल्याण	मुख्यमंत्री सुपोषण सुपोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार अभियान/स्मार्ट आंगनवाडी/वेट मशीन आवश्यक सामग्री/टी. व्ही/झूला/शी शा/स्लाईडर/योजनाओ की वाल राईटिंग/एच. बी मीटर एच बी स्ट्रीप्स	1000.00
7	वृद्ध और निःशक्तजन के कल्याण	दिव्यांगजन का कौशल विकास सह स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण, दिव्यांगजनों के सुधारात्मक सर्जरी एवं सहायक उपकरण प्रदान करना, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, कृत्रिम यंत्र, दिव्यांग जतन अभियान।	300.00
8	कौशल विकास एवं रोजगार	स्थानीय पात्र व्यक्ति के जीविका समर्थन, आय अर्जन और आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल विकास, परियोजनाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्रों का विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों को सहायता और स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों, नई पद्धति, उदमशीलता, सेना भर्ती प्रशिक्षण, पी.एस.सी एवं अन्य विभागिय प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क कोंचिग सुविधा (ब्लाक स्तर पर) लाईव्लिहुड कालेज/एम एफ एस डिवाइस।	400.00
9	स्वच्छता	कूड़े का एकत्रण, परिवहन और निबटारा, सार्वजनिक स्थलों की सफाई समुचित जल निकास और मल प्रवाह उपचार संयंत्र हेतु प्रावधान, मल कीचड़ के निबटारों का प्रावधान, शौचालय और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान, वेस्ट टू कम्पोस्ट मशीन क्रय	300.00
10	भौतिक अधोसंरचना	आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़कों, पुलों रेलमार्गों, विमान, पत्तनों, औद्योगिक पार्कों/क्लस्टरस और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने। "अन्य प्राथमिक के क्षेत्रों के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना जैसे कि समस्त प्रकार के भवन, निर्माण, सड़को, पुलों रेलमार्गों, जलमार्गों, विभाग पत्तनों, औद्योगिक अधोसंरचना आदि के लिए न्यास निधि से अधिकतम 20 प्रतिशत राशि उपयोजित की जा सकेगी।" आवश्यक भौतिक संरचना जैसे की समस्त प्रकार के भवन निर्माण सामुदायिक/पंचायत/स्कूल भवन निर्माण, स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, भवन मरम्मत, (रंग रोंगन) कार्य, पुल पुलिया एवं सड़क, अहाता, रंगमंच, निर्माण, औद्योगिक अधोसंरचना, गौठानो में शेड निर्माण, आधुनिक मतस्य बाजार।	3100.00
11	सिंचाई	सिंचाई के विकास समुचित और उन्नत सिंचाई तकनीकियों को अपनाने के लिये। लघु सिंचाई परियोजनायें, उद्वहन सिंचाई (सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना सहित) वाटर शेड (जल ग्रहण कार्यक्रम) प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सतत सिंचाई सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। सिंचाई हेतु पंप एवं पाईप की व्यवस्था। टेल एरिया में नहरो का मरम्मत कच्ची एवं पक्की नालियों का निर्माण, उद्वहन सिंचाई, तालाब।	100.00
12	ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास	पारंपरिक विद्युत और ऊर्जा के अक्षय स्रोतों द्वारा घरेलु विद्युतीकरण और विद्युत अधोसंरचनाओं का सुदृढीकरण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (सूक्ष्म जल विद्युत सहित) और वर्षाजल हार्वेस्टिंग सिस्टम का विकास। फलोद्यान, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी और जलसंग्रहण क्षेत्र का प्रत्यावर्तन के विकास, सोलर हाईमास्ट लाईट।	600.00
13	सार्वजनिक परिवहन	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों और समितियों के माध्यम से परिवहन सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं का विस्तार, बस स्टाप सह	500.00

क्र.	सेक्टर	सेक्टर/कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4
		प्रतिक्षालय।	
14	सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण	खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों/निवासियों के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिये उपाय। खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदाय के मूल सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक के प्रोत्साहन राशि।	50.00
15	युवा गतिविधियों को बढ़ावा	खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित कार्य, युवाओं के खेल कूद उन्नयन हेतु खेल अकादमी की स्थापना एवं खेल कूद हेतु आधार भूत सुविधाओं का विस्तार, ओपन जिम।	100.00
16	ग्राम सभा के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण	पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षण।	50.00
		योग :-	14000.00

वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रस्तावित कार्य की जानकारी

राशि लाख रूपये में

क्र.	सेक्टर	सेक्टर/कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4
1	पेयजल आपूर्ति	गौठानों के चारागाह में बोरखनन स्कूल/आंगनवाडी/छात्रावास/पंचायत भवन/स्वास्थ्य केन्द्र पेय जल व्यवस्था/नलजल योजना /पाईप लाईन विस्तार/वाटर कूलर वाटर एटीएम/सोलर आधारित पेयजल/सिंगल फेज पम्प	800.00
2	पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय	सार्वजनिक स्थल/नदी/नहर किनारे वृक्षारोपण/शासकीय भवन में रैन वाटर हारवेस्टिंग/टी गार्ड/तालाबों की सफाई एवं संरक्षण नरवा संवर्धन/संरक्षण संबंधी अनूपूरक कार्य/सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट/नर्सरी विकास/नरवा (स्टापडेम) संवर्धन।	200.00
3	स्वास्थ्य देखभाल	प्राथमिक माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा का निर्माण एवं उन्नयन/मानव संसाधन/एनिमिया टेस्ट कीट/एनआरसी सेंटर/एम्बुलेंस/इन्वटर/मोबाईल मेडिकल यूनिट/एन्टीरकेबीज इंजेक्शन, एन्टीविनम, आवश्यक उपकरण माडूलर फर्नीचर/मुख्यमंत्री हाट बाजार मेडिकल आफिसर/डाक्टरों की भर्ती एनआरसी भवन बीडीएम	1000.00
4	शिक्षा	रिडिंग रूम, आकांक्षा एवं शिखर योजना /स्मार्ट क्लास /व्हाईट/ग्रीन /ब्लेक बोर्ड /फर्नीचर विहिन शालाओं में फर्नीचर प्रदान करना/ शाला का उन्नयन /ई मिनी साईस लेब/वाचनालय सह स्टडीरूम / अतिथि शिक्षक / हास्टल में सोलर वाटर हीटर/इन्वटर/डाईनिंग टेबल/कीचन गार्डन/वासिंग मशीन सायकल स्टेण्ड /शिक्षको का प्रशिक्षण/ खेल कूद सामाग्री/कॉलेज में फर्नीचर/ माडूलर फर्नीचर स्कूल/हास्टल में आवश्यक सामग्री/ सीसी. टी व्ही /प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग क्लासेस / आवासीय प्रशिक्षण /खनन प्रभावित क्षेत्र के छात्रों का शैक्षणिक अनुदान, इंग्लिस मीडियम स्कूल की स्थापना	1800.00
5	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों और कृषि वानिकी से संबंधित क्रियाकलापों का विकास। बीज लघु साज-सामान (सीड मिनी कीट्स) के प्रावधान द्वारा कृषकों को सहायता कृषि संबंधी औजारों और ड्रिप्स इरिगेशन सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता, नलकूप और पम्प विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता, कृषकों को कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलापों जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्यपालन, कृषि वानिकी आदि के लिये सहायता अनुसंचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का सं.2) के अंतर्गत वन अधिकार धारकों	1200.00

क्र.	सेक्टर	सेक्टर/ कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4
		को इस सहायता की पात्रता होगी "कृषि उत्पादों के संग्रहण, भण्डार एवं प्रसंस्करण इकाई के प्रात्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, वनोषधि प्रसंस्करण, कृषि के उन्नत तकनीकी के प्रयोग संबंधी कार्य, पशुओं के नस्ल सुधार, चारे की व्यवस्था, पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कार्य, मिनी राईस मिल स्थापना कार्य, गौठान विकास से संबंधित कार्य, गौठान ग्राम समिति को प्रतिमाह 10000.00 (दस हजार रु. मात्र) प्रदान करना, मूल्य संवर्धन, फारवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के कार्यों को प्रात्साहन, किसान बाजार एवं किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण संबंधित कार्य, खखन प्रभावित वन अधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार एवं जीवकोपार्जन के उपाय, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों कुटकी इत्यादि मोटे अनाज, दलहन-तिलहन का उत्पादन/रकबा बढ़ाने के उपाय, जैविक कृषि को प्रोत्साहन, फलदार वृक्षों का रोपण, गौठानों में शेड एवं उपकरण क्रय।	
6	महिला एवं बाल कल्याण	मुख्यमंत्री सुपोषण सुपोषण अभियान एवं पूरक पोषण आहार अभियान / स्मार्ट आंगनबाडी / वेट मशीन आवश्यक सामग्री / टी.व्ही / झूला / शी शा / स्लाइडर / योजनाओ की वाल राईटिंग / एच.बी मीटर एच बी स्ट्रीप्स	500.00
7	वृद्ध और निःशक्तजन के कल्याण	दिव्यांगजन का कौशल विकास सह स्वावलंबन हेतु प्रशिक्षण, दिव्यांगजनों के सुधारात्मक सर्जरी एवं सहायक उपकरण प्रदान करना, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, कृत्रिम यंत्र, दिव्यांग जतन अभियान।	100.00
8	कौशल विकास एवं रोजगार	स्थानीय पात्र व्यक्ति के जीविका समर्थन, आय अर्जन और आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल विकास, परियोजनाओं/कार्यक्रमों में प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्रों का विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों को सहायता और स्वरोजगार आर्थिक क्रियाकलापों, नई पद्धति, उद्मशीलता, सेना भर्ती प्रशिक्षण, पी.एस सी एवं अन्य विभागिय प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क कोचिंग सुविधा (ब्लाक स्तर पर) लाईव्लीहुड कालेज/एम एफ एस डिवाईस।	400.00
9	स्वच्छता	कूड़े का एकत्रण, परिवहन और निबटारा, सार्वजनिक स्थलों की सफाई समुचित जल निकास और मल प्रवाह उपचार संयंत्र हेतु प्रावधान, मल कीचड़ के निबटारे का प्रावधान, शौचालय और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान, वेस्ट टू कम्पोस्ट मशीन क्रय	100.00
10	जनकल्याण	राज्य शासन के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान।	150.00
11	सतत जीवकोपार्जन	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय समुदाय के आय एवं जीवन स्तर में सुधार संबंधी उपाय एवं जीवकोपार्जन के विभिन्न उपाय एवं क्षमता निर्माण, ग्रामोद्योग एवं हस्तशिल्प, वनधिकार पट्टाधारकों के जीवन स्तर में सुधार संबंधी कार्य।	50.00
12	भौतिक अधोसंरचना	आवश्यक भौतिक संरचनाओं जैसे कि सड़कों, पुलों रेलमार्गों, विमान, पत्तनों, औद्योगिक पार्कों/क्लस्टर और अन्य औद्योगिक अधोसंरचना आदि उपलब्ध कराने। "अन्य प्राथमिक के क्षेत्रों के अंतर्गत भौतिक अधोसंरचना जैसे कि समस्त प्रकार के भवन, निर्माण, सड़को, पुलों रेलमार्गों, जलमार्गों, विभाग पत्तनों, औद्योगिक अधोसंरचना आदि के लिए न्यास निधि से अधिकतम 20 प्रतिशत राशि उपयोजित की जा सकेगी।" आवश्यक भौतिक संरचना जैसे की समस्त प्रकार के भवन निर्माण सामुदायिक/पंचायत/स्कूल भवन निर्माण, स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, भवन मरम्मत, (रंग रोंगन) कार्य, पुल पुलिया एवं सड़क, अहाता, रंगमंच, निर्माण, औद्योगिक अधोसंरचना, गौठानों में शेड निर्माण।	1700.00

क्र.	सेक्टर	सेक्टर/कार्य विवरण	राशि
1	2	3	4
13	सिंचाई	सिंचाई के विकास समुचित और उन्नत सिंचाई तकनीकियों को अपनाने के लिये। लघु सिंचाई परियोजनायें, उद्वहन सिंचाई (सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना सहित) वाटर शेड (जल ग्रहण कार्यक्रम) प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में सतत सिंचाई सुविधा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। सिंचाई हेतु पंप एवं पाईप की व्यवस्था। टेल एरिया में नहरो का मरम्मत कच्ची एवं पक्की नालियों का निर्माण, उद्वहन सिंचाई, तालाब।	300.00
14	ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास	पारंपरिक विद्युत और ऊर्जा के अक्षय स्रोतों द्वारा घरेलु विद्युतीकरण और विद्युत अधोसंरचनाओं का सुदृढीकरण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (सूक्ष्म जल विद्युत सहित) और वर्षाजल हार्वेस्टिंग सिस्टम का विकास। फलोद्यान, एकीकृत कृषि और आर्थिक वानिकी और जलसंग्रहण क्षेत्र का प्रत्यावर्तन के विकास, सोलर हाईमास्ट लाईट।	900.00
15	सार्वजनिक परिवहन	प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों और समितियों के माध्यम से परिवहन सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं का विस्तार, बस स्टाप सह प्रतिकक्षालय।	400.00
16	सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण	खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों/निवासियों के मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिये उपाय। खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदाय के मूल सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक के प्रोत्साहन राशि।	50.00
17	युवा गतिविधियां को बढ़ावा	खनन प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के सामाजिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के प्रोत्साहन संबंधित कार्य, युवाओं के खेल कूद उन्नयन हेतु खेल अकादमी की स्थापना एवं खेल कूद हेतु आधार भूत सुविधाओं का विस्तार, ओपन जिम।	300.00
18	ग्राम सभा के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण	पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षण।	50.00
योग :-			10000.00

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 2741) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले के अंतर्गत खनिज डोलोमाईट, निम्न श्रेणी चूनापत्थर, क्वार्टज, क्वार्टजाईट, फायरक्ले एवं साधारण पत्थर के स्वीकृत खदानों की जानकारी

क्र.	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. में)	अवधि
1	मेसर्स महामिया मिनरल्स प्रो. श्री त्रिलोक चन्द अग्रवाल पिता श्री मुरारी लाल अग्रवाल निवासी रायगढ़	डोलोमाईट	ग्राम कटंगपाली, तहसील बरमकेला	4.016	21.03.2011 से 20.03.2041
2	श्री आशीष गोयल आत्मज स्व. श्री हरिकिशन गोयल निवासी जगतपुर, जिला रायगढ़	डोलोमाईट	छैलफोरा एवं कटंगपाली, तहसील बरमकेला	4.242	24.12.2009 से 23.12.2029
3	मेसर्स हर्ष मिनरल्स प्रो. श्री सुशील मित्तल निवासी नयागंज इतवारी बाजार जिला रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम कटंगपाली, तहसील बरमकेला	4.992	29.08.2009 से 28.08.2029
4	मेसर्स अग्रसेन माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्ट सर्व श्री नीरज अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल एवं अशोक अग्रवाल निवासी सत्तीगुड़ी चौक रायगढ़, जिला रायगढ़	डोलोमाईट	ग्राम जोतपुर, तहसील बरमकेला	4.592	04.12.2012 से 03.12.2042
5	मेसर्स सतगुरु साई मिनरल्स प्रा. लिमि. डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ सारदा, आफिस नम्बर 44, कृष्णा शापिंग मॉल, चैतन्य नगर, ढिमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम कटंगपाली, तहसील बरमकेला	4.399	20.10.2010 से 19.10.2030
6	मेसर्स रमेश कुमार घनश्याम अग्रवाल पार्ट श्री रमेश कुमार अग्रवाल निवासी गोडम, तहसील सारंगढ़, रायगढ़(छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम बिलाईगढ़, तहसील बरमकेला	4.299	23.10.2012 से 22.10.2042
7	श्रीमती अराधना पटेल पति श्री पदुम पटेल, निवासी गोबरसिंघा, तहसील सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम कटंगपाली, तहसील बरमकेला	4.729	22.03.2017 से 21.03.2067
8	श्री पीलाबाबु पटेल, निवासी ग्राम पेण्डरवा तहसील डभरा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)	डोलोमाईट	मौहापाली, बरमकेला	4.660	22.03.2017 से 21.03.2067
9	मेसर्स रायगढ़ मिनरल्स प्रा. लिमिटेड, प्रो. श्री कमल शर्मा निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम बिलाईगढ़, तहसील बरमकेला	4.659	22.03.2017 से 21.03.2067
10	मेसर्स बालाजी माईन्स एण्ड मिनरल्स पार्ट श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी बोन्दा तहसील सारंगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम जोतपुर तहसील बरमकेला	4.260	23.02.2018 से 22.02.2068
11	मेसर्स जयश्री श्याम ग्रामोद्योग, प्रो. श्री अनूप बिरनीवाल आ. श्री पूरनलाल बिरनीवाल निवासी दुर्गा राईस मिल बाईपास रोड सांगीतराई रायगढ़(छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम जोतपुर, दुलमपुर एवं मौहापाली तहसील बरमकेला	4.961	25.07.2017 से 24.07.2067 तक
12	श्री गौतम अग्रवाल पिता श्री रोशन लाल अग्रवाल निवासी किरोडीमल	डोलोमाईट	ग्राम छोटे हल्दी, तहसील पुसौर	4.379	19.01.2012 से 18.01.2032

क्र.	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. में)	अवधि
	कोलोनो जिला रायगढ़ (छ.ग.)				
13	श्री इन्द्रपाल सिंह भाठिया पिता स्व. हरबंश सिंह भाठिया निवासी जगतपुर रोड रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम छोटे हल्दी तहसील पुसौर	4.000	29.09.2011 से 28.09.2041
14	श्री राजेश अग्रवाल आत्मज श्री जयनारायण अग्रवाल, निवासी सरिया, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	ग्राम साल्हेओना एवं बिलाईगढ़, तहसील बरमकेला	4.813	27.10.2016 से 26.10.2066
15	मेसर्स यंगटी इंटरप्राइसेस प्रो. श्रीमती दुर्गा दिनोदिया	क्वार्टजाईट	ग्राम टिपाखोल, तहसील रायगढ़	6.175	26.06.2003 से 25.06.2053
16	मेसर्स ओसीएल कंपनी लिमिटेड राजगांगपुर(उड़ीसा)	क्वार्टजाईट	ग्राम चिराईपानी, तहसील रायगढ़	19.80	27.01.1981 से 26.01.2031
17	श्री नटवर गोपाल अग्रवाल आ. स्व. मदन लाल अग्रवाल निवासी पथलगांव, तहसील पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)	क्वार्टज	ग्राम बालकपोड़ी, तहसील धरमजयगढ़	4.314	13.11.2017 से 12.11.2067
18	श्रीमती उषा अग्रवाल पति श्री हुकुमचन्द अग्रवाल, निवासी ग्राम नवापाली, तहसील बरमकेला, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सहजपाली, तहसील बरमकेला	1.056	03.10.2011 से 02.10.2041
19	श्री कैलाश नायक पिता श्री शक्राजीत नायक, निवासी नवापाली तहसील बरमकेला, जिला रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सहजपाली, तहसील बरमकेला	0.981	03.10.2011 से 02.10.2041
20	श्री राधामाधव केशर उद्योग, प्रो. श्री मिथलेश अग्रवाल, आत्मज श्री परमानंद अग्रवाल, निवासी ग्राम जामगांव (कोलईबहार) तहसील व जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम त्रिभौना, तहसील पुसौर	1.911	05.07.2008 से 04.07.2038
21	मेसर्स शालिनी इंटरप्राइजेस, प्रो. श्री रमेश कुमार होता आ. श्री महेश्वर प्रसाद होता, निवासी ग्राम देवलसुरा तह. पुसौर जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम छोटे हल्दी, तहसील पुसौर	1.487	23.03.2009 से 22.03.2029
22	मेसर्स कृष्णा बिल्डकॉन प्रा. लिमि. डॉय. श्री अनिल केडिया पिता श्री नरसिंह लाल केडिया निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम लालाधुरवा, तहसील सारंगढ़	1.595	11.02.2012 से 10.02.2022
23	मेसर्स सारंगढ़ केशर उद्योग प्रो. श्री नंदकिशोर अग्रवाल पिता श्री मोहन लाल अग्रवाल निवासी प्रतापगंज सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सेन्दुरस, तहसील सारंगढ़	0.661	11.02.2002 से 10.02.2032
24	मेसर्स सारंगढ़ स्टोन केशर उद्योग प्रो. श्रीमती सरिता अग्रवाल पति श्री नंदकिशोर अग्रवाल निवासी प्रतापगंज सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.324	27.07.2010 से 26.07.2040
25	मेसर्स विनायक स्टोन केशर उद्योग प्रो. श्रीमती वर्षा बंसल पति श्री सुशील बंसल निवासी वार्ड नं. 43, अंबेडकर नगर, डीपापारा, कबीर चौक जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.600	25.11.2005 से 24.11.2035

159

क्र.	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. मं.)	अर्जादि
26	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल पिता श्री रामअवतार अग्रवाल निवासी सारंगढ जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सेन्दुरस तहसील सारंगढ	0.416	16.12.2010 से 15.12.2040
27	मेसर्स मां नाथलदाई क्रशर उद्योग. प्रो. श्री शिवकुमार अग्रवाल पिता श्री बजरंग लाल अग्रवाल निवासी चन्दरपुर, तहसील डभरा, जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ	0.720	08.08.2011 से 07.08.2041
28	मेसर्स गणपति मिनरल्स प्रो. श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल निवासी रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ	0.648	12.12.2010 से 11.12.2040
29	मेसर्स जय मां बंजारी ग्रामोद्योग प्रो. श्री संजय अग्रवाल पिता श्री परमानंद अग्रवाल निवासी रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ	0.583	12.12.2011 से 11.12.2041
30	मेसर्स प्रगति क्रेशर उद्योग प्रो. श्री संजय अग्रवाल पिता श्री राजकुमार अग्रवाल निवासी पुराना सदर बाजार, जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ	0.688	23.06.2010 से 22.06.2040
31	श्रीमती सुशीला रतेरिया पति स्व. श्री गौरीशंकर रतेरिया निवासी मुजू संगी निवास वार्ड नं.-19 जिला रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ	1.234	23.06.2010 से 22.06.2040
32	श्री श्याम मिनरल्स प्रो. श्री दीपक सिंघल पिता श्री जे.पी. सिंघल निवासी सिटी कोतवाली के पास रायगढ(छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सरसरा, तहसील सारंगढ	2.250	15.06.2010 से 14.06.2040
33	मेसर्स हनुमान क्रेशर उद्योग प्रो. श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल पिता स्व. श्री रामस्वरूप दास अग्रवाल निवासी कोतरा रोड, रायगढ जिला-रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ	0.709	24.06.2010 से 23.06.2040
34	मेसर्स राज मिनरल्स पार्ट. शिरिष अग्रवाल, शशांक अग्रवाल आ. स्व. कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी नया गंज पुराना बडपारा रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सेन्दुरस, तहसील सारंगढ	0.633	27.07.2010 से 26.07.2040
35	मेसर्स राज मिनरल्स पार्ट. शिरिष अग्रवाल, शशांक अग्रवाल आ. स्व. कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी नया गंज पुराना बडपारा रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ	0.547	27.07.2010 से 26.07.2040
36	मेसर्स एस.एस.मिनरल्स प्रो. श्री श्याम लाल अग्रवाल पिता स्व. श्री महावीर अग्रवाल निवासी लाल टंकी के पास रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ	2.439	31.08.2010 से 30.08.2040
37	मेसर्स शुभ मिनरल्स पार्ट. श्री बसंत कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री गुलाबचन्द अग्रवाल निवासी रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ	0.913	18.08.2010 से 17.08.2040
38	मेसर्स बापोडिया ग्रामोद्योग प्रो. श्रीमती नीतु बापोडिया पति श्री गोपाल प्रसाद बापोडिया, निवासी सारंगढ रोड	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ	0.652	04.09.2010 से 03.09.2040

क्र.	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. में)	अवधि
	रायगढ़ (छ.ग.)				
39	मेसर्स भवानी मिनरल्स प्रो. श्री विनय कुमार गुप्ता पिता स्व. श्री रामनिवास गुप्ता निवासी कोतरा रोड, रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	1.187	30.09.2010 से 29.09.2040
40	श्री बालाजी क्रेशर उद्योग प्रो. श्रीमती रेनु अग्रवाल पति श्री अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सारंगढ़ तह. सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम खरीबड़े, तहसील सारंगढ़	0.994	08.03.2011 से 07.03.2041
41	श्री बालाजी मिनरल्स प्रो. श्री अशोक कुमार अग्रवाल पिता श्री जगदीश प्रसाद निवासी सारंगढ़ जिला रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम खरीबड़े, तहसील सारंगढ़	0.429	08.03.2011 से 07.03.2041
42	मेसर्स राधा कृष्णा मिनरल्स प्रो. श्रीमती मीना देवी अग्रवाल पति श्री महेन्द्र अग्रवाल निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम खरीबड़े, तहसील सारंगढ़	1.253	08.03.2011 से 07.03.2041
43	मेसर्स पुरुषोत्तम क्रेशर उद्योग प्रो. श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल निवासी सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम खरीबड़े, तहसील सारंगढ़	1.049	08.03.2011 से 07.03.2041
44	मेसर्स अग्रवाल क्रेशर उद्योग प्रो. श्रीमती मधु देवी अग्रवाल पति श्री राजेश अग्रवाल निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम खरीबड़े, तहसील सारंगढ़	1.365	08.03.2011 से 07.03.2041
45	मेसर्स अगसेन क्रेशर उद्योग, प्रो. श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम खरीबड़े, तहसील सारंगढ़	0.990	08.03.2011 से 07.03.2041
46	मेसर्स शुभम मिनरल्स प्रो. श्रीमती सीमा अग्रवाल पति श्री सुभाष अग्रवाल निवासी गांधीगंज तह. व जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	गुडेली	1.056	06.12.2010 से 05.12.2040
47	मेसर्स एस. एन. मिनरल्स श्रीमती सीमा केडिया पति श्री महेश कुमार केडिया निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सरसरा, तहसील सारंगढ़	1.619	06.12.2010 से 05.12.2040
48	मेसर्स श्री गणपति ग्रामोद्योग, प्रो. श्रीमती रश्मि अग्रवाल पति श्री पंकज अग्रवाल निवासी दानीपारा वार्ड क्र-18 रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	2.153	04.11.2010 से 03.11.2040
49	श्री मनोज सिंह पिता श्री कपिलदेव सिंह निवासी रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिसुरलगा, तहसील सारंगढ़	0.631	11.03.2011 से 10.03.2041
50	श्री राजीव भूषण पाण्डेय पिता श्री बृज भूषण पाण्डेय निवासी बडैमठ पारा सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.603	10.04.2012 से 09.04.2042
51	मंगल स्टोन क्रेशर प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर कमल गर्ग निवासी खरसियां तहसील खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम बानीपाथर, तहसील खरसिया	1.524	30.01.2017 से 29.01.2047
52	संतोष अग्रवाल आत्मज श्री रामअवतार अग्रवाल निवासी सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.63	27.12.2010 से 26.12.2040

क्र.	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. में)	अवधि
53	बाबा मिनरल्स गुडेली प्रो. श्री राजेश अग्रवाल पिता श्री काशीराम अग्रवाल निवासी रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	1.478	08.03.2011 से 07.03.2041
54	मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक प्रो. श्री विवेक अग्रवाल पिता श्री रिशि अग्रवाल निवासी गांधीगंज रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.825	22.10.2010 से 21.10.2040
55	मेसर्स हनुमान मिनरल्स प्रो. श्री पवन अग्रवाल पिता श्री बजरंग लाल अग्रवाल निवासी दानसरा, तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ़	0.355	02.04.2011 से 01.04.2041
56	मेसर्स जगदम्बा स्टील एण्ड पावरटेक लिमिटेड डॉय. श्री बालमुकुन्द अग्रवाल निवासी सत्तीगुडी चौक रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	2.454	30.10.2010 से 29.10.2040
57	मेसर्स श्याम स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री विजय कुमार अग्रवाल पिता श्री लालचंद अग्रवाल निवासी लैलूंगा तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़(छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ़	0.947	11.03.2011 से 10.03.2041
58	मेसर्स जय माता दी क्रेशर उद्योग प्रो. श्री मिनकेतन वर्मा पिता श्री प्रताप सिंह वर्मा निवासी ग्राम देवगांव, तहसील बरमकेला जिला रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम अमलीपाली, तहसील सारंगढ़	0.729	11.03.2011 से 10.03.2041
59	मेसर्स हिलब्रो मेटेलिक एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड डॉय. श्री सुनील कुमार अग्रवाल निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ़	1.003	05.06.2011 से 04.06.2041
60	मेसर्स हिलब्रो मेटेलिक एण्ड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड डॉय. श्री सुनील कुमार अग्रवाल निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ़	1.648	05.06.2011 से 04.06.2041
61	जे.के. क्रेशर प्रो. श्री रामप्रताप साहू पिता श्री रेशम लाल साहू निवासी रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.7	03.06.2011 से 02.06.2041
62	श्री सुभाष अग्रवाल पिता स्व. श्री किशन लाल अग्रवाल निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ़	0.429	03.06.2011 से 02.06.2021
63	श्री भानूदास जी मिनरल्स प्रा.लि. डॉय श्री अमित कुमार बंसल निवासी फ्रेण्ड्स कालोनी रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	1.223	12.12.2011 से 11.12.2041
64	मेसर्स साई मेटल प्रो. श्री अशोक अग्रवाल स्व. श्री भगवान दास अग्रवाल निवासी रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.562	22.05.2014 से 21.05.2024
65	मेसर्स मां चन्द्रहासिनी क्रेशर उद्योग प्रो. श्रीमती शशि अग्रवाल पति श्री राजेश अग्रवाल निवासी स्टेडियम के पास रायगढ़ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम सेन्दुरस, तहसील सारंगढ़	0.79	20.11.2014 से 19.11.2024
66	श्रीमती मधु अग्रवाल पति श्री सुशील अग्रवाल निवासी रायगढ़	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम गुडेली, तहसील सारंगढ़	0.67	27.12.2010 से 26.12.2040
67	श्री प्रदीप अग्रवाल आ. स्व. महावीर प्रसाद अग्रवाल	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा, तहसील सारंगढ़	0.748	03.04.2006 से 02.04.2036

163

क्र	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. में)	अवधि
68	मेसर्स शिखर गिनरत्स प्रो. श्री राजेश्वर पटेल निवासी टिमरलगा तहसील सारगढ जिला रायगढ(छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा तहसील सारगढ	1.105	05.04.2019 से 04.04.2049 तक
69	मेसर्स गुरु इंटरप्राइजेस प्रो. श्री आलोक अग्रवाल निवासी पुराना सदर बाजार जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम टिमरलगा तहसील सारगढ	1.470	05.04.2019 से 04.04.2049 तक
70	श्री भरत कुमार मीरानी, निवासी खरसियां तहसील खरसियां जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम बानीपाथर , तहसील खरसिया	0.902	26.05.2003 से 25.05.2033
71	श्री महेश कुमार गर्ग, आ. श्री सुभाष कुमार गर्ग निवासी खरसिया तहसील खरसियां जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम बानीपाथर , तहसील खरसिया	1.926	03.04.2010 से 02.04.2040
72	श्री मुकेश अग्रवाल निवासी स्टेशन रोड खरसियां, तह. खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम जामझोर, तहसील खरसिया	1.781	21.02.2017 से 20.02.2047
73	श्री अशोक कुमार अग्रवाल पिता श्री रामनिवास अग्रवाल निवासी खरसिया रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम कमलीपाठ , तहसील खरसिया	0.615	20.11.2011 से 19.11.2041
74	श्री अभय महंती पिता मेसर्स अरविंद केशर स्टोन, निवासी ग्राम जामझोर, तहसील खरसिया, जिला रायगढ(छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम जामझोर, तहसील खरसिया	1.210	20.10.2010 से 19.10.2040
75	श्रीमती रमा गर्ग पति श्री अशोक गर्ग निवासी खरसिया जिला रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम चोढा, तहसील खरसिया	0.567	24.01.2007 से 23.01.2037
76	मेसर्स एम.एस.माईन्स इण्डस्ट्रीज, प्रो. श्री मुरलीधर अग्रवाल पिता श्री गजानंद अग्रवाल निवासी रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम बानीपाथर , तहसील खरसिया	0.773	11.04.2012 से 10.04.2042
77	श्रीमती शिवकुमारी राठिया, पति श्री केशव प्रसाद राठिया, निवासी ग्राम चोढा, तहसील खरसिया जिला रायगढ	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम चोढा, तहसील खरसिया	1.132	21.03.2018 से 20.03.2048
78	श्री राजेश अग्रवाल, आ. श्री रामूलाल अग्रवाल निवासी खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	बानीपाथर	2.185	27.02.2018 से 26.02.2048
79	श्री रासविहारी गुप्ता आ. श्री गिरधर गुप्ता, निवासी पोस्ट आफिस के पीछे कन्या भवन रोड, तहसील खरसिया जिला रायगढ (छ.ग.)	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	ग्राम जामझोर , तहसील खरसिया	1.429	12.02.2018 से 11.02.2048
80	श्री ग. स्टोन केशर प्रो. श्री मनोज अग्रवाल, निवासी महापल्ली रायगढ	पत्थर	ग्राम कोतरलिया तहसील रायगढ	1.267	18.11.2011 से 17.11.2041
81	श्री विजय कुमार अग्रवाल निवासी पत्थलगांव, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	ग्राम तेजपुर तहसील धरमजयगढ	2.000	19.11.2009 से 18.11.2039
82	श्री उमेश अग्रवाल आ. स्व. दुलीचन्द अग्रवाल निवासी लैलूंगा, जिला रायगढ(छ.ग.)	पत्थर	ग्राम माझीआमा तहसील लैलूंगा	0.960	04.04.2012 से 03.04.2022
83	श्री विकल मित्तल आ. श्री अशोक मित्तल, निवासी जामबहार, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ (छ.ग.)	साधारण पत्थर	ग्राम जामबहार तहसील लैलूंगा	1.850	03.09.2009 से 02.09.2039

क्र.	पट्टेधारी का नाम व पता	खनिज	ग्राम व तहसील	रकबा (हे. में)	अवधि
84	श्रीमती सविता अग्रवाल पति श्री नरेश अग्रवाल, निवासी लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	पत्थर	ग्राम कुपाकानी, तहसील लैलूंगा	0.728	29.08.2011 से 28.08.2021
85	मेसर्स मारुति स्टोन क्रेशर प्रो. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सुखापारा, तहसील पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	ग्राम गहनाझरिया तहसील लैलूंगा	2.000	08.03.2019 से 07.03.2049
86	श्री कृष्ण कन्हैया पटेल आ. श्री टीकाराम पटेल निवासी ग्राम परसदा छोटे तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़(छ.ग.)	साधारण पत्थर	ग्राम खैरपाली, तहसील सारंगढ़	1.154	08.03.2019 से 07.03.2049
87	श्री सज्जन अग्रवाल आ. श्री रूडमल अग्रवाल निवासी रेल्वे स्टेशन चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)	फायरक्ले	ब्राम्हणपाली, घरघोड़ा	4.950	17.10.2007 से 16.10.2027
88	श्री हेम सुंदर आ. दिनबंधु पटेल, निवासी भालुमार, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)	फायरक्ले	पड़कीपहरी, घरघोड़ा	4.235	11.10.2017 से 10.10.2067

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2742) की जानकारी]

जिला रायगढ़ में खनिज कोंयला भंडारण की दी गई अनुमति की जानकारी

स.क्र.	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पूर्ण पता	ग्राम एवं तहसील	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुज्ञप्ति का प्रकार	अनुमति जारी दिनांक	अवधि	खनिज भण्डारण क्षमता(मै. टन में)
1	मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड ग्राम पूंजीपथरा तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)	पूंजीपथरा तमनार	0.800	भण्डारण	18.02.2020	18.02.2020 से 17.02.2030 तक	10000
2	मेसर्स पवनसुत इन्फ्रावेचर प्राय. लिमिटेड डाय. श्री मनोज बंसल आ. स्व. श्री बजरंग लाल बंसल, निवासी रायगढ़	पाली, तमनार	0.607	भण्डारण	05.01.2021	05.01.2021 से 04.01.2031 तक	5000
3	श्री मंगल लॉजिस्टिक प्रो. श्री महेश गर्ग आ. श्री सुभाष गर्ग निवासी खरसियां जिला रायगढ़(छ.ग.)	केराझार, रायगढ़	0.316	भण्डारण	05.01.2021	05.01.2021 से 04.01.2031 तक	10000
4	मेसर्स जय मां शारदा कोल ट्रेडिंग कंपनी ग्राम पाली तहसील व जिला रायगढ़(छ.ग.)	पाली रायगढ़	0.483	भण्डारण	18.02.2020	18.02.2020 से 17.02.2025 तक	10000
5	मेसर्स वेदांता वाशरी एण्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रा0लिमि0 डाय. श्री सुर्यकान्त अग्रवाल, पिता श्री संतोष कुमार अग्रवाल निवासी गांधीगंज रायगढ़	कुनकुनी, खरसिया	1.426	भण्डारण	07.08.2019	07.08.2019 से 06.08.2029	25250
6	मेसर्स वेदांता वाशरी एण्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रा0लिमि0 डाय. श्री सुर्यकान्त अग्रवाल, पिता श्री संतोष कुमार अग्रवाल निवासी गांधीगंज रायगढ़	कुनकुनी, खरसिया	2.406	भण्डारण	30.07.2019	30.07.2019 से 29.07.2029	15250
7	मेसर्स अंबे कोल डिपो प्रो. राजकुमार निराला आ. श्री जेहरु कुमार निवासी वार्ड नं. 33 जूटमिल रायगढ़ (छ.ग.)	बड़माल, पुसौर	0.936	भण्डारण	10.07.2019	10.07.2019 से 09.07.2024	2000
8	मेसर्स आदित्य कोल बेनिफिकेशन प्रो. श्री राजेश अग्रवाल निवासी रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चिराईपानी, रायगढ़	1.453	भण्डारण	02.07.2019	02.07.2019 से 01.07.2024 तक	10000
9	मेसर्स आर.डी.एस. टोसपोर्ट प्रो. श्री गणेश अग्रवाल निवासी बाल सदन रोड हण्डी चौक रायगढ़	लाखा रायगढ़	1.008	भण्डारण	08.03.2019	08.03.2019 से 07.03.2024	10000

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2755) के भाग (क) की जानकारी]

(राशि रू.लाख में)

क.	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2019-20 में लागत राशि	वर्ष 2020-21 में लागत राशि	कुल लागत राशि	टिप्पणी
1	जाजगीर-चांपा	बम्हनीडीह	548.25	36.30	584.55	08 ब्लॉक मुख्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लो.नि.वि. को भवनों का आधिपत्य सौंपा जा चुका है एवं 01 ब्लॉक मुख्यालय की हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2		नवागढ़	548.25	10.33	558.58	
3		जैजैपुर	548.25	35.81	584.06	
4		सक्ती	548.25	8.78	557.03	
5		डभरा	548.25	-38.66	509.59	
6		पामगढ़	548.25	11.26	559.51	
7		बलौदा	548.25	35.14	583.39	
8		अकलतरा	548.25	11.03	559.28	
9		मालखरौदा	548.25	-34.68	513.57	
		कुल	4934.25	75.31	5009.56	

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 2759) की जानकारी]

शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के भुगतान की जिलेवार जानकारी
(05-08-2020 से अब तक की स्थिति में)

क्रं.	जिला का नाम	जिला भूमियन का नाम	कुल प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5
1	वीनापुर	वीनापुर	28	48,85,000.00
2	मुकमा	मुकमा	8	12,90,000.00
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	16	21,80,000.00
4	जगदलपुर	जगदलपुर	2	2,30,000.00
5	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर	13	17,50,000.00
		पूर्व भानुप्रतापपुर	0	0
		कांकेर	20	31,50,000.00
6	कौडागांव	कोण्डागांव	3	4,30,000.00
		केशकाल	3	6,00,000.00
7	नारायणपुर	नारायणपुर	13	15,80,000.00
8	मरवाही	मरवाही	1	2,00,000.00
9	बिलासपुर	बिलासपुर	4	2,90,000.00
10	कोरवा	कोरवा	3	4,30,000.00
		कटघोरा	2	4,00,000.00
11	रायगढ़	रायगढ़	22	39,90,000.00
12	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	61	96,50,000.00
13	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	0	0
14	राजनांदगांव	खैरागढ़	0	0
		राजनांदगांव	25	24,00,000.00
15	वालौद	वालौद	6	8,90,000.00
16	कवर्धा	कवर्धा	0	0
17	धमतरी	धमतरी	13	15,80,000.00
18	गरियाबंद	गरियाबंद	49	69,10,000.00
19	महासमुन्द	महासमुन्द	36	58,40,000.00
20	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	0	0
21	सरगुजा	सरगुजा	1	2,00,000.00
22	सुरजपुर	सुरजपुर	0	0
23	बलरामपुर	बलरामपुर	12	20,90,000.00
24	मनेन्द्रगढ़	कोरिया	0	0
		मनेन्द्रगढ़	4	6,30,000.00
25	जशपुरनगर	जशपुरनगर	10	17,05,000.00
योग:-			355	5,33,00,000.00

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2767) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि
		(रु.लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कांकेर	3395.440	2422.150	973.290	6492.610	2336.720	4155.890
2	कोण्डागांव	2645.450	1932.930	712.520	4337.870	1379.870	2958.000
3	नारायणपुर	1397.040	1278.100	118.940	1728.590	648.570	1080.020
4	बस्तर	4011.313	3413.163	598.150	2683.251	1599.061	1084.190
5	दंतेवाड़ा	1618.546	1145.033	473.513	1683.753	1022.571	661.182
6	सुकमा	1703.059	1508.136	194.923	1069.972	688.668	381.304
7	बीजापुर	2548.150	1982.744	565.406	3187.421	1577.370	1610.051
8	रायपुर	1627.700	1049.560	578.140	1859.900	1033.790	826.110
9	बलौदाबाजार	2971.976	1888.428	1083.548	1926.160	713.733	1212.427
10	धमतरी	2424.637	1304.934	1119.703	576.375	197.625	378.750
11	गरियाबंद	1749.451	598.577	1150.874	2463.547	614.932	1848.615
12	महासमुन्द	1716.191	1019.423	696.768	1723.903	388.203	1335.700
13	दुर्ग	469.560	360.970	108.590	173.310	88.710	84.600
14	बेमेतरा	4.750	3.700	1.050	2.670	2.060	0.610
15	बालोद	1500.053	774.877	725.176	1256.126	292.843	963.283
16	राजनांदगांव	2237.788	1666.179	571.609	3205.552	1368.602	1836.950
17	कवर्धा	2208.620	1338.770	869.850	3155.900	772.780	2383.120

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 2767) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि
		(रु.लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कांकेर	3395.440	2422.150	973.290	6492.610	2336.720	4155.890
2	कोण्डागांव	2645.450	1932.930	712.520	4337.870	1379.870	2958.000
3	नारायणपुर	1397.040	1278.100	118.940	1728.590	648.570	1080.020
4	बस्तर	4011.313	3413.163	598.150	2683.251	1599.061	1084.190
5	दंतेवाड़ा	1618.546	1145.033	473.513	1683.753	1022.571	661.182
6	सुकमा	1703.059	1508.136	194.923	1069.972	688.668	381.304
7	बीजापुर	2548.150	1982.744	565.406	3187.421	1577.370	1610.051
8	रायपुर	1627.700	1049.560	578.140	1859.900	1033.790	826.110
9	बलौदाबाजार	2971.976	1888.428	1083.548	1926.160	713.733	1212.427
10	धमतरी	2424.637	1304.934	1119.703	576.375	197.625	378.750
11	गरियाबंद	1749.451	598.577	1150.874	2463.547	614.932	1848.615
12	महासमुन्द	1716.191	1019.423	696.768	1723.903	388.203	1335.700
13	दुर्ग	469.560	360.970	108.590	173.310	88.710	84.600
14	बेमेतरा	4.750	3.700	1.050	2.670	2.060	0.610
15	बालोद	1500.053	774.877	725.176	1256.126	292.843	963.283
16	राजनांदगांव	2237.788	1666.179	571.609	3205.552	1368.602	1836.950
17	कवर्धा	2208.620	1338.770	869.850	3155.900	772.780	2383.120

क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20			वित्तीय वर्ष 2020-21		
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	शेष राशि
		(रु.लाख में)					
1	2	3	4	5	6	7	8
18	सरगुजा	979.890	615.990	363.900	1647.490	385.830	1261.660
19	सूरजपुर	2452.700	1602.000	850.700	2664.150	1654.740	1009.410
20	बलरामपुर	3110.230	2352.010	758.220	3160.070	813.220	2346.850
21	कोरिया	3961.990	3404.530	557.460	6812.190	2180.840	4631.350
22	जशपुर	466.900	392.190	74.710	1710.690	514.610	1196.080
23	बिलासपुर	1300.670	975.770	324.900	3004.730	978.780	2025.950
24	गौरेला-पेण्ड्रा (मरवाही)	5395.850	5088.520	307.330	1712.290	1053.090	659.200
25	कोरबा	2718.090	894.320	1823.770	1890.600	703.720	1186.880
26	रायगढ़	3189.890	1707.320	1482.570	2444.030	337.050	2106.980
27	जांजगीर-चांपा	924.600	472.640	451.960	538.890	22.560	516.330
28	मुंगेली	1325.640	499.646	825.994	2151.810	274.488	1877.322
योग		60056.174	41692.610	18363.564	65263.850	23645.036	41618.814

प्रपत्र "ब"

वर्ष	वाहन का प्रकार	संख्या	दर	कुल राशि	वाहन के क्रय हेतु नियम
	2	3	4	5	6
2009-10	महिन्द्रा बोलेरो	98	464204	45491992	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जारी कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।
	बोलेरो कैम्पर गोल्ड	28	501759	14049252	
	ट्रक (अशोक लीलैंड)	16	1019323	16309168	
	टाटा सफारी	2	1049421	2098842	
	टाटा सूमो	20	490382	9807640	
	एम्बेसडर कार	2	497676	995352	
	रेस्क्यू वेन	2	1456773	2913546	
	टाटा इंडिगो मांजा	4	494843	1979372	
योग : वर्ष 2009-10		172		93645164	
2010-11	टाटा इंडिगो मांजा	7	524289	3670023	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जारी कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।
	महिन्द्रा बोलेरो	80	531900	42552000	
	महिन्द्रा कैम्पर गोल्ड	12	501759	6021108	
	टोयोटा एटिऑस	1	558949	558949	
	एम्बेसडर कार	7	533247	3732729	
	महिन्द्रा जीनिया	7	583861	4087027	
योग : वर्ष 2010-11		114		60621836	

वर्ष	वाहन का प्रकार	संख्या	दर	कुल राशि	वाहन के क्रय हेतु नियम
1	2	3	4	5	6
2011-12	बस (स्वराजमाजदा)	4	1094453	4377812	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जा कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	ट्रक (टाटा)	12	945427	11345124	
	बोलेरो कैम्पर	16	494897	7918352	
	बोलेरो	38	529115	20106370	
योग : वर्ष 2011-12		70		43747658	
2012-13	ट्रक (टाटा)	10	945427	9454272	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जा कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	बस (आयशर)	2	1188008	2376016	
	टैंकर (स्वराजमाजदा)	1	851848	851848	
	ट्रेक्टर (महिन्द्रा)	10	493788	4937880	
योग : वर्ष 2012-13		23		17620016	
2013-14	ट्रक (टाटा)	8	943007	7544056	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जा कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	वाटर टैंकर	5	1164855	5824275	
	टाटा मेजिक	5	387118	1935590	
	महिन्द्रा बोलेरो	29	552282	16016178	
	टाटा इंडिगो	21	539276	11324796	
योग : वर्ष 2013-14		68		42644895	

वर्ष	वाहन का प्रकार	संख्या	दर	कुल राशि	वाहन के क्रय हेतु नियम
1	2	3	4	5	6
2014-15	टूक (टाटा)	20	933670	18673400	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जारी कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	टाटा	5	1213423	6067115	
	टाटा सूमो	6	509884	3059304	
	रोस्क्यू वेन आयशर	1	1742866	1742866	
	टाटा इंडिगो	1	520590	520590	
योग : वर्ष 2014-15		33		30063275	
2015-16	बोलेरो	30	583307	17499210	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जारी कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	स्वराजमाजदा	2	1622019	3244038	
	इनोवा	1	1275677	1275677	
योग : वर्ष 2015-16		33		22018925	
2016-17	बोलेरो	13	599823	7797699	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जारी कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	सूमो गोल्ड	12	523545	6282540	
	टाटा जेस्ट	1	599998	599998	
योग : वर्ष 2016-17		26		14680237	

वर्ष	वाहन का प्रकार	संख्या	दर	कुल राशि	वाहन के क्रय हेतु नियम
1	2	3	4	5	6
2011-12	बस (स्वराजमाजदा)	4	1094453	4377812	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जा कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	ट्रक (टाटा)	12	945427	11345124	
	बोलेरो कैम्पर	16	494897	7918352	
	बोलेरो	38	529115	20106370	
योग : वर्ष 2011-12		70		43747658	
2012-13	ट्रक (टाटा)	10	945427	9454272	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जा कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	बस (आयशर)	2	1188008	2376016	
	टैकर (स्वराजमाजदा)	1	851848	851848	
	ट्रेक्टर (महिन्द्रा)	10	493788	4937880	
योग : वर्ष 2012-13		23		17620016	
2013-14	ट्रक (टाटा)	8	943007	7544056	<p>भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2009 को जा कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार वन सुरक्षा एवं वन्यप्राणी सुरक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता दिनांक 17/11/2009 को संपन्न शासी निकाय की प्रथम बैठक में स्ट्राईक फोर्स हेतु चार पहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।</p> <p>कैम्पा गाईड लाईन के अनुसार संचालन समिति द्वारा स्वीकृत कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना निहित प्रावधानों के अनुसार स्ट्राईक फोर्स एवं अधोसंरचना विकास मद के अंतर्गत वाहनों का क्रय किया गया।</p>
	वाटर टैकर	5	1164855	5824275	
	टाटा मेजिक	5	387118	1935590	
	महिन्द्रा बोलेरो	29	552282	16016178	
	टाटा इंडिगो	21	539276	11324796	
योग : वर्ष 2013-14		68		42644895	

वर्ष	वाहन का प्रकार	संख्या	दर	कुल राशि	वाहन के क्रय हेतु नियम
7	2	3	4	5	6
2018-19	महिन्द्रा स्कार्पियो	1	757047	757047	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनिवार्य कार्य के अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के प्रावधान अनुसार
योग : वर्ष 2018-19		1		757047	
2019-20	महिन्द्रा स्कार्पियो	35	1072611	37541385	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 5(2) (i)
योग : वर्ष 2019-20		35		37541385	
2020-21	महिन्द्रा कैम्पर	2	757047	1514094	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनिवार्य कार्य के अंतर्गत स्वीकृत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के प्रावधान अनुसार
	महिन्द्रा स्कार्पियो	6	1072611	6435666	
	महिन्द्रा कैम्पर वाहन	6	757047	4542282	
	इसुजी यूटीलीटी (सी.ए.बी एच.आर) वाहन	5	976906	4884530	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 5(2) (i)
योग : वर्ष 2020-21		19		17376572	
महायोग :		594		380717010	
(अक्षरांश राशि - अड़तीस करोड़ सात लाख सत्रह हजार दस रुपये)					

परिशिष्ट "उन्तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 2773) की जानकारी]

01 जनवरी, 2019 से दिनांक 28-02-2021 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय की गई बिजली की मात्रा, औसत दर, भुगतान की गई राशि एवं भुगतान योग्य शेष राशि का विवरण

स.क.	विद्युत उत्पादक का विवरण	विद्युत कय की मात्रा मिलियन यूनिट में	औसत कय दर रूपये प्रति यूनिट में	विद्युत उत्पादकों को भुगतान की गई राशि रूपये करोड़ में	विद्युत उत्पादक को भुगतान योग्य शेष राशि रूपये करोड़ में
बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादक					
1	मेसर्स अग्रवाल विद्युत लिमिटेड, रायपुर	42.56	6.60	22.20	0.09
2	मेसर्स सुधा एग्रो आईल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बिलासपुर	157.73	6.49	92.15	1.98
3	मेसर्स नीरज पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	84.85	6.49	48.18	0.94
4	मेसर्स रीयल पावर प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर	102.15	6.47	59.71	1.42
5	मेसर्स रूक्मणी पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, रायगढ़	158.69	6.48	93.02	1.69
6	मेसर्स बालाजी पावर, महासमुंद	114.57	6.53	64.60	1.33
7	मेसर्स महेन्द्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर चांपा	102.52	6.62	57.74	0.96
8	मेसर्स अनिमेश इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बलौदाबाजार	117.48	6.62	68.48	3.21
9	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, रायगढ़	118.35	6.64	67.16	1.09
10	मेसर्स श्री श्याम वेयर हाउसिंग एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	141.61	7.01	91.57	1.57
11	मेसर्स इन्द्रा पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, सरगुजा	95.86	6.63	54.60	0.89
12	मेसर्स वन्दना विद्युत लिमिटेड, बिलासपुर	20.25	6.35	12.04	0.00
13	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	226.56	7.11	146.91	3.29

14	मेसर्स श्री विष्णु पॉवर एण्ड एनर्जी लिमिटेड, राजनांदगांव	62.53	7.65	42.29	0.00
15	मेसर्स आर. आर. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़	212.93	6.54	126.01	2.49
जल शक्ति आधारित विद्युत उत्पादक					
16	मेसर्स सावित्री पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, धमतरी	5.63	5.46	2.50	0.00
17	मेसर्स शालिवाहना ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा	13.19	4.40	5.62	0.00
18	मेसर्स छत्तीसगढ़ हाइड्रो पॉवर एल.एल.पी., गुल्लू, जशपुर	194.07	5.21	98.68	2.47
19	मेसर्स वेनिका हाईड्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरजपुर	63.02	5.96	37.05	0.00
सौर शक्ति आधारित विद्युत उत्पादक					
20	मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, खरोरा, रायपुर	5.62	5.67	9.31	0.00
21	मेसर्स सिंघल फारेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सराईपाली	6.32	5.67	10.60	0.10
22	मेसर्स सार्थक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग	5.27	6.44	3.07	0.00
23	मेसर्स आरक्रेस्ट्रेट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	5.38	6.46	3.18	0.00
24	मेसर्स एज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-1), दुर्ग	32.07	6.44	19.10	0.00
25	मेसर्स एज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-2), दुर्ग	34.44	6.45	20.58	0.00
26	मेसर्स एज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रोजेक्ट-3), दुर्ग	32.68	6.46	19.50	0.00
27	मेसर्स एकमे रायपुर सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद	102.47	6.46	60.88	0.00
28	मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, (प्रोजेक्ट-1), महासमुंद	7.03	6.46	4.23	0.00
29	मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड, महासमुंद (प्रोजेक्ट-2), महासमुंद	7.01	6.46	4.21	0.00

स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संयंत्र (IPPs)					
30	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड, कोरबा 270 मेगावाट	146.86	1.62	22.57	1.23
31	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, कोरबा	20.73	1.62	3.36	0
32	मेसर्स जिन्दल पॉवर लिमिटेड, रायगढ़	794.41	1.60	117.13	9.90
33	मेसर्स ए.सी.बी. (इंडिया) लिमिटेड, कोरबा 30 मेगावाट	22.48	1.64	3.45	0.23
34	मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड, बड़ेडरहा, जांजगीर चांपा	614.40	2.06	106.78	19.57
35	मेसर्स बाल्को लिमिटेड, कोरबा	842.36	1.65	127.34	11.72
36	मेसर्स मारुति क्लीन कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, कोरबा	153.72	1.62	22.90	2.04
37	मेसर्स एस.वी. पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, कोरबा	8.44	1.62	1.37	0
38	मेसर्स लेंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड, कोरबा	188.87	1.96	30.64	6.47
39	मेसर्स टी.आर.एन. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, घरघोड़ा, रायगढ़	86.15	1.62	11.70	2.27
40	मेसर्स के.एस.के. महानदी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	858.07	1.61	128.36	9.61
41	मेसर्स साईं लीलागार पॉवर जनरेशन लिमिटेड जांजगीर-चांपा	18.30	1.60	0	2.93
42	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, रायगढ़	208.53	1.62	30.95	2.93
43	मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड (पूर्व ज्ञातव्य मेसर्स कोरबा पश्चिम पॉवर कंपनी लिमिटेड)	135.61	1.60	16.91	4.79
44	मेसर्स रायपुर एनर्जन लिमिटेड, रायपुर	195.92	1.60	26.06	5.29

केप्टिव विद्युत संयंत्र (सरल क्रमांक 45 से 65 हेतु जनवरी, 2019 से जनवरी -2021 तक)

45	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	14.23	1.22	1.70	0.04
46	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, रायपुर	8.17	1.23	0.89	0.11
47	मेसर्स भगवती पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, रायपुर	0.57	1.04	0.06	0
48	मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़	284.22	1.25	33.85	1.71
49	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़	30.58	1.24	3.63	0.16
50	मेसर्स रीयल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	0.78	1.17	0.09	0
51	मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	7.78	1.25	0.92	0.05
52	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, तिल्दा	12.02	1.30	1.44	0.12
53	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल लिमिटेड रायपुर	36.95	1.23	4.28	0.27
54	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	21.18	1.21	2.57	0
55	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जांजगीर-चांपा	20.59	1.21	2.27	0.23
56	मेसर्स श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड, रायपुर	6.80	1.24	0.78	0.06
57	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर	2.35	1.10	0.26	0
58	मेसर्स वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायपुर	6.32	1.22	0.75	0.02
59	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, रायपुर	29.15	1.25	3.40	0.24

60	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, रायगढ़	101.22	1.25	12.23	0.41
61	मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, रायगढ़	18.79	1.23	2.15	0.16
62	मेसर्स नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, बिलासपुर	3.40	1.29	0.32	0.12
63	मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, अहिवारा, तह. धमधा, जिला-दुर्ग	1.21	1.25	0.15	0
64	मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, रायपुर	12.35	1.31	1.52	0.09
65	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड, रायपुर	1.58	1.32	0.19	0.02

परिशिष्ट "तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2775) के भाग (ख) की जानकारी]

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नवीन वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना की ग्रामवार जानकारी

क्र०	गाव का नाम जहां पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग	ट्रांसफार्मर की क्षमता (के.वी.ए.)	आवेदनकर्ता / मांगकर्ता का नाम	कार्य पूर्णता की स्थिति	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की दिनांक	लंबित रहने की स्थिति में लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	पचपेड़ी	63	ग्रामवासी	कार्य पूर्ण	30.11.20	
2	खर्सी बड़े	63	ग्रामवासी	कार्य पूर्ण	16.09.2020	
3	चन्द्रागली	100	ग्रामवासी	कार्य पूर्ण	21.10.2019	
4	कुदरगढ़ी	25	ग्रामवासी	कार्य पूर्ण	24.10.2019	
5	उलखर	63	ग्रामवासी			निविदा प्रक्रियाधीन
6	टिमरलगा	63	ग्रामवासी			निविदा प्रक्रियाधीन
7	टिमरलगा मंडीपारा	63	ग्रामवासी			निविदा प्रक्रियाधीन
8	छटोना	63	ग्रामवासी			निविदा प्रक्रियाधीन
9	हिर्सी	63	ग्रामवासी			निविदा प्रक्रियाधीन
10	केडार	63	ग्रामवासी			प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन
11	छिंद	63	ग्रामवासी			प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन
12	कोतरी	63	ग्रामवासी			प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन
13	झाराडीह	63	ग्रामवासी			प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन
14	दुलोपाली	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
15	नवापारा	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
16	दहिदा	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
17	दहिदा स्कूल पारा	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
18	मचलाडीह	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
19	डोंगरीपाली	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
20	उच्चभिटठी	100	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
21	कालाखुटा	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
22	सिलादेही	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है
23	भद्रा	63	ग्रामवासी			सर्वे एवं प्राक्कलन निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है

परिशिष्ट "ईकतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 2776) की जानकारी]

सारंगढ़ एवं बरमकेला क्षेत्र में नल-जल योजना के कार्यों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	विकासखंड	ग्राम	कार्य का नाम	टेंडर/कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2020-21	बरमकेला	विक्रमपाली	क्रेडा मॉडल HDPE टंकी स्थापना कार्य	प्रारंभ
2	2020-21	सारंगढ़	चांटीपाली	उच्चस्तरीय टंकी निर्माण कार्य	प्रारंभ
				पाईप लाईन	पूर्ण
3	2019-20	सारंगढ़	लेन्धा	उच्चस्तरीय टंकी निर्माण कार्य	निरस्त
				पाईप लाईन	निरस्त
4	2019-20	सारंगढ़	रक्शा	उच्चस्तरीय टंकी निर्माण कार्य	निरस्त
				पाईप लाईन	निरस्त
5	2019-20	बरमकेला	डूमरपाली	उच्चस्तरीय टंकी निर्माण कार्य	निरस्त
				पाईप लाईन	निरस्त
					02 प्रारंभ, 01 पूर्ण एवं 06 निरस्त

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2777) की जानकारी]

विधानसभा सारंगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत वनमण्डल द्वारा वर्ष 2019-20, 2021-21 तक मदवार प्राप्त आबंटन एवं व्यय राशि की जानकारी

व. सं/वर्ष	वनमण्डल का नाम	मद का नाम	प्राप्त आबंटन (लाख रु.में)	व्यय राशि (लाख रु.में)
1	2	3	4	5
विभागीय मद				
2019-20	रायगढ़	(4349) सड़कों का निर्माण तथा सड़क एवं पुलों की दुरुस्ती	4.55	4.55
2019-20	रायगढ़	(813) कार्यकारी योजना तथा अतिक्रमण	2.00	1.97
2019-20	रायगढ़	(3877) क्षेत्रीय वनमंडल- 01 डिमाकेशन	3.76	3.76
2019-20	रायगढ़	(3877) क्षेत्रीय वनमंडल- 03 अग्नि बचाव	5.45	5.45
2019-20	रायगढ़	(3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण	10.88	10.88
2019-20	रायगढ़	2965 बिगड़े वनों का सुधार कार्य	5.01	4.86
2019-20	रायगढ़	6886 वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण	5.00	5.00
2019-20	रायगढ़	(2962) - बिगड़े वनों का सुधार	5.01	5.01
2019-20	रायगढ़	2533 हरियाली प्रसार योजना	15.79	15.44
		योग विभागीय :	57.46	56.92

वन्यप्राणी मद

2019-20	रायगढ़	(4349) सड़कों का निर्माण तथा सड़क एवं पुलों की दुरुस्ती	17.09	17.06
2019-20	रायगढ़	(2900)-अभ्यारण्य क्षेत्र 02-003 अग्नि बचाव	4.00	4.00
2019-20	रायगढ़	(3943) वन्य जीवों का संरक्षण	87.00	86.97
2019-20	रायगढ़	(6539) अभ्यारण्य क्षेत्रों का विकास	84.50	84.46
2019-20	रायगढ़	(5502) प्रोजेक्ट एलीफेंट	12.00	12.00
2019-20	रायगढ़	6991 हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	112.47	112.46
2019-20	रायगढ़	(5090) जैव विविधता संरक्षण	86.59	86.38
2019-20	रायगढ़	(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र में प्राकृतवास का समन्वित विकास	55.80	55.78
2019-20	रायगढ़	4342 - सड़कें तथा मकान निर्माण 97-001	27.00	27.00
		योग वन्यप्राणी :-	486.45	486.11
2019-20	रायगढ़	कैम्पा मद (सामान्य सारंगढ़)	122.81	83.93
2019-20	रायगढ़	कैम्पा मद (वन्यप्राणी)	133.81	86.95
		योग वर्ष 2019-20 :-	800.53	713.91

विभागीय मद

2020-21	रायगढ़	(4349) सड़कों का निर्माण तथा सड़क एवं पुलों की दुरुस्ती	2.50	1.50
2020-21	रायगढ़	(3877) क्षेत्रीय वनमंडल- 01 डिमाकेशन	3.09	1.90
2020-21	रायगढ़	(3877) क्षेत्रीय वनमंडल- 03 अग्नि बचाव	6.36	6.36
2020-21	रायगढ़	(3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण	9.08	9.07
2020-21	रायगढ़	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा	0.72	0.72
2020-21	रायगढ़	(2962) - बिगड़े वनों का सुधार	10.13	8.02

वर्ष/अवधि	वनमण्डल का नाम	मद का नाम	प्राप्त आबंटन (लाख रु में)	जय राशि (लाख रु में)
1	2	3	4	5
2020-21	रायगढ़	2533 हरिधाली प्रसार योजना	3.40	3.40
2020-21	रायगढ़	(5538) एकीकृत वन सुरक्षा	0.30	0.30
विभागीय (सामान्य) योग			35.57	31.26
विभागीय वन्यप्राणी				
2020-21	रायगढ़	(4349) सड़कों का निर्माण तथा सड़क एवं पुलों की दुरुस्ती	9.00	7.83
2020-21	रायगढ़	(2900)—अभ्यारण्य क्षेत्र 02—003 अग्नि बचाव	5.37	2.45
2020-21	रायगढ़	(3943) वन्य जीवों का संरक्षण एवं विकास	19.00	14.70
2020-21	रायगढ़	(6539) अभ्यारण्य क्षेत्रों का विकास	22.83	22.57
2020-21	रायगढ़	(6993) नैसर्गिक पर्यटन का विकास मद	8.56	0.00
2020-21	रायगढ़	(6991) हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	50.17	24.65
2020-21	रायगढ़	(5090) जैव विविधता संरक्षण	83.74	56.84
2020-21	रायगढ़	6886 वनमार्गों पर रपटा तथा पुलिया निर्माण	18.00	15.84
2020-21	रायगढ़	(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र में प्राकृतवास का समन्वित विकास	69.52	51.57
2020-21	रायगढ़	4342 - सड़कें तथा मकान निर्माण 97—002	21.00	17.64
विभागीय (वन्यप्राणी) योग			307.19	214.09
2020-21	रायगढ़	कैम्पा मद (सामान्य सारंगढ़)	77.68	0.78
2020-21	रायगढ़	कैम्पा मद (वन्यप्राणी)	382.78	166.98
योग वर्ष 2020—21 :-			803.22	413.12